CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.XII, Fifth Session, 2015/1937 (Saka) No.11, Wednesday, August 05, 2015/Shravana 14, 1937 (Saka)

SUBJECT	PAGES
MEMBER SWORN	10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.223 to 227	13-51
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	52 100
Starred Question Nos.228 to 242	52-100
[@] Unstarred Question Nos.2531 to 2537, 2539 to 2560, 2562, 2563, 2565 to 2581, 2583 to 2593, 2596 to 2637, 2639 to 2644, 2646 to 2669, 2671 to 2681, 2683 to 2718, 2720 to 2726, 2728 to 2737, 2739 to 2744, 2746 to 2756, 2758 and 2759	101-496

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

[®] Unstarred question Nos. 2538, 2561, 2564, 2582, 2594, 2595, 2638, 2645, 2670, 2682, 2719, 2727, 2738, 2745, 2757 and 2760 were deleted due to suspension of Members Under Rule 374A and as recorded vide Bulletin Part-I dated 5th August, 2015.

PAF	PERS LAID ON THE TABLE	497-507
RUI	LES COMMITTEE 2 nd Report	508
CO	MMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 4 th Report	508
STA	ANDING COMMITTEE ON INDUSTRY 267 th and 268 th Reports	508
STA	ATEMENTS BY MINISTERS	
(i)	Status of implementation of the recommendations contained in 2 nd and 1 st Reports of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and Ministry of Urban Development respectively	
	Shri M. Venkaiah Naidu	509
(ii)	Derailment of Kamayani Express and Janata Express between Khirkiya and Bhirangi stations of West Central Railway on 04.08.2015	
	Shri Suresh Prabhu	510-511
(iii)	Status of implementation of the recommendations contained in 1 st and 3 rd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2014-15) pertaining to the Department of Posts, and Department of Telecommuncations respectively, Ministry of Communications and Information Technology	
	Shri Ravi Shankar Prasad	512

514
515-516
517-523
524-525
550-567
551
552
553

(iv)	Need to undertake relief and rescue operations in villages under Srikolayat and Nokha Tehsil in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan distressed due to excess rain	
	Shri Arjun Ram Meghwal	554
(v)	Need to provide sufficient funds for Gosikhurd irrigation project in Maharashtra	
	Shri Ashok Mahadeorao Nete	555
(vi)	Need to include Saharanpur in Uttar Pradesh in National Capital Region	
	Shri Raghav Lakhanpal	556-557
(vii)	Need to expedite work on interlinking of Ken and Betwa rivers	
	Dr. Virendra Kumar	557
(viii)	Need to enhance the wages of Home Guards and PRD jawans in Uttar Pradesh	
	Shri Kaushal Kishore	558
(ix)	Need to check increasing pollution in Singrauli district, Madhya Pradesh	
	Shrimati Riti Pathak	559
(x)	Need to make government and private land free from encroachment in Banda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Bhairon Prasad Mishra	560
(xi)	Need to enhance the honorarium of teachers of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas	
	Shri Jagdambika Pal	561

(xii)		
	Shrimati M. Vasanthi	562
(xiii)	Need to facilitate release of financial assistance from World Bank for the second phase of modernization of irrigation facilities and restoration of water bodies in Tamil Nadu	
	Shri R.P. Maruthrajaa	563
(xiv)	Need to appoint a physician as Director of the Regional Medical Research Centre, Bhubaneswar	
	Dr. Kulamani Samal	564
(xv)	Need to waive off loans of farmers distressed due to drought situation in Maharashtra	
	Shri Prataprao Jadhav	565
(xvi)	Need to recognize all medical degrees awarded by Russia to Indian students	
	Shri Jayadev Galla	566
(xvii)	Need to develop health tourism in the Araku Constituency of Andhra Pradesh	
	Shrimati Kothapalli Geetha	567
	ANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS ERAL), 2015-16	568-619
	Shri Hukum Singh	571-576
	Shri P.R. Senthilnathan	577-582
	Shri Bhartruhari Mahtab	583-588

	Shri Vinayak Bhaurao Raut	589-591
	Shri M. Murli Mohan	592-596
	Dr. Udit Raj	597-598
	Shri Prem Singh Chandumajra	599-600
	Shri Sharad Tripathi	601-603
	Shri Subhash Chand Baheria	604-605
	Shri Arun Jaitley	606-619
	Demands - Voted	619
APP	Shri M. Murli Mohan Dr. Udit Raj Shri Prem Singh Chandumajra Shri Sharad Tripathi Shri Sharad Tripathi Shri Subhash Chand Baheria Shri Arun Jaitley Demands - Voted DPRIATION (NO. 3) BILL, 2015 Motion to Introduce Motion to Consider Clauses 2, 3 and 1 Motion to Pass HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 2015 Shri D. V. Sadananda Gowda Shri J. J.T. Natterjee Shri Tathagata Satpathy Shri Jagdambika Pal Dr. Varaprasada Rao Velagapally Shrimati Anupriya Singh Patel Shri Ramesh Bidhuri Shri P.P. Chaudhary Clauses 2 to 4 and 1	
	Motion to Introduce	619
	Motion to Consider	620
	Clauses 2, 3 and 1	620
	Motion to Pass	620
DEL	HI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 2015	621-641
	Shri D. V. Sadananda Gowda	621 636-641
	Shri J. J.T. Natterjee	622-623
	Shri Tathagata Satpathy	624-626
	Shri Jagdambika Pal	627-629
	Dr. Varaprasada Rao Velagapally	630
	Shrimati Anupriya Singh Patel	631-632
	Shri Ramesh Bidhuri	633-634
	Shri P.P. Chaudhary	635
	Clauses 2 to 4 and 1	639-640
	Motion to Pass	641

DISCUSSION UNDER RULE 193 Sustainable development goals Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	642-652		
ANNEXURE – I			
Member-wise Index to Starred Questions	653		
Member-wise Index to Unstarred Questions	654-659		
ANNEXURE – II			
Ministry-wise Index to Starred Questions	660		
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	661-662		

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 05, 2015/Shravana 14, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

MEMBER SWORN

HON.	SPEAKER:	The	Nominated	Member	will	take	oath.	Secretary-General	l to
annoui	nce the name								

Prof. Richard Hay (Nominated) Oath English
... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, डा. पी. वेणुगोपाल और श्री पी. कुमार के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये मामले महत्वपूर्ण हैं लेकिन इसके लिए कार्य में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। अन्य तिथि में भी ये मामले उठाए जा सकते हैं। अत: मैं स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमित प्रदान नहीं कर रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, 25 सांसदों का निलंबन हुआ है।...(व्यवधान) यह लोकतंत्र की हत्या है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please take your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: If you want to say something, I will allow you after Question Hour. Please take your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please bear with me and cooperate. After Question Hour, I will surely allow you.

... (Interruptions)

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now Question Hour. Q No. 223 Shri Nagendra Kumar Pradhan

(Q. 223)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Madam Speaker, in the reply given to my question, the hon. Minister has stated that the *Rashtriya Aavishkar Abhiyan* (RAA) was launched by the late Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Former President of India on 9th July, 2015. During his speech, Dr. Abdul Kalam had laid emphasis of acquiring knowledge with hard work and perseverance and he had also given the highest emphasis on science.

So, my question to the hon. Minister is this. Whatever knowledge is going to be imparted to the school students, I would like to know whether it can be extended to college students. ... (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: जिन 25 सांसदों का निलम्बन हुआ है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम इसके विरोध में सदन से वॉक-आऊट करते हैं। ... (Interruptions)

11.05 hrs.

Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Tariq Anwar, Shrimati Supriya Sule and some other hon. Members then left the House.

... (Interruptions)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Secondly, the budget provision which has been given for Sarva Shiksha Abhiyan and RMSA, whether that is adjusted from that account or a separate account will be there for Sarva Shiksha Abhiyan and RMSA.... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to firstly thank the hon. Member for highlighting the words of the late Dr. Kalam who guided us during the launch of this ambitious programme.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Your Minister is answering.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: The hon. Member has said in his two-part question whether we will look into the extension of such an exercise in higher education... (*Interruptions*) The hon. Member is correct. In the forthcoming months, we will try and draw up a plan. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you at 12 o'clock. Please bear with me. I am giving you promise that I will allow you.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Within the Ministry, we are seeking pathways to engage and do specific programmes for institutions of higher learning.... (*Interruptions*) Additionally, Rashtriya Avishkar Abhiyan in itself encompasses a framework wherein school eco-systems and institutions of higher learning can merge together to encourage science, mathematics and technology amongst school students. ... (*Interruptions*)

Insofar as the budgeting component goes, the answer highlights, it is a part of the Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan because under these two Abhiyans, we particularly focus on primary and secondary education in the school system.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am assuring you, I will you at 12 o'clock.

... (*Interruptions*)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: When this programme is going to be launched, the top priority is to be given to the North East State. I would like to know from the hon. Minister whether it can be extended to every district of the country. As I know, Rs. 5 lakh has been given just as an example and as a token

grant. I would like to know whether every district will be covered by this programme. If so, when will they be covered?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: As the hon. Member has highlighted in the question itself, because this is the convergence of efforts between SSA and RMSA, hence every district in the country is covered. Particularly his question is with regard to the North East. We are currently in conversation with the Department of North Eastern Region to particularly build model science lab in every district in the North East. But, let it be said that no district in the country will be left untouched under the Rashtriya 'Avishkar' Abhiyan.

श्री विजय कुमार हाँसदाक: महोदया, स्वर्गीय ए.पी.जे.अब्दुल कलाम द्वारा एक अच्छा अभियान शुरू किया गया है। 'थिंक इन इंडिया' द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरूआत की गई है। अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत नॉलेज है। हर ट्राइब और समाज में बहुत सारा नॉलेज पहले से ही है, इसे हम इस अभियान से जोड़ सकते हैं इससे अगली जेनरेशन फायदा ले सकती है। हमारे पूर्व के नॉलेज को इससे जोड़ दिया जाए और इसे एक बढ़िया अभियान बनाया जाए। इसके लिए आबंटित राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी: मैं आदरणीय सांसद को उनके सुझाव के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। इन्होंने जो सजेशन दिया है कि हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज इको-सिस्टम को भी इसमें समावेश करें। मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि आई.आई.टी के कन्सार्शीअम में 'संधि' नाम का एक कार्यक्रम है जिसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल साइंस, टेक्नोलॉजी और इको-सिस्टम है, जो साइंस की दृष्टि से भारत को प्रभावित कर चुकी है उसे मार्डन समय में किस प्रकार अप्लाई किया जाए इसका प्रयास संधि कार्यक्रम के अंतर्गत हो चुका है, इसे स्कूल सिस्टम से जोड़ने के उनके सुझाव की मैं सराहना करती हूं और एक्सेपट करती हूं।

डॉ. मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न काल के दौरान इतने महत्वपूर्ण विषय पर सप्लीमेंट्री क्वश्चेन पूछने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में कहा गया, आज ऐसी महान शख्सियत जो अपनी सोच की वजह से, बच्चों में प्रेरणा की वजह से, नये इनोवैशन करने के लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में ही भूमिका नहीं निभायी, बिल्कि एक राष्ट्र भक्त होकर जिस तरीके से राष्ट्रपित पद का निर्वहन किया, उसके प्रति पूरा देश आभारी है। हमारे राष्ट्र को उन्होंने अपनी जो सेवाएं दी हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत नमन करता हूं।

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के माध्यम से 9 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गयी। यह बड़ा दुखद विषय है कि आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। जैसे कि यह कार्यक्रम छः से अठारह वर्ष के बच्चों में विज्ञान, गणित और नये इनोवैशन्स की भावना के अनुरूप बनाया गया है। यह उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा जाये? क्या आप इस बारे में विचार करेंगी? श्रीमती स्मृति जुविन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय सांसद जी की भावना से अवगत हूं और उसकी सराहना करती हूं। मैं जवाब देते वक्त इस बात का उन्हें ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत तब हुई, जब डॉ. कलाम हम सबके बीच में थे। वे सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। वर्तमान में यह स्कीम छः से अठारह वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है, लेकिन डॉ. कलाम की भावना यह थी कि भारत की युवा पीढ़ी में इतनी क्षमता है कि अगर उनमें हम अपना पूरा योगदान दें, तो जिस नवनिर्माण भारत की कल्पना हम करते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए डॉ. कलाम से ही प्रेरित होकर, उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उच्च शिक्षा के विभाग और संस्थानों में भी युवा पीढ़ी को और प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे।

डॉ. अरुण कुमार: अध्यक्ष महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन था कि इसे महामिहम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के नाम से किया जाये, क्योंकि यह आविष्कार उन्होंने अपने चिंतन में किया था। यह एक बड़ी अच्छी योजना है। यदि यह उनके नाम से हो, तो राष्ट्र की जो भावना है, उसे बल मिलेगा।

HON. SPEAKER: He is giving you a suggestion.

(Q.224)

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा देश के अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं को छोड़ने की वर्तमान परिस्थितियां और पिछले तीन सालों में रिसर्च संस्थाओं को छोड़ गये वैज्ञानिकों और तकनीकविदों का कारण क्या है और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं, जिनमें वैज्ञानिकों के जाने से हमें नुकसान हो सकता है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, हमारी जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं, उनमें काम करने वाले साइंटिस्टस द्वारा पिछले काफी वर्षों से उन लैब्स को छोड़ने की आशंका माननीय सदस्य महोदय ने जतायी है, वह वास्तविक न होकर काल्पनिक हो सकती है। पिछले अनेक वर्षों और विशेषकर, जैसे उन्होंने पिछले तीन वर्षों के डाटाज के बारे में चर्चा की है, उनका अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से यह समझ में आता है कि हमारी लैब्रोरटीज में आज उनके लिए रिसर्च की फैसिलिटीज और दूसरी सभी संबंधित फैसीलिटीज वर्ल्ड क्लास की हैं। कहीं भी हमारी किसी लैब्स से साइंटिस्ट्स के छोड़कर जाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। अगर हम संख्या की दृष्टि से भी आकलन करें, तो यह संख्या एवरेज दो प्रतिशत से भी कम आती है। इन दो प्रतिशत लोगों का भी कारण व्यक्तिगत है या किसी का अपना पारिवारिक दृष्टिकोण है, जिसके कारण उन्होंने अपनी लैब्स को दूसरे इंस्टीट्यूशन्स में जाकर परिवर्तित किया होगा। अभी हमारे साइंटिस्टस के लिए हमारी लैब्रोटरीज में अनेक प्रकार की फैलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स हैं। उनकी पे के इमोल्युमेंटस की दृष्टि से टाइमबाउंड प्रमोशन्स, मेरिट की दृष्टि से प्रमोशन, इन्सेन्टिव बेस्ड प्रमोशन, रामालिंगा स्वामी फैलोशिप, रामानुजम फैलोशिप्स और बहुत किरम की इन्सपायर करने वाली फैलोशिप्स अलग-अलग लैवल पर स्ट्डेंट्स से लेकर रिसर्च साइंटिस्ट एस्टाबलिश होने तक चलती हैं। लैब्स के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार की ग्रांट्स इत्यादि हर एक साइंटिस्ट के लिए स्टेट आफ दि मॉडर्न रिसर्च करने के लिए उपलब्ध है। पिछले वर्षों में साइंस की लैब्रोटरीज़ के लिए रिसर्च की ग्रांट्स में बड़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है। अब वास्तविक स्थिति यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे वैज्ञानिक, जिन्होंने विदेशों में जाकर काम करना शुरु कर दिया था, स्कालरशिप्स और जो फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है, के माध्यम से बड़ी संख्या में भारत में वापस आ रहे हैं। अगर मैं रफ आंकड़े की बात करूं तो 600 से ज्यादा ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विदेश में थे, उन्होंने इस प्रकार की फैसिलीटिज़ को अवेल करने के लिए एप्लाई किया है, जिसमें से करीब 440-450 का सलैक्शन हुआ। माननीय सदस्य की एप्रिहेंशन शायद फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। हमारी सरकार साइंटिस्टस के लिए हर प्रकार की सुविधा को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है और गहराई तथा गंभीरता से विचार करके नई योजनाओं के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा रही है।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: देश के अनुसंधान संस्थानों में निरंतर वैज्ञानिक मिलते रहें, क्या ऐसी स्पेशल रिसर्च एजुकेशन युनिवर्सिटी शुरु करने की कोई योजना है? आदरणीय मिसाइल मैन स्व. श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भारत के गरीब मेधावी एवं समाज के पिछड़े वर्ग के छात्र बन सकें, क्या ऐसी कोई योजना है?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी चर्चा भी की है, आपके प्रश्न के दो भाग हैं। हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैब्स में वैज्ञानिकों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडीविजुअल लैब और विशेष किस्म की रिसर्च स्टेट आफ दि आर्ट और वर्ल्ड क्लास करने के लिए सब प्रकार की सुविधा देने के लिए एन्क्रेजमेंट है। इसके अलावा सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलाजी डिपार्टमेंट की लैब्स में नहीं बल्कि सैंकड़ों इस प्रकार के दूसरे साइंस के इंस्टीट्यूशन्स, चाहे युनिवर्सिटीज़ में हों या दूसरे संस्थानों या प्राइवेट क्षेत्र में हों, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोट करने के लिए इन्कलूडिंग आईआईटीज और बड़े संस्थानों में अनेक प्रकार की ग्रांट्स दी जाती हैं। माननीय सदस्य ने एक बात गांव के बच्चों के लिए कही है। हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्सपायर प्रोग्राम्स हैं। मान लीजिए देश में पांच लाख स्कूल हैं तो करीब 10 से 15 साल के बच्चों के लैवल पर 2.5 लाख बच्चों को स्कालरिशप वन टाइम के हिसाब से दी जाती है। 10वीं और 12वीं के बीच में फिर स्कालरिशप देने के प्रोग्राम्स हैं। एमएससी, बीएससी करने के समय पर 5,000 रुपए महीना लगातार स्कालरिशप देने के प्रोग्राम्स हैं। एमएससी, बीएससी करने के समय पर 5,000 रुपए महीना लगातार स्कालरिशप देने के प्रोग्राम्स हैं। एमएससी, बीएससी करने के तमय पर 5,000 रुपए महीना लगातार स्कालरिशप देने के प्रोग्राम्स हैं। एमएससी, बीएससी करने के तमय पर 5,000 रुपए महीना लगातार स्कालरिशप देने के प्रोग्राम्स हैं। एमएससी, बीएसी करने के समय पर 5,000 रुपए महीना लगातार स्कालरिशप देने के प्रोग्राम्स हैं। एमएसी लैवल पर भी है। इस तरह एक प्रकार से बहुत एग्जास्टिव और काम्प्रिहेन्सिव प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टुडेंट के अंदर साइंस का पैशन विकसित हो तािक उसकी भावना मजबूत हो। साइंस को जनमानस का बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए डिपार्टमेंट आग्रहपूर्वक काम कर रहा है। हम इसे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे।

श्री गोपाल शेट्टी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में विस्तृत जानकारी दी है। माननीय सदस्य विनोद जी ने जो प्रश्न पूछा है उससे बहुत सी जानकारी हासिल हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 600 से ज्यादा साइंटिस्ट्स विदेश से वापस आए हैं। इस बात की हमें चिंता करनी पड़ेगी। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि छठा और सातवां वेतन आयोग इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि साइंटिस्ट्स को छठे और सातवें वेतन आयोग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, इनको अलग दर्जा, स्तर देना होगा। जब भारत में मैन पावर और साइंस पावर एकत्रित होगा तभी हम सुपर पावर की ओर बढ़ पाएंगे इसलिए इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1942 में 17000 से भी अधिक सामूहिक कर्मचारी और अधिकारी इस क्षेत्र में काम करते थे। 37 प्रयोगशालाएं और 39 क्षेत्र स्टेशनों के विस्तार में

जो हमारा आर एंड डी विभाग है, यह काम करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 73 साल के सफर के बाद आज इस विभाग की क्या स्थिति है? यहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? वैज्ञानिकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? इन सारी बातों की जानकारी अगर हमें उपलब्ध होगी तो हम इस क्षेत्र के बारे में आने वाले दिनों में विचार कर पाएंगे। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों को अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षेत्र से अलग करके इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या मंत्री जी इनके बारे में सोचेंगे?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, अगर सांसद महोदय प्रश्न का उत्तर गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि वैज्ञानिकों को हम लोग दूसरे विभागों के रुटीन कर्मचारियों या अधिकारियों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए जो दूसरे इमोल्युमेंट्स और दूसरी सुविधाएं वगैरह हैं, यानी केवल छठा पे कमीशन ही नहीं है, छठा पे कमीशन तो दूसरे कर्मचारियों के लिए भी है और वैज्ञानिकों के लिए भी लागू है। अभी सेवंथ पे कमीशन भी सरकार ने ऑलरेडी एपाइंट किया हुआ है लेकिन इसके लिए हमारी जितनी भी फ्लैक्सिबल काम्पलीमेंटिंग स्कीम्स हैं, मैरिट बेस्ड प्रमोशन स्कीम्स हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि कई किस्म की रिसर्च फैलोशिप हैं जिनकी दृष्टि से साइंटिफिक विभाग को मजबूत बनाने की दिशा में हम वैज्ञानिकों को एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण से ट्रीट करते हैं। जो भी योग्य साइंटिस्ट हैं या जो भी व्यक्ति इसके अंदर पैशन से काम करना चाहता है, उसके लिए राइज करने का और समय से पहले प्रमोशन लेने का बहुत स्कोप है। उसके लिए अपनी चीजों को रिसर्च के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी बहुत स्कोप है।

सीएसआईआर लेब के अंदर जो वैज्ञानिक नयी नयी तकनीक निकालते हैं, उन तकनीक को ट्रांसफर करने के बाद इंडस्ट्री को उसके अंदर से जो पॉजीटिव गेन्स होते हैं, जो फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, उनको भी हम लोग वैज्ञानिकों के साथ शेयर करते हैं। जो उन्होंने 50-70 साल पुराना लेबोरेट्रीज का इतिहास प्रस्तुत किया, उसके मुकाबले विभाग अभी बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हो चुका है। सीएसआईआर की हमारी 38 से ज्यादा लेबोरेट्रीज हैं। साइंस एंड टैक्नोलॉजी के 25 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस देश में प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास हैं। इसके अलावा आज साइंस मिनिस्ट्री की दस बड़ी लेबोरेट्रीज हैं। अगर हम सारे देश में इसकी गिनती करें तो 1 लाख 92 हजार हमारे वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर्स हैं और अभी पिछले दिनों नेचर मैगजीन ने स्टडी की थी जिसमें भारत के वैज्ञानिकों का जापान, चाइना और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ हैप्पीनैस इंडैक्स लेवल असैस किया गया था जिसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसमें भारत के वैज्ञानिकों का जो हैप्पीनैस इंडैक्स है, वह जापान और चाइना के वैज्ञानिकों से बेहतर है। हम थोड़

से अमेरिका के मुकाबले कम हैं और अमेरिका जैसे विकसित देश में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, यद्यपि उन पैरामीटर्स को हम भारत के साथ कमपेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन उन पैरामीटर्स को अगर हम कमपेयर करने की कोशिश भी करें तो वे काफी हद तक कमपैरेबल हैं। हमारे वैज्ञानिकों को अमेरिका के मुकाबले भी बहुत सारी सुविधाएं यहां पर मिलती हैं।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री भी उत्तर थोड़ा ब्रीफ में करें, जैसा हम प्रश्न के लिए बोलते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI C. GOPALAKRISHNAN: Hon. Speaker, Madam, before I ask my Supplementary, first of all, I pray to my God leader, Purtchi Thalaivi Amma.

It is obvious that the scientific talent in our country is abound. It is in bad taste that more and more scientific scholars do not have adequate forums to represent and there is no due recognition being given to them in the country.

Madam, our leader Puratchi Thalaivi Amma instituted an Award in the name of our Second Mahatma, Dr. A.P.J. Abdul Kalam.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to institute any award in the name of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, for those who have achieved scientific excellence in the country.

DR. HARSH VARDHAN: Respected Madam, I think, there is no difference of opinion amongst anyone of us or anyone in this country about the glorious contributions of Dr A.P.J. Abdul Kalam as a great President of India and also as one of the most brilliant scientists of this country. And, I think it is definitely in the fitness of things. But this is not the feeling of the particular Member or a Member of a particular Party. This is the feeling in the whole country and I can assure you that our Cabinet will discuss this matter in great detail and we will certainly institutionalise in the memory of Dr. A.P.J. Abdul Kalam not only for the cause of science but I think for the cause of values, education and so many things for which there is a need for this country.

श्री विनायक भाऊराव राऊत: अध्यक्ष जी, बीएआरसी में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, मेरी जानकारी से पिछले कई वर्षों से यहां से लापता होने वाले वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ी है। उनकी सुरक्षा का प्रावधान करने की अत्यंत जरूरत है। बीएआरसी में एक बिल्डिंग है, उसे सुसाइड बिल्डिंग कहते हैं। इस बिल्डिंग से कई वैज्ञानिकों ने आत्महत्या की है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुम्बई की बीएआरसी में काम करने वाले वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए मंत्री जी क्या प्रावधान करेंगे?

DR. HARSH VARDHAN: As far as the present question is concerned, it directly does not fall under my domain but I can assure him on behalf of the Government that whatever his apprehensions and concerns are about the situation arising out of the various facts that he has elaborated because this is a question related to the Atomic Energy Department which does not directly fall under my purview, and I will make sure that we convey his feelings to the Minister concerned and make sure that all his concerns are adequately and seriously addressed.

श्री बलभद्र माझी: महोदया, पूरे विश्व की 17 परसेंट जनसंख्या हमारे देश की है। हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में से 200वें नम्बर पर नहीं आता है। देश के जितने भी पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, वे भी बहुत मुश्किल से किसी वैज्ञानिक को दिया जाता है। इज्राइल जैसे छोटे देश ने 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन हमारे यहां मुश्किल से चार-पांच लोगों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी सिस्टेमेटिक तरीके से जैसे ओलम्पिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही क्या सरकार ने कोई गोल निश्चित किया है कि हमारे देश के वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत सकें या वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन करें, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन हमारे यहां से मुश्किल से हुआ है? क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ सोचा है?

खाँ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के जो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, उसमें हम पूरे विश्व में छठे स्थान पर हैं। उस दृष्टि से हमारा ग्रोथ रेट 17 परसेंट है, अमरीका जैसे देश में 4-5 परसेंट तक है। इसमें दो मत नहीं है कि जितनी मात्रा में हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, रिसर्च की है, वर्षों तक उन्होंने त्याग तपस्या की है, उसके मुकाबले हम लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिले हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग बहुत गहराई और गंभीरता से इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देहरादून में दो दिनों तक लगातर सीएसआईआर की

लेब्स के डायरेक्टर्स और उसके बाद हैदराबाद के अंदर हमारे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलोजी विभाग के डायरेक्टर्स थे और हैड आफ दि इंस्टीट्यूशंस थे तथा सातों आईआईटीज़ के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर माननीय सदस्य द्वारा जो विषय उठाया गया है, उसके ऊपर बहुत गहराई से हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि आने वाले भविष्य में हमने अभी तक जो किया है उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें परसेप्टेबल और मैजरेबल चेंजिज मिलें जिनसे हमारे देश को साइंस की दृष्टि से भी और साइंस को जनता के साथ जोड़ने की दृष्टि से भी और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी एम्बीशिएस प्रोग्राम्स लाँच किए हैं, उनके अंदर वैज्ञानिकों का क्या कंट्रीब्यूशन हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो प्रतिभा है और ज्यादा वह खिलकर आए इसके लिए हम लोग बहुत गहराई और गंभीरता से बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह बात भी बताना चाहता हूं, यह बात मैं शायद तब न कह पाता जब मैं साइंस एंड टेक्नोलोजी मिनिस्टर था क्योंकि मैंने लैब्स को अंदर तक नहीं देखा था कि आप अगर लैब्स को अंदर तक जाकर और भारत के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, उसे आप देखेंगे और समझेंगे तो शायद आपको अपने देश के वैज्ञानिकों पर और उनकी प्रतिभा पर निश्चित रूप से गर्व होगा और आपको लगेगा कि हम दुनिया में किसी से भी किसी भी दृष्टि से कम नहीं हैं।

(Q. 225)

SHRI P.R. SUNDARAM: Speaker Madam, Indian Institutes of Technology were set up to evolve technocrats. These IITs were established by an Act of Parliament. Last year alone, 14 students have died in various IITs and many have been expelled for under-performance. Incidentally, many students who end up as dropouts are from socially and economically backward classes like OBCs, SCs and STs.

Our beloved leader, *puratchi thalaivi Amma*, is champion of social justice - it means *samooha needhi katha veeranganai* in Tamil – who gave constitutional protection of 69 per cent reservation to OBCs, SCs and STs in Tamil Nadu. As a true follower of Amma, I raise this question.

Why is enough care not being taken by the IITs to see that the drop-out rate is reduced? Why such students are not being helped to maintain their academic performance though they have cleared the toughest entrance examination, JEE? Why are special classes not being conducted, instead of expelling them?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam Speaker, while I appreciate the adoration the hon. Member has for his party leadership, I would like to contest certain facts that he has tried to produce in his question.

Firstly, his indication that children in the IIT ecosystem and IIT family are committing suicides because they are unable to keep up with the pressure that the academic environment in the IIT has, is incorrect. The second instance that I would like to contest, as has been deciphered by the hon. Member in his question, is the fact that enough is not done for children from weaker segments of society or for children who are academically weak. Firstly, it should be said here, and very proudly, that children who enter into the IIT ecosystem do so after cracking the toughest examination in the country which is the JEE Advanced, which in itself is

a representation of their academic brilliance and the academic pathway that they so choose.

Within the IIT ecosystem, in the first year itself, as the answer represents, there are various classes which are undertaken specifically for children who are academically weak, children who are from weaker segments of society. These initiatives are mentored specially by senior faculty members. Children are guided and children are assessed not at the end of the year, but they are assessed monthly, quarterly and mid-yearly so that any challenge that is presented in front of the faculty is a challenge that the faculty can address.

Let me assure the hon. Member that any challenge that IIT students present to the faculty within the IIT ecosystem shall be met in a supportive fashion by IITs. SHRI P.R. SUNDARAM: Madam Speaker, IIT Roorkee expelled 73 students on 8.7.2015 for scoring less than five cumulative grade point average in the second semester. The students who were expelled belong to the reserved category as 31 are STs, 23 are SCs, 4 are physically challenged and 8 are OBCs. All the students expelled had been taken back by the IIT Roorkee because of the loud cry which surfaced on their expulsion. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has made any inquiry into it to prevent such a foul play in future.

Similarly, as it happened in Chennai, why are they prevented from enriching their knowledge through forums like Periyar-Ambedkar Study Circle? SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, yet again, I contest the information that the hon. Member tries to put forth in this august House through his Question.

Firstly, when students enter into the academic facility of the IIT, they assure the institution and give an undertaking that their academic benchmarks that these students shall not only aspire to but also attain. It is when these benchmarks are not attained that IITs -- which are autonomous institutions as desired by an Act of Parliament -- within themselves have the capacity to expel or give students

preference to better their academic performances. The action of IIT, Roorkee was challenged in the court of law and the court of law upheld the IITs right to ensure that academic performance -- that the students themselves gave an undertaking to uphold -- is upheld. However, IIT, Roorkee undertook an initiative to take these students back only if they yet again fulfill those academic standards that they gave an undertaking when they entered into the system.

So far as his reference to the IIT, Chennai issue is concerned, let me assure this hon. Member, through you, Madam Speaker, that even in the case of IIT, Chennai it is the institution, the Academic Executive Council and the Students Council, which has elected representatives of student bodies within the institution that set benchmarks for activities undertaken by any individual within the IIT campus. Hence, the Question that was posed to me is contested as a Minister.

SHRI KONAKALLA NARAYANA RAO: Thank you, Speaker Madam. I would like to know from the hon. Minister through you, Madam, we have all heard for some time about the demographic dividend that awaits our nation from its youthful population, but we can only reap the dividend if we train and educate our young people to be able to take advantage of what the world has to offer them in the 21st Century. There is nothing more dangerous to the nation than legions of undereducated, unemployed and unemployable young men with no stake in our society. Therefore, education in India is not just a socio-economic issue, but a national security issue as well.

We have a shortage of trained teachers as well as training institutes. If we train teachers badly, then they will teach children badly. The picture is even worse in higher education, Central Universities, IITs, NITs, IIMs, which are all suffering because of crippling shortage of teachers.

I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the Government has constituted a Committee sometime ago to study why the dropout rate has increased and the teacher-student ratio has hit a low.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, though the hon. Member seeks to get an answer for a question, which is not pertinent to the Question asked, I will, however, say that it is a continuous engagement and an effort by the Government of India to ensure that teacher vacancies and challenges within the Central Universities, NITs, IIMs, IITs, IISERs is something that we engage with those institutions and seek to address.

In so far as the fallout of not having enough talent, which is getting into the teaching profession, as the hon. Member might recall that the hon. Prime Minister of India on the 25 December 2014 launched the National Mission for Teachers Training, which also envisages a role for reviving good teaching practices; encouraging our youth to get into the teaching profession; and at the same time provide for in-service training for our teachers.

In so far as whether a Committee has been constituted with reference to the Question put by the hon. Member, that specific Committee -- I do not know where he gets that information -- does not exist. However, a Committee has been constituted to look into the challenges in the teaching professions within the Central University ecosystem.

श्री सी.आर.चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करूँगा। She has given a very detailed reply. इन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया है। इस रिप्लाई में स्पष्ट होता है कि there are three IITs जहाँ पर लड़कों का ड्रॉप-आउट ज्यादा रहा है। जहां पर लड़कों का ड्रॉप-आउट ज्यादा रहा है, उनमें दिल्ली, खड़गपुर और रुड़की हैं। These are the three best institutions. मैं समझता हूं कि इसका मेन कारण यह हो सकता है, इसके बारे में प्रश्न में पूछा नहीं गया था, इन तीनों संस्थानों में ड्रॉप-आउट इसलिए भी हो सकता है कि वे पीजी स्टूडेंट्स हों। जनरली पी.जी. स्टूडेंट्स किसी संस्थान को मेरिट के आधार पर ज्वाइन करते हैं। As soon as they get the chance in competitive examination or in Administrative Service they leave the institution. If this is the reason, then it is a healthy reason. अगर यह रीजन नहीं है तो दूसरा रीजन यह हो सकता है कि फैकल्टी फैकल्टी सही नहीं होते। इसलिए फैकल्टी बहुत अच्छी है। फिर भी हो

सकता है कि there is a shortage of faculty. Thirdly, there is best teaching, best training and placement. इन संस्थानों में प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। इस कारण भी पीजी और पीएचडी करने वाले लड़के बीच में छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि फैकल्टी रीजन और पी.जी. स्टूडेंट्स के लिए सुविधाओं को भी आप देखें कि कहीं सुविधाओं की कमी तो नहीं है, टीचिंग फैकल्टी पूरी है और कम से कम इस कारण से बच्चे छोड़कर न जाएं। इस बात को जरूर एनश्योर करने के लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : Hon. Speaker, the hon. Member makes one supposition, which is partly correct, which is that the IITs collate data on the basis of various variables within their institutions. कुछ यू.जी. के फिगर्स देते हैं, कुछ यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी, एम.एससी का डेटा देते हैं, इसलिए वह अंतर हमें इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है क्योंकि ड्रॉप-आउट की एक समान डेफिनिशन नहीं है, जो प्रत्येक आईआईटी में लागू हो। As IITs are autonomous institutions, वे लोग इस वैरिएबल को अपने फिगर्स में प्रोजेक्ट करते हैं।

जहां तक टीचर्स की कमी होने की वजह से ड्रॉप-आउट की बात है, वह सही नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि आई.आई.टी. कानपुर में न्यु फैकल्टी - न्यू होप के नाम से एक प्रयास चल रहा है, जिसमें एग्जिस्टिंग यंग फैकल्टी को इन-हाउस रिसर्च के लिए प्रोत्साहित को किया जाता है, उनको एकेडेमिक और मैटेरियलिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, तािक हम उन्हें वहीं पर रिटेन कर सकें। मैं आदरणीय सांसद जी को बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स से हमारा एंगेजमेंट मात्र तब तक नहीं है जब तक वह आई.आई.टी. के इकोसिस्टम में है, आई.आई.टी. के इकोसिस्टम में आने के लिए भी जब छात्र प्रयास करता है, हाल ही में कई छात्रों ने मंत्रालय को अवगत कराया कि आई.आई.टी. की एक्सेप्टेंस फी जनरल कैटेगरी में 45,000 रुपये और एस.सी.-एस.टी. कैटेगरी में 20,000 रुपये है। छात्रों ने कहा कि अगर हमें कोर्स में एडिमशन नहीं मिलता तो क्या यह संभावना है कि भारत सरकार हमारी मदद करे, यह पैसा हमें वापस दिया जाए, भले ही एक न्यूनतम फी प्रोसेसिंग के लिए हमसे ले लें। स्टूडेंट्स के इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सभी आई.आई.टीज, एन.आई.टीज से निवेदन किया है कि जिन लोगों को कोर्स में एडिमशन नहीं मिला है, उनका पैसा वापस किया जाए after taking a minimalistic processing fee.

HON. SPEAKER: Very good.

DR. M. THAMBIDURAI: Madam Speaker, just now the Minister gave the reply as to why there are dropouts in various institutions. If we see the Annexure to the written reply, in Mumbai 72 dropouts are there; in Delhi, 169 dropouts are there; in Kharagpur, 209 dropouts are there; and in Roorkee, 228 dropouts are there. Like this, dropouts are also high in such reputed institutions. At the same time, if you compare other reputed institutions like Mandi, it is Nil; in Jodhpur, it is Nil; in Kanpur, it is Nil; in Madras, it is Nil; and in Gandhinagar, it is only one. If you take even NITs also, in the reputed institute of Calicut 72 dropouts are there; in Jaipur, 136 dropouts are there; in Kurukshetra, 129 dropouts are there, in Rourkela, 139 dropouts are there; and in Raipur, 67 dropouts are there.

But the Minister in her reply has mentioned that: "The reasons for dropouts may be attributed to shifting to other colleges/institutions, personal reasons, medical reasons, getting jobs during PG courses, inability to cope with academic stress, etc." When you answered just now, this reason was not mentioned in it, but in the written reply you have said that stress is another reason. You have to find out why they have left these institutions because there might be some problem. I am saying this because students may not leave from reputed institutions. Why are they leaving from institutes in Mumbai and Delhi in high numbers, but they are not leaving from institutions in Madras. Some kind of a problem may be there. Technical education is very important. A lot of institutions have also been opened in the private sector where so many seats are vacant due to unemployment problem. Even after completing the education, they are not getting jobs. As far as IITs are concerned, they are reputed institutions. Most of the students who qualify from there are going abroad. Why is there this kind of differentiation? You said that academic stress was not a reason. However, in your oral reply, you have mentioned academic stress as a reason. Why are so many anomalies taking place in IITs? Are there any social reasons for it? For example, ragging is taking place and because of which many students have committed suicide. What are the preventive steps you are taking to address these issues?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: With all sense of humility, I submit to hon. Dr. Thambidurai that in my response to the first MP who posed this question to me, I had said that I contest the fact that there is no mechanism available within the IITs to address issues with regard to either academic stress, or for that fact academic challenges that children from weaker segments of society or children who are academically weaker face. Hence, I would like to firmly state here with all humility that to say that students do not take stress is not a statement that I made. I said that we have provided a mechanism that a student under stress within this eco system can approach and seek help and guidance from.

Insofar as hon. Dr. Thambidurai's question with regard to IIT – Kharagpur, IIT – Delhi and IIT – Roorkee as to why there is a large surge of dropouts from these three institutions is concerned, I would like to assure him that apart from these three institutions, even Mumbai, the Department has communicated with these institutions asking for the reasons as to why they feel there is such a large number of dropouts. I am sure that the institutions will respond to the Government of India soon. However, let me reiterate here the commitment of the Government to ensure that within these IITs, we will ensure that the mechanism to deal with academic stress, and the mechanism to help weaker students to strengthen themselves within the IITs is something that we are committed to and for ever shall be.

माननीय अध्यक्ष: कृपया शार्ट क्वेश्चन पूछें, बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नोत्तरी हो चुकी है।

SHRI P.P. CHAUDHARY: Madam Speaker, most of the students clear the Joint Entrance Examination (JEE), an entrance examination for IITs, purely on the basis of coaching classes where they teach at the surface level in such a short span of time. A majority of such students, while of a science background from school, who lack the fundamentals of the programme, join such centres to simply crack the exam at the expense of school learning. Moreover, a number of engineering courses require fundamental knowledge that is taught at the school level examination. Just now, hon. Dr. Thambidurai has stated that academic stress is one

of the reasons. In my view, there is incompatibility insofar as the entrance exam is

concerned and the level of teaching at the IIT.

My question to the hon. Minister is whether the Ministry proposes to

change the pattern of IIT-JEE to ensure that students entering the courses offered

by the IITs have the fundamental knowledge required. Will the IIT-JEE be based

on such knowledge or parameters?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, with all due respect, I am a

bit amused at the question that whether they have the fundamental prerequisites to

enter such an institution. This in itself is an oxymoron because obviously, the child,

irrespective of whether they have gone to a coaching institution or not, has that

technical/academic capacity and, that is why, they do so well in these

examinations. I think we should give a special compliment to those children. To

just say that only children who go to coaching centres manage to crack the exam is

a big disservice, especially to children from very poor families, who cannot afford

a coaching centre, but depend totally on their school education to crack this exam.

I, particularly as a Minister, am extremely proud of such children. I think the

Member will join me in congratulating them, especially for their success.

HON. SPEAKER: It is a very good answer; it has been very nicely answered.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 226 - श्रीमती रक्षाताई खाडसे। - उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

राजीव प्रताप रूडी): मैडम, मेरा आग्रह होगा कि प्रश्न संख्या 226 और 227 दोनों साथ जुड़े हुए हैं

इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

(Q.226)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंन इस देश के 60 प्रतिशत युवाओं के दर्द को समझते हुए देश में पहली बार कौशल विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया और आदरणीय राजीव प्रताप रूड़ी जी को इसका मंत्री बनाया और इन्होंने भी अल्पावधि में इस देश में चाहे एनएसडीसी हो, एनएसडीएफ हो या एनएसई हो अनेक योजनाओं के तहत इस देश के युवाओं को जोड़ने का काम भी किया है। मुझे गर्व भी है कि मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं और वहां की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट में राजस्थान देश में नंबर वन है। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि देश भर में महिला कर्मियों का प्रतिशत 21.63 है, जबिक उनकी साक्षरता का प्रतिशत 46 है। कौशल प्रशिक्षित नहीं होने की वजह से नौकरियां कम मिल पाती हैं। अधिकांश महिलाएं केवल साक्षरता प्राप्त करने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। क्या सरकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम को जोड़ने का काम करेगी? यदि हां, तो इसके लिए क्या रणनीति तैयार की गयी है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में सदन इतना बढ़िया चल रहा है और आज महिलाओं पर इस सवाल का उत्तर देने का अवसर आपके सामने मिला। इससे पहले स्मृति जी ने भी महिलाओं और शिक्षा के संबंध में उत्तर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: यह बात तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री वाली हो गयी, अब आप अपनी मिनिस्ट्री की बताइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अब मैं मिनिस्ट्री पर चला आता हूं।

महोदया, यह सवाल अपने आप में बहुत वृहद है। देश के इतिहास में पहली बार नेशनल मिशन ऑन स्किल डेवलपमेंट, जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 15 जुलाई को लांच किया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मिशन की प्रधानमंत्री जी स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी तक सभी मिशन औसतन संबंधित मंत्रालय के मंत्री द्वारा किया जाता था। हमारे पास जो माध्यम है और यह बात स्वीकार्य है कि महिलाओं की संख्या जो वर्कफोर्स में है, उसका अनुपात कम है और जिस अनुपात में देश में उनकी भागीदारी है, उस अनुपात में प्रशिक्षण का भी विशेष अभाव है। दो केन्द्र बिन्दू हैं, जिनके माध्यम से हम इस काम को आगे ले जाएंगे। सरकार ने निर्णय लेकर सभी आईटीआईज़ को हमें सौंपा है। उन आईटीआईज़ में महिलाओं के लिए डेडीकेटिड ट्रेनिंग सेंटर देश में केन्द्र द्वारा स्थापित कई रीज़नल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं,

जिनमें महिलाओं को आईटीआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे आईटीआईज़ हैं और आईटीआईज़ में और आईटीआईज़ के बाहर लगभग दो लाख महिलाओं को सीधे तौर पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी कौशल विकास कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लांच किया है और उसमें लगभग दो लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से लगभग 94 हजार महिलाएं हैं। यह काम ऐसा है कि जब हम समाज को विस्तृत तौर पर लेकर आगे बढ़ाएंगे तभी हम इस संख्या को आगे बढ़ा पाएंगे। पूरी योजना के साथ नेशनल स्किल पॉलिसी में और इसके अलावा अनेक मंत्रालय ऐसे हैं, जिनमें यह काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। माइक्रो मीडियम एंड रमाल इंडस्ट्रीज़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए है, इसके अलावा माइनोरिटी अफेयर विभाग की तरफ से भी कमजोर और अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह काम कई विभागों में चल रहा है और इस काम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मिली है। इस काम को हमने एक दिशा दे दी है। माननीय सदस्य ने महिलाओं को स्कूली शिक्षा से वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही है। जिसके लिए नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत स्कूली शिक्षा में भी क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत जिसमें बड़ी भागीदारी स्मृति जी कर रही हैं, उसमें भी महिलाओं को स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण की कार्रवाई बड़े तौर पर कर रहे हैं। कई राज्यों ने इस काम को प्रारम्भ कर दिया है, जिसमें से हरियाणा में यह काम स्कूलों में बड़े पैमाने पर चल रहा है। आने वाले दिनों में क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर, क्योंकि अभी तक मेट्रिक, हायर और बीए के सर्टिफिकेट पर रोजगार मिलता था। आने वाले दिनों में सरकार का यह निर्णय है कि स्किल सर्टिफिकेट के आधार पर भी सरकारी सेवाओं में और अन्य सेवाओं में रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नंबर 226 और 227 करीब-करीब एक ही हैं। एक क्वैश्चन में नॉर्थ-ईस्ट रीजन के संदर्भ में कौशल विकास की बात है और दूसरा महिलाओं के संदर्भ में है, हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं।

(Q.226 & 227)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने देश भर के अलग-अलग राज्यों से सांसदों को बुलाकर उनसे सुझाव लिये और क्या बैस्ट हो सकता है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

मेरा दुसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार महिलाओं के लिए कौशल विकास सैंटर और अन्य गतिविधियों को बढावा देने के लिए सीएसआर निधि से कोई अंशदान देने पर विचार कर रही है और हर जिले में महिलाओं के लिए अलग से कौशल विकास सैन्टर बनाने का क्या सरकार का कोई विचार है? श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, यह सवाल बहुत बढ़िया है और जहां तक इन्होंने कहा, मैंने देश के सभी सांसदों को मूलतः आग्रह करके उनसे बैठकें ली है। देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हो और जो अभी वर्तमान में भारत सरकार का कौशल विकास निधि का जो साधन है, वह माननीय सदस्य अपनी देखरेख में एनएसटीसी के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को लेकर और आपके संसदीय क्षेत्र में मोबिलाइजेशन का मेला लगाकर लोगों को पंजीकृत करने का जो काम है, उसमें कठिनाई यह हो रही है कि नौजवान साथी महिलाओं का आना कम हो रहा है। यदि ऐसी पंजीकृत संस्थाओं में महिलाओं का मोबिलाइजेशन हो सके, ऐसी महिलाओं और बच्चियों को यदि हम आइडेन्टिफाई कर सकें, जो शिक्षा से बाहर आ चुकी हैं, उनको पहचान कर प्रशिक्षण दिलाने में सहयोग करें। इसीलिए पूरे 543 संसदीय क्षेत्रों में जो लोक सभा क्षेत्र हैं, उनंमे एक समिति भी बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसदगण करेंगे और सांसदगणों के लिए आने वाले दिनों में ऐसा प्रयास है कि स्किल डैवलपमैन्ट का जो भी काम उनके संसदीय क्षेत्र में हो, हम लोगों ने कोशिश की है कि यूनिट को संसदीय क्षेत्र बनाया जाए और आपको उसका अध्यक्ष बनाया जाए और जो भी मोबिलाइजेशन हो, उन महिलाओं का मोबिलाइजेशन आप करें। यदि यह योजना कामयाब हुई और माननीय सांसद इसे कामयाब करने की स्थिति में हुए, अपने यहां निरीक्षण करके इस सैंटर को अच्छी तरह से चलाने की स्थिति में हुए तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी का भी ऐसा सोचना है कि किसी भी सासंद को अपने क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए साधन का अभाव नहीं होगा, यदि आने वाले दिनों में हम इस योजना में कामयाब हो गये।

SHRI RAM PRASAD SARMAH: Madam Speaker, I am grateful that the hon. Minister has taken a lot of steps in encouraging Skill India. North-East is primarily a region famous for agriculture and agriculture-related trades like handloom, textile, sericulture and plantation. What steps would the Government of India take

through the Ministry of Skill Development to encourage skilling of youths and farmers in handloom, textile, sericulture, plantation and agriculture related subjects in the North-East?

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, दो दिन पहले की बैठक में माननीय सांसद उपस्थित थे और इस विषय को उन्होंने उठाया था कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के उपक्रम करके हम लोगों को रोजगार दे सकें। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल स्किल डैवलपमैन्ट एजेन्सी के तहत सैक्टर स्किल काउंसिल है और देश में 36 सैक्टर स्किल काउंसिल्स का गठन हुआ है। उन सैक्टर स्किल काउंसिल्स में एग्रीकल्चर सैक्टर स्किल काउंसिल है। कृषि क्षेत्र में जो नार्मल एक्सटेंशन का प्रोग्राम होता है, वह कृषि मंत्रालय करता है, लेकिन उसके बाद उस एक्सटेंशन के प्रोग्राम के लिए जो कौशल की आवश्यकता है, उस काम को सैक्टर स्किल करेगा और एग्रीकल्चर सैक्टर स्किल में कई सारे क्वालिफिकेशन पैक्स हैं, जिनमें पम्पिंग सैट से लेकर कई सारी चीजों के सीखने का हनर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

जहां तक नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स का सवाल है, हम आईटीआईज के माध्यम से भी प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। अभी लगभग 80 आईटीआईज पूर्वोत्तर में हैं, जिनमें लगभग 72 सरकारी क्षेत्र में हैं और आठ निजी क्षेत्र में हैं। हम 2017 तक 298 करोड़ रुपये तमाम पूर्वोत्तर के क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में विशेष रूप से आईटीआईज में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का आने वाले दिनों में प्रस्ताव किया जायेगा। हम लगभग 300 करोड़ रुपये विशेष तौर से आईटीआई प्रशिक्षण के लिए नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्र में दे रहे हैं, जिसमें शर्मा साहब का असम भी शामिल है।

SHRI RAM PRASAD SARMAH: Madam, there is no industry in the North-East. Would the youths being trained by ITIs in industrial sectors be placed outside the North-East after their training and skilling?

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, अब देश में एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है, आज हमारे पास 1400 आईटीआईज में प्रशिक्षण के लिए तथा नामांकन के लिए उन्हें स्वीकार किये जाने के लिए प्रस्ताव है। इस देश में कुछ वर्षों में हम ऐसा महसूस करते हैं कि आईटीआईज में कुछ काम की कमी हुई है। लेकिन 1200 आईटीआईज में से कम से कम एक हजार आईटीआईज ऐसे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। उन्हें हमें पहचान करके तथा अलग करके कैटेगराइज करना है, क्योंकि कठिनाई यह हुई है कि एक कमरे में भी आईटीआईज चलने लगे हैं, जिनके कारण यह कठिनाई पैदा हुई है। लेकिन आज भी अच्छे आईटीआईज से निकलने वाले बच्चों की नौकरी सौ फीसदी गारंटी है। मैं बताना चाहूंगा कि आपके असम में भी कई बहुत अच्छे आईटीआईज हैं, उनमें चाहे वर्ल्ड बैंक की योजना हो या

और अधिक राशि देकर हम इन आईटीआईज को मजबूत करें। जैसे स्मृति जी भी जानती हैं, आज इंजिनियरिंग कॉलेजिस में सीट्स खाली रह जा रही हैं। लाखों की संख्या में सीट्स खाली हैं, क्योंकि बच्चे अब इंजिनियरिंग कर के रोज़गार नहीं पा रहे हैं। इस देश में लगभग 15 प्रतिशत ऐसे इंजिनियरिंग ग्रैजुएट्स हैं, जिनको इंजिनियरिंग करने के बाद रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दे कर सीधे रोज़गार से जोड़ा जाए और हमारे मंत्रालय ने लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि माननीय सांसद जब प्रधान मंत्री कौशल योजना से जुड़ेंगे तो देश में कहां-कहां, किन-किन उद्योगों में कितना-कितना रोज़गार हैं और कहां-कहां नौकरियां हैं, तािक आपके आपस के बीच में प्रतिस्पर्धा हो कि आपके यहां के बच्चे निकल कर वहां नौकरी के लिए जाएं, तािक कौशल प्रशिक्षण में आप भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें और अपने बच्चों को इन स्थानों पर भेज सकें। एक बड़ी व्यवस्था हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Hon. Speaker Madam, on behalf of Smt. Sushma Swaraj, I beg to lay on the table a copy of the Nalanda University First Ordinances, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. S/321/25/2014 in Gazette of India dated 11th June, 2015 under subsection (2) of Section 42 of the Nalanda University Act, 2010.

[Placed in Library, See No.LT 2903/16/15]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रिव शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः
 - (एक) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 2904/16/15]

- (दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन । [Placed in Library, See No.LT 2905/16/15]
- (तीन) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा टीसीआईएल बिना टॉल रोड लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 2906/16/15]

(चार) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 2907/16/15]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतर्संबंध उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 23 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 409-8/2014-एनएसएल-। में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2908/16/15]

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I beg to lay on the table a copy each of the following Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

		THIRTEENTH LOK SABHA
1.	Statement No. 35	Eleventh Session, 2002 [Placed in Library, See No.LT 2909/16/15]
2.	Statement No. 32	Fourteenth Session,2003
		[Placed in Library, See No.LT 2910/16/15]
		FOURTEENTH LOK SABHA
3.	Statement No. 31	Third Session, 2004 [Placed in Library, See No.LT 2911/16/15]
4.	Statement No. 28	Fifth Session, 2005 [Placed in Library, See No.LT 2912/16/15]
5.	Statement No. 33	Sixth Session, 2005 [Placed in Library, See No.LT 2913/16/15]
6.	Statement No. 26	Thirteenth Session, 2008 [Placed in Library, See No.LT 2914/16/15]
		FIFTEENTH LOK SABHA
7.	Statement No. 23	Second Session, 2009 [Placed in Library, See No.LT 2915/16/15]
8.	Statement No. 21	Third Session, 2009 [Placed in Library, See No.LT 2916/16/15]

9.	Statement No. 20	Fourth Session, 2010 [Placed in Library, See No.LT 2917/16/15]
10.	Statement No. 18	Fifth Session, 2010 [Placed in Library, See No.LT 2918/16/15]
11.	Statement No. 17	Sixth Session, 2010 [Placed in Library, See No.LT 2919/16/15]
12.	Statement No. 15	Seventh Session, 2011 [Placed in Library, See No.LT 2920/16/15]
13.	Statement No. 15	Eighth Session, 2011 [Placed in Library, See No.LT 2921/16/15]
14.	Statement No. 14	Ninth Session, 2011 [Placed in Library, See No.LT 2922/16/15]
15.	Statement No. 13	Tenth Session, 2012 [Placed in Library, See No.LT 2923/16/15]
16.	Statement No. 11	Eleventh Session, 2012 [Placed in Library, See No.LT 2924/16/15]
17.	Statement No. 10	Twelfth Session, 2012 [Placed in Library, See No.LT 2925/16/15]
18.	Statement No. 9	Thirteenth Session, 2013 [Placed in Library, See No.LT 2926/16/15]
19.	Statement No. 7	Fourteenth Session, 2013 [Placed in Library, See No.LT 2927/16/15]
20.	Statement No. 5	Fifteenth Session, 2013- 2014 [Placed in Library, See No.LT 2928/16/15]

SIXTEENTH LOK SABHA

21.	Statement No. 4	Second Session, 2014 [Placed in Library, See No.LT 2929/16/15]
22.	Statement No. 3	Third Session, 2014 [Placed in Library, See No.LT 2930/16/15]
23.	Statement No. 2	Fourth Session, 2015 [Placed in Library, See No.LT 2931/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, डॉ. जितेन्द्र सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-
 - (एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2932/16/15]

- (2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएँ) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

05.08.2015 42

(दो) लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएँ) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No.LT 2933/16/15]

(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014 जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1095(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2934/16/15]

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2015 जो 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2935/16/15]

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: On behalf of Shri Mukhtar Abbas Naqvi, I beg to lay on the table:

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No.LT 2936/16/15]

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Minorities Development and Finance Corporation and the Ministry of Minority Affairs for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No.LT 2937/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2938/16/15]

- (3) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2939/16/15]

- (5) (एक) यू.टी. ऑफ दादर एण्ड नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) यू.टी. ऑफ दादर एण्ड नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

05.08.2015 45

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2940/16/15]

- (7) (एक) यू.टी. ऑफ दमन एण्ड दीव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) यू.टी. ऑफ दमन एण्ड दीव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2941/16/15]

- (9) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2942/16/15]

(11) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2943/16/15]

- (13) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2944/16/15]

- (15) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2945/16/15]

05.08.2015 47

(17) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मॉडल स्कूल्स, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मॉडल स्कूल्स, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2946/16/15]

- (19) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2947/16/15]

- (21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2948/16/15]

- (23) (एक) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2949/16/15]

(25) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2950/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (वो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2951/16/15]

- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (वो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2952/16/15]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 2953/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay on the table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Biotechnology Industry Research Assistance Council and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No.LT 2954/16/15]

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): On behalf of Shri Babul Supriyo, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Housing and Urban Development Corporation Limited and the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No.LT 2955/16/15]

(2) A copy of the Metro Railways General (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 386(E) in Gazette of India dated 15th May, 2015 under Section 102 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002.

[Placed in Library, See No.LT 2956/16/15]

12.03 hrs.

RULES COMMITTEE 2nd Report

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): महोदया, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 331 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.03 ½ hrs.

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 4TH Report

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Hon. Speaker Madam, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2014-15) on the Subject 'Working Conditions of Women in Public Sector Banks'.

12.04 hrs.

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY 267th and 268th Reports

श्री राम सिंह राठवाः महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय संबंधी खादी और ग्रामोद्योग ओयोग (केवीआईसी) अधिनियम,
 1956 के आर्यान्वयन की समीक्षा के बारे में समिति के 259वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 267वां प्रतिवेदन।
- 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में 268वां प्रतिवेदन

12.04 ½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd and 1st Reports of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and Ministry of Urban Development respectively.*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): (1) Hon. Speaker Madam, I beg to lay on the table the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

(2) I beg to lay on the table the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Urban Development.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2957/16/15 and LT 2958/16/15 respectively.

12.05 hrs.

(ii)Derailment of Kamayani Express and Janata Express between Khirkiya and Bhirangi stations of West Central Railway on 04.08.2015.*

HON. SPEAKER: Now, the House will take up item No. 15A – Railway Minister. THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Madam, an unfortunate incident of derailment of Kamayani Express and Janta Express between Khirkiya and Bhirangi stations on Khandwa-Itarsi section of West Central Railway took place at about 2330 hours on 04.08.2015. According to the information available with me at this moment, bodies of 11 passengers of Janta Express and one passenger of Kamayani Express were recovered from the coaches and 25 passengers sustained minor injuries in this unfortunate in this unfortunate incident, who were given immediate medical treatment. The exact number of casualties is being ascertained by the Railway Officers at the accident site.

I personally monitored the situation throughout the night and co-ordinated relief and rescue efforts with the hon. Chief Minister of Madhya Pradesh. Accident Relief Trains and Accident Relief Medical Vans were immediately dispatched to the site. The Divisional Railway Manager, Bhopal and the General Manager, West Central Railway were directed to reach the accident site. The State Government and the Railways are jointly involved in the relief and rescue operations.

On humanitarian grounds, an enhanced ex-gratia of Rs. 2 lakh each to the next of kin of the deceased, Rs. 50,000 to the grievously injured and Rs. 25,000 to persons who sustained simple injuries have been announced.

The *prima facie* cause of the incident is stated to be 'flash flood due to heavy rains'. A statutory inquiry into this incident has been ordered to be conducted by the Commissioner of Railway Safety. Helpline numbers have been set up at all important locations and the Railways have been instructed to take all precautions in flood affected areas.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2959/16/15.

On behalf of the Railways and myself, I express deep condolences to the bereaved families and also express sincere sympathies to the injured. I trust the House will join me in extending heartfelt condolences to the bereaved families. My colleague Shri Manoj Sinha and I are now rushing to Madhya Pradesh.

12.06 ½ hrs.

(iii)Status of implementation of the recommendations contained in the 1st and 3rd Reports of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Posts, and Department of Telecommuncations respectively, Ministry of Communications and Information Technology.*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रिव शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2961/16/15 and LT 2962/16/15 respectively.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up item No. 16A – Shri D.V. Sadananda Gowda.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I would request the hon. Members to go back to their seats because this is an important matter raised by them. They should also hear that because it can help to resolve the issue. ... (*Interruptions*)

12.07 hrs

At this stage, Shri A.P. Jithender Reddy and some other hon. Members went back to their seats.

HON. SPEAKER: Shri Sadananda Gowda, you will have to wait for a Minute.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, item No. 17 – Shri Rajiv Pratap Rudy.

12.07 ½ hrs.

(iv)Status of implementation of the recommendations contained in the 186th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region.*

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

^{*} Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 2963/16/15.

12.08hrs.

(v)Setting up of High Courts under the provisions of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.*

HON. SPEAKER: Now, we will take up item No. 17A – Shri Sadananda Gowda.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam Speaker, the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 provides that a new High Court be constituted for the State of Andhra Pradesh and the existing High Court will become the High Court for the State of Telangana. Until such time, the High Court of Judicature at Hyderabad will serve as the common High Court for the States of Telangana and Andhra Pradesh.

To enable the creation of a separate High Court for the State of Andhra Pradesh, all the necessary infrastructure such as court buildings, quarters for the judges and officials and staff of the Court has to be created at the place that the Andhra Pradesh Government chooses to locate the High Court. Creation of the infrastructure is the primary responsibility of the State Government and it has to be done in consultation with the State High Court concerned, that is, the High Court of Judicature at Hyderabad, which is the common High Court for the States of Andhra Pradesh and Telangana.

Once the State Governments and the High Court take a decision on all relevant aspects and necessary infrastructure is made available, the Central Government will take immediate steps to issue the notification under the relevant provisions of the law.

The Government had already addressed the Chief Justice of the High Court and the Chief Minister of Andhra Pradesh to take all the necessary steps towards the creation of a separate High Court for the State of Andhra Pradesh.

A Public Interest Litigation, PIL No. 59 of 2015 was filed in the High Court of Judicature at Hyderabad on the issue of setting up of a separate new High Court

-

^{*} Placed in Libary, See No. LT 2960/16/15.

for the State of Andhra Pradesh. The High Court at Hyderabad pronounced its judgement/Order on 1st May, 2015 directing the Government of Andhra Pradesh to identify and locate the site where the permanent High Court of the State of Andhra Pradesh would be constituted in the territory of Andhra Pradesh. It also directed the State Government to take a decision on the question of allocation of funds and thereafter release, if allocation is made, to incur the expenses for creation of the permanent High Court. The Court also requested the hon. Chief Minister and the hon. Chief Justice to take a decision in consultation with each other to finalise the issue of setting up of the High Court building, Administrative Building, residences of the hon. judges and that of officers of the Court and staff quarters as early as possible, preferably within three months from the date of the communication of the Order.

Meanwhile, the ASG at Hyderabad has communicated that a review PIL was filed by the State Government of Telangana on the above court orders. ASG has also informed that the next hearing of the case is on 14th August, 2015. The matter is *sub judice* in the High Court.... (*Interruptions*)

12.11hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re : Situation arising due to alleged failure to establish a separate High Court in Telengana

HON. SPEAKER: Please sit down. He is speaking. I have allowed him to speak. SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, nothing new has been told by the hon. Minister. Yesterday, the hon. Parliamentary Affairs Minister while speaking had said and I quote:

"उन्होंने कोई गलत उद्देश्य से नहीं बोला। वहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति और जो आज की स्थिति है, हाई कोर्ट के सामने इस याचिका द्वारा गई है और मुझे बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अंदर..."

यह कहते हुए उन्होंने कहा -

"I know as a person, who has stayed in Hyderabad for long, that once you divide a State you cannot have one High Court. It is very clear, if you divide a State there should be two separate High Courts. That will be good for this region and that region also. We are very clear on that. The Government is trying to address how to go about it and what are the practical problems"

In the Media and the Papers, everybody is saying that Venkaiah Naidu ji and Chandrababu Naiduji.....(আব্যান)

माननीय अध्यक्ष: मीडिया की बात नहीं करें तो अच्छा है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, जो उसके अंदर है, वह मैं बता रहा हूँ। They were quoting that......(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Jithender ji, this will not go on record.

... (Interruptions)...*

माननीय अध्यक्ष: मीडिया और इसकी चर्चा आप यहाँ नहीं करें। आप फैक्ट्स दें और whatever he has said, the matter is *sub judice*.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: अगर गलत है तो आप रिकार्ड से निकाल दीजिए। ...(व्यवधान)

_

^{*} Not recorded.

HON. SPEAKER: This will not go on record.

... (Interruptions)... *

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैं सिर्फ यह बात बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर ख्वामखाह आरोप कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON.SPEAKER: He has given the facts. The matter is *sub judice*.

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैं वहीं बोल रहा हूँ। मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप रिकार्ड से निकाल दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: When the Law Minister is saying something, how can you say something different from him?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था, वह गलत आरोप उन्होंने बोला कि personally, I feel that a separate High Court has to be given. That statement, yesterday, the Union Minister had made. And after that we went and met Shri Jaitley. We showed him Section 31, where it clearly says that you have to form separate High Courts; one in Andhra Pradesh and one in Telangana.

HON. SPEAKER: Nobody is rejecting it.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: My colleague, Shri Vinod yesterday very specifically said that as the Secretariat is here, the DG is here and they have got their own Anti Corruption Wing here and the Chief Minister is also staying in Hyderabad, he said that they are ready to provide place for a separate High Court also.

Madam, giving a separate State is one thing but it is very important to give a High Court also. Now the Minister is saying that there is a review petition. Why was the review petition filed? It was filed because the judgement says that the High Court has to be formed in that region and a building including accommodation has to be made there. Everything is available in Hyderabad for them. For ten years, it is our duty to look after them. Our Chief Minister will

^{*} Not recorded.

look after them nicely. Till now during the last one year and two months, there is no crime of grave hatred has been registered in any police station against anybody. We are looking after them as our guests. We would always look after them. जब हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को आपत्ति नहीं है, हमारे होम मिनिस्टर जी को आपत्ति नहीं है, हमारे जेटली जी को आपत्ति नहीं है, हमारे युनियन लॉ मिनिस्टर को आपत्ति नहीं है तो आज इसको क्यों टाला जा रहा है? This is not at all a government decision. This is a political decision. If the Cabinet sits tonight, it can decide it today and just notify it. आज रात के रात यह चर्चा खत्म होने वाली है। This is not at all sub judice. The sub judice matter relates to the region for which we have already put a review petition. So I would like to say that this is a political decision which has to be taken. It can be done within one night. आज शाम को अगर कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है, मैडम, आप देख रहे हैं कि हम आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आपके बिजनेस के अन्दर में हम इण्टरप्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर हम तकलीफ ले रहे हैं, हमारे पैरों के ऊपर हम खड़े हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पूरे एम.पीज़. लोग वहां पर खड़े रहकर अपना कष्ट ले रहे हैं। इतना कष्ट लेने के बाद भी गवर्नमेंट को बैड नेम आएगा, खराब नाम आयेगा। राजाज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी रिक्वैस्ट आपसे है कि इस छोटे से मैटर के अन्दर आप दखल दीजिए।

HON. SPEAKER: That is not the question. I know it.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: You tell the Minister that this is a political decision which has to be taken. It has to be rectified immediately.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Madam, the review petition has been filed by Telangana State Government because that judge had challenged the jurisdiction of the Government of India. In fact, the Government of India had to file the petition whereas we have filed the petition. We want to upheld these institutions but you are not cooperating with us. It is a political issue. ... * wants to rule Telangana State through the High Court... (*Interruptions*)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: That name should not be there. No allegations against anyone and no names should be there. I am sorry Shrimati Kavitha, this is not fair.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Madam, the Union Government has to protect the rights of Telangana... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have already said that no names should be taken and no allegations should be made.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now you listen to the Minister.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam, I totally disagree with the view expressed by my learned colleagues because no political decision will be taken by this Government as far as Andhra Pradesh Reorganisation Act is concerned. Whatever is there in the Act, we are committed to that... (*Interruptions*). But at present, there is a review petition which is pending before the High Court at Hyderabad. The matter is *sub judice*. I am unable to express my views. But we are committed to see that whatever things are there in the Reorganisation Act and those will be fully supported. We will take care of everything as far as establishment of High Court for Telangana is concerned... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Now nothing more. It is sufficient. Now Mr. Srinivasarao to speak.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not fair.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not fair.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, Speaker, this is too much. I must tell that we are Indians. We are also matured

enough to understand as to what are the problems of this region and that region. This Parliament and this Party has decided to support it. We are very clear about the division of the High Court between the States of Telangana and Andhra Pradesh. Government is very clear about it... (*Interruptions*) Shri Vinod Kumar, if you say something then you must be in a position at least to have patience to hear others also. If you do not want to hear, then I leave it. I will ask my Minister also to withdraw the statement and you do whatever you want to do... (*Interruptions*) HON. SPEAKER: Shri A.P.Jithender Reddy ji, I am not allowing you. This will not go on record.

... (Interruptions) *

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: What is this region and that region? We are not a regional Party. We are a national Party and we are proud being a national Party. Regional Parties have their own place and a national Party has its own place. My point is very simple. It is a very emotive issue and we should not rake up emotive issue. We should not politicize it also. We cannot take the names of people who are not here to defend themselves.

HON. SPEAKER: I have already said that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Coming back to the issue, there are national parties and there are notional parties also. The issue is, how do you go about implementing what has been promised in the Act? Secondly, the Government has taken a decision in principle and the hon. Minister has made it very clear. Then, a move has started. The hon. Minister has written a letter to both the Chief Ministers and also to the Chief Justice and the court has also given some orders. It has been rightly mentioned by Shri Vinod Kumar that court has given some opinion about the location of the court. There is a practical problem. The entire House and the country must understand that if you have to locate a High Court in a particular place, then it will take some time. So, one suggestion that was given ... (*Interruptions*) when people ask you what are the promises you have made and

* Not recorded.

why have you not implemented in fourteen months? people will say such things also.

Madam, it is a practical problem. I am saying this with all seriousness. To set up a court you need identification of place and then construction and other things. The suggestion given by Shri Vinod Kumar appealed to me. I told him privately and I told my Minister also yesterday and I told them to discuss this matter. If the Telangana Government itself is coming forward to say that the Andhra Pradesh High Court can be switched to Hyderabad for some time till alternative arrangements are made as in case of the State Capital of Andhra Pradesh being in Telangana along with other institutions. That is a very meaningful suggestion. But this issue has to be clinched again before the court where a petition is pending. I would like to request the hon. Minister, my colleague, saying that this suggestion could also be placed before the court and then at the end of it we must get a satisfactory resolution by the court because we should explain to the court the practical difficulties in adhering to the order of the court that was given saying that you go and locate the court there as per the Act and all. This is a transit arrangement, a temporary arrangement. We can work on those lines. I hope the Law Minister who is a seasoned person, he will understand the spirit made behind the request by Shri Vinod Kumar and other friends. I see merit in that. That can be examined and the Government can take further action including taking the High Court into confidence. But without disposing it, Government unilaterally taking action is not practically possible.

My friend Shri Jithender Reddy was saying that it is a political decision all. The political decision has already been taken. That is why we supported it. But now the question is that administrative action has to be taken. Administrative action has to have the consent of the court. Finally, we are deciding about the High Court and so High Court also has to be taken confidence. The Government will be moving in that direction. I would like to request my friends not to politicize this

issue and bear with the Government for some time and see whether the Government is really sincere about this or not. You will come to know of it shortly. HON. SPEAKER: Shri Srinivasa Rao, he had already explained it. Hon. Minister of Parliamentary Affairs has explained everything and I myself have said that no names and no allegations should go on record. What do you want now? But now again there should not be any allegations or something.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Madam, I will not do that.

HON. SPEAKER: What do you want to say then? The hon. Minister has already explained everything.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): For each and every thing they are dragging the name of my Chief Minister who is not available here. ... (*Interruptions*) That is not right.

HON. SPEAKER: I have said it already.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): We have sections 8, 9 and 10 which is very clear about where it has to be implemented and discussed by both the Governments. Recently, as early as 15 days back, almost 1,500 employees have been removed. They have been discharged from the duties. They are neither in Andhra Pradesh nor in Telangana. How will they survive without salaries? They are not getting their salaries. These sort of things are happening. There are 100 institutions under Section 9 and another 100 institutions are there under Section 10. ... (*Interruptions*) Everybody knows that. They are not implementing it.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam Speaker, already the matter is pending before the High Court of Hyderabad. Let my friend Shri Vinod Kumar and their colleagues raise that issue before the Court. Whatever the decision that comes from the Court, we are prepared to obey that. The Central Government is committed that the High Court needs to be bifurcated at the earliest. The procedure has to be taken care of. I have

written to the Chief Minister of Andhra Pradesh to provide the infrastructure and other things as early as possible. As soon as we get all those things, we will go ahead with it.

12.27 hrs.

(ii) Re: Problems being faced by Tamil Nadu fishermen

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I thank you very much for allowing me to speak on this perennial issue of fishermen belonging to Tamil Nadu, daunting the entire Tamil community.

I have given a notice to move an Adjournment Motion in this regard. Fishing is the traditional occupation for more than ten lakh fishermen living in coastal villages of Tamil Nadu. These fishermen are not only earning their livelihood, but they are also earning the much needed foreign exchange for our country. These earnings could be increased if the Tamil fishermen are not attacked by the Sri Lankan Navy.

Due to such frequent attacks, several thousands of fishermen are injured, maimed and even killed, leaving their families as orphans. Over the years and months, these attacks have become very frequent and severe. From capture, detention and harassment of our fishermen, now the stage has come when they are shot at sight. It is a criminal, inhuman and unjustified action by Sri Lanka.

Despite raising this issue on several occasions in the House, no concrete action had been taken in this regard by the Government. What is more intimidating for us and what is increasing the frequency of such attacks is the statements being given by the highest authorities in Sri Lanka.

The Sri Lankan Prime Minister has the temerity to order shoot the Tamil fishermen at sight, even when our External Affairs Minister was in Sri Lanka. So far, his statement was not condemned by any one.

My leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma has consistently been taking up this issue with the successive Prime Ministers of this country, but to no avail.

Attacks on fishermen do not happen only with Tamil fishermen. Such attacks do take place with the fishermen of Kerala, where foreign vessels come and take away their cache. The Gujarat fishermen are attacked and are captured by

Pakistan. Like this, there are many common issues that need to be discussed on the floor of the House. Our Parliament follows democratic principles, where hon. Members belonging to all parties take part in discussions and debates.

Coming to my Adjournment Motion notice, I would request the hon.

Minister of External Affairs to take immediate steps to safeguard the interests of
Tamil fishermen and condemn the statement made by the Sri Lankan Prime
Minister

I would also request that my Adjournment Motion notice may be admitted and a discussion may be allowed to begin immediately.

HON. SPEAKER: That decision has already been given. It is okay. You have raised the issue. Thank you.

Shri Rabindra Kumar Jena and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the matter raised by Dr. P. Venugopal.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING ALLEVIATION AND URBAN POVERTY AND MINISTER PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, this issue is very serious one and it is a recurring issue. It has not occurred all of a sudden. I want to tell the House also that the Minister of External Affairs is taking necessary interest and is engaged in discussion with Sri Lanka from time to time. We are trying to get our Tamil fishermen who are caught in Sri Lanka on every occasion. I may also tell the House that hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, after becoming Prime Minister spoke to Sri Lankan counterpart and got five fishermen who were convicted, got them back without any case also. That shows the sincerity of the Government. This is a recurring problem. This has to find a permanent solution. I will convey the feelings of the hon. Member Dr. P. Venugopal and the others to the hon. External Affairs Minister to take necessary action in this regard. Because it is a sensitive matter, that is why I thought I should intervene.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Hon. Speaker, on your advice, the word given by the hon. Home Minister Shri Rajnath Singh and the hon. Parliamentary Affairs Minister Shri Venkaiah Naidu, we would like to wait for some more time for the Government of India to take proper decision in declaring the State of Andhra Pradesh as a Special Status State. Five crore people of Andhra Pradesh are agitating on this very issue. That is why, our Party President Shri Y.S. Jaganmohan Reddy along with 67 MLAs, MLCs, MPs and 3000 party workers is going to stage a *dharna* at Jantar Mantar on 10th of this month. That is why, I would request the Government of India to take a positive decision at the earliest. To keep up the promises made on the floor of Parliament is a great fundamental sanctity of parliamentary democracy. That is why I would request the Government of India to keep up their promises and see that Andhra Pradesh is declared as a Special Status State. Thank you very much.

HON. SPEAKER: Shri K. Parasuraman. You have given notice. Your name is first in the "Zero Hour" list.

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Speaker, it is a well-known fact that the Sports Authority of India plays a pivotal role in the development of sports across the country. There are various training centres functioning under the Sports Authority of India with a view to develop sports standards. Under the Come and Play Scheme, the Sports Authority of India expands its training activities to all parts of the country. As far as Thanjavur is concerned, it comprises a number of small villages and the youth in this constituency have adequate sports talent and potentiality for various sports activities but have lesser opportunity to participate in the national-level sports competitions due to inadequate training. Now, the construction of an indoor stadium is going on at Vaduvoor village with the support of the Sports Authority of India. Therefore, I would like to urge upon the Government to establish an extension centre for Special Area Games in Vaduvoor with adequate, advanced equipments and hostel facilities so as to enable more

youth from my constituency to participate in the national and international sports competitions. Thank you.

श्री आर.के.सिंह (आरा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा पाकिस्तानी झंडा वेभ किया जा रहा है। यह बार-बार हो रहा है। अब देश इस स्थिति में नहीं है कि इस तरह के एंटी नेशनल कार्रवाई को बर्दास्त करे। हम लोग यह पूछना चाहते हैं कि इस तरह के एंटी नेशनल कार्रवाई पर राज्य सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर राज्य सरकार इस पर कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है तो केन्द्र सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? इस पर कार्रवाई नहीं करने से एंटी नेशलन एलिमेन्ट्स का मोराल बढ़ता है। हमारा गृह मंत्रालय और केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो एंटी नेशनल एलिमेन्ट्स का मोराल बढ़ेगा।

मैडम, कुछ ही लोग हैं जो आई.एस.आई. के द्वारा फंडेड हैं, उनको झंडा दिखाने के लिए पैसा मिलता है। पहले आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता था क्योंकि एक-दो बार ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की गयी। अभी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह हम को जानकारी नहीं है। मैं पूरे देश का सेंटीमेंट एक्सप्रेस कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डा. वीरेन्द्र कुमार और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री आर.के.सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा, उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं। अमरोहा संसदीय क्षेत्र में 3 तहसीलें हैं, 6 विकास खंड हैं तथा कुल आबादी लगभग 18,38,771 है जिसमें से ज्यादातर आबादी खेती-बाड़ी व पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु उनके हित में बहुत सी योजनाएं कृषि अनुसंधान व कृषि तकनीकी की नवीनतम जानकारियां समय-समय पर जारी की जाती हैं। परन्तु सूचना के अभाव में ये जानकारियां किसानों को समय पर प्राप्त न हो पाने के कारण हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा, उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने एवं पशुपालक किसानों के दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं रखरखाव से संबंधित जानकारी देने हेतु पशु स्वास्थ्य

05.08.2015 74

मेले का आयोजन करवाने की कृपा करें जिससे हमारे किसानों को कृषि अनुसंधान से संबंधित योजनाओं, नवीनतम कृषि तकनीक एवं पशु स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां समय पर मिल सकें और वे उसका फायदा उठाकर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करें।

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कृषि कार्य में लगे नागरिकों की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरह मनरेगा को सरकार महत्वकांक्षी योजना बनाकर आम लोगों को रोजगार उत्पन्न करा रही है, उसी तरह कृषि व्यवसाय वालों को भी रोजगार योजना शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में इस बार आवास की स्थिति बनी हुई है। किसान कर्ज लेकर कृषि कार्य करते हैं। मात्र 4 माह कृषि कार्य करते हैं और 8 माह खाली बैठे रहते हैं जिस कारण किसानों को कर्ज चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कर्ज के कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं।

अत: आग्रह है कि कृषि कार्य में लगे किसानों के लिए रोजगार योजना शुरू करनी चाहिए जिससे किसान कृषि कार्य के बाद उस योजना से जुड़ सकें एवं अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इस योजना में जिनकी कम जमीन है तथा 18 से 65 वर्ष के किसानों को कृषि जॉब कार्ड देने की आवश्यकता है। जिसकी जिस तरह की जमीन है, उसे उसी लायक मजबूर जॉब कार्ड देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री राम दास सी. तड़स द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

*SHRIMATI V.SATHYABAMA (TIRUPPUR): Hon. Madam Speaker, thank you for this opportunity. Kodiveri dam was constructed across Bhavani river by Hindu rulers of Mysore during 17th century. This dam is in a place called 'Periya Kodiveri' in Gobichettippalayam Taluk, Erode district of Tamil Nadu. Tadappalli and Arakkankottai water channels are attached to this Kodiveri dam on both sides. There is an artificial waterfall for an height of 20 feet constructed with help of small and big stones across the river. Water is stored as well. On the left and right sides of the dam, there are two irrigation canals namely Tadapalli and Arakkankottai. Under the orders of Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu and revered leader of the world Dr. Puratchithalaivi Amma, work relating to laying of concrete lining was undertaken in both Tadappalli and Arakkankottai canals for a stretch of 4 km at a cost of Rs. 40.45 Crore on war footing basis and completed within one and half months. Farmers, living around Gobichettippalayam and adjoining areas, benefitted by this project are extremely happy. There is still some work pending as regards these two water canals. If this work is completed well in time, agricultural activities may be undertaken besides ensuring continuous flow of water. This project is helpful for irrigating 24,504 acres of agricultural land in Gobichettippalayam, Andhiyur and Bhavani Taluks of Erode district. I therefore urge upon the Union Government to allocate adequate funds for completion of remaining work relating to this project.

Thank you.

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter regarding vandalism of Hindu temples in United States of America. In the recent past, Hindu temples are targeted all over United States of America and also in other countries. Hindus and Hindu temples have become soft targets there. These types of incidents take place before the major Hindu festivals. Religious temples are places where people feel safe, have peaceful worship and draw inspiration to serve others. On 17th September, 2014, anti-Hindu incidents took place in United States. Few days back also, the same type of incidents occurred in America.

So, I request the Government of India to take up this matter with the US authorities so that these types of incidents do not occur in future.

HON. SPEAKER: Kumari Shoba Karandlaje is permitted to associate with the issue raised by Shri Gajanan Kirtikar.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity to raise a very important matter pertaining to the sufferings of the farming community of our country.

Farming in modern days has become more cost intensive with more of technology inputs. Any form of natural calamities, which visit the State of Odisha regularly and disease or pest outbreaks inflict irreparable loss to farmers. The impact of climate change is expected to worsen the loss suffered in the farm sector, the life line of our country. Unless and until ample assistance is extended to the suffering farmers it would be impossible for them to resurrect their farm enterprise. The input assistance extended from the Calamity Relief Fund (CRF) to the affected farmers for crop loss suffered due to natural calamities need to be enhanced suitably from the existing Rs. 6,800 and Rs. 13,500 per hectare of unirrigated and irrigated land respectively subject to a minimum of Rs. 2,000. Similarly, the input assistance given for perennial and horticultural crops for crop loss at the rate of Rs. 18,000 per hectare subject to a minimum of Rs. 4,000 should also be enhanced suitably.

Our hon. Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik has written many letters to the Union Government to look into the matter and do the needful. So, I urge upon the Union Minister of Agriculture to suitably enhance the input assistance extended from the Calamity Relief Fund to calamity affected farmers and help the farming community.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Dr. Prabhas Kumar Singh.

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र सहारनपुर के गंगनौली में बजाज हिन्दुस्तान मिल द्वारा सुगर मिल संचालित है। बजाज हिन्दुस्तान एशिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पदनकर्ता द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर को एक पत्र लिखा गया कि आगामी पेराई सत्र में वह मिल चलाने में असमर्थ हैं क्योंकि गन्ना किसान मिल को पूरा गन्ना नहीं दे रहे हैं। यह सरासर असत्य बात है बल्कि सच्चाई यह है कि मिल मालिक द्वारा किसानों का भुगतान सही रूप से नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस ग्रुप की 14 मीलें संचालित हैं। अभी बीते पेराई सत्र में 46,0000 क्विंटल गन्ने की पेराई मील द्वारा की गई है जिससे 4,14000 क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है और 1,60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ है। इन आंकड़ों से हम यह देख सकते हैं कि मिल को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ है।

महोदया, मेरे क्षेत्र के लगभग 40 से 50 हजार किसान इस मिल से जुड़े हुए हैं। यदि यह मिल बंद होती है, तो किसान बर्बाद हो जायेगा और भूखमरी के हालात पर पहुच जायेगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि सरकार मिल प्रबंधन और बजाज हिन्दुस्तान ग्रुप के प्रबंधन को निर्देशित करे कि वह गांव गंगनौली में स्थित शुगर मिल का संचालन बंद न करे। यदि फिर भी प्रबंधन द्वारा इस मिल को बंद किया जाता है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा टेनी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभागार में रख रहा हूं और सम्मानीय प्रधान मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे इस पर ध्यान देकर मदद करें.। ग्रामीण इलाके के विकास के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रास्ते बनाने का प्रावधान पिछले कई वर्षों से चालू है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज वन के अंतर्गत कई रास्तों का निर्माण हुआ। उसके बाद फेज-टू की भी शुरूआत हुई। लेकिन दुर्भाग्य से फेज वन में जितने रास्ते बनाये गयें, उसमें से कई रास्तों के लिए निधि का वितरण न होने की वजह से पिछले एक साल से उनका काम रुका

पड़ा है। फेज-टू में जो रास्ते मंजूर हुए हैं, उनका काम भी शुरू हो गया है, लेकिन निधि न होने की वजह से वह काम भी रुक गया।

अध्यक्ष महोदया, लोगों की सहायता के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए निधि न होने की वजह से यह काम बंद हो रहा है, उससे लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत किठनाइयां हो रही हैं। वैसे हमने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी मिलकर विनती की है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय पंत प्रधान जी से विनती करूंगा कि देश के ग्रामीण विकास की इस महत्वपूर्ण योजना पर आप ध्यान दें और उसके लिए मदद करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री श्रींरंग आप्पा बारणे, श्री प्रतापराव जाधव, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री राजन विचारे को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker, Madam, *Vanakkam*. First of all, I pray my dynamic leader, Amma.

Madam, I want to raise an important issue concerning all the Members of Parliament and ex-Members of Parliament while traveling and crossing the toll-tax gates functioning in various National Highways across the country. It is the only bottleneck and major hurdle in the movement on National Highways in the country and it needs to be sorted out immediately to save the precious time of the commuting people and ease the movement of goods. All the concerned departments must act positively to resolve the difficulties.

Madam Speaker, as we are the people's representatives, we tour across our constituency and sometimes we go to State Headquarters in connection with our constituency problems. While going to airport or railway station or while undertaking tour by road, we have to cross the toll-tax gate. Our vehicles with MP sticker are not being allowed a hassle-free entry in all toll-tax gates even after showing our identity card which creates unnecessary problem. Sometimes our PAs or our representatives use our vehicle to drop us to and to pick us up from the airport or the railway station; at that time too they are facing the same problem.

Hence I would request the Union Government, through you, Madam, to

take necessary steps, and instructions may be given to the concerned authority to allow the vehicles of the Members of Parliament and ex-Members of Parliament a hassle-free entry in all the toll-tax gates functioning in the country for the convenience of the Members as a privilege extended to us. Thank you, Madam. कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष जी, रेगिस्तान जहाज जिसे शिप आफ डेजर्ट कहते हैं, मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। ऊंट सिर्फ आवागमन और वाणिज्य के लिए बहुत जगह काम आता है। यह राजस्थान में ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम आता है लेकिन आजकल इसकी दशा ठीक नहीं है। इनमें बहुत बीमारियां हो रही हैं और वध भी हो रहा है। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देता हं कि 2015 में विधान सभा में एक्ट लाई हैं कि अगर इनका वध किया जाएगा तो गंभीर दंडनीय अपराध होगा। ऊंटों की आबादी 1951 में करीब 3.25 लाख थी। हर साल सेंसस होता था, 1977 में इनकी आबादी करीब आठ लाख थी। 1983, 1988, 1997 में सेंसस हुआ था। 2012 में इनकी आबादी आठ लाख से 3.20 लाख हो गई है, घटती जा रही है। इनका बचाव बहुत जरूरी है। मेरा इतना ही कहना है कि इनकी घटती आबादी को देखते हुए भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार को निदेश जारी किया जाना चाहिए। ऊंटों की संख्या को देखते हुए इनके बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं, इसी तरह भारत सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इनकी स्थिति और खराब हो जाएगी।

मैं आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में विचार करके उचित कदम उठाएं।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के राजगढ़, तारानगर, नोहर व भादरा के अधिकांश गांवों में मोठ, बाजरा, ग्वार और तिलहन की फसलों में रैडहैड कैटरिपल्लर का प्रकोप सर्वाधिक मात्रा में है जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र के बीदासर, सुजानगढ़ व सरदारशहर तहसील के गांवों में मूंगफली की फसल में सफेद लट्ट जिसे व्हाइट ग्रब भी कहा जाता है, का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इससे मूंगफली की अधिकांश फसल नष्ट हो चुकी है। इस क्षेत्र में गत वर्ष के दौरान सफेद लट्ट का बहुत प्रकोप रहा था जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। अब ग्वार की फसल में रैडहैड कैटरिपल्लर रोग का प्रकोप शुरू हो गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को मूंगफली की सफेद लट्ट, खरीफ की अन्य फसलों में रैडहैड कैटरपिल्लर व ग्वार फसल में तेला रोग के प्रकोप से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के कीटनाशी रसायन यथा समय अनुदान पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का समभाग मुख्यालय है। यह जनजातीय क्षेत्र है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, छः जिले आते हैं। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। यहां वन सम्पदा और खनिज सम्पदा है। यहां जिंक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जावर माइन्स, उदयपुर है। यहां से ज्यादातर लोग अरब देशों में रोजगार के लिए, रोजी-रोटी के लिए जाते हैं। वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय जोधपुर में है जो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से 600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वर्ष 2014 में 35000 पासपोर्ट उदयपुर समभाग से बने थे। इस तरह वर्ष में बनने वाले अधिकतर पासपोर्ट उदयपुर समभाग के लोगों के बनते हैं। हाल ही में 1 जून, 2015 को भारत सरकार की माननीय विदेश मंत्री महोदया सरकार के एक साल पूर्ण होने पर उदयपुर आई थीं, उन्होंने जनता की मांग के आधार पर घोषणा की थी। इसी संदर्भ में उदयपुर नगर निगम ने निःशुल्क भवन देने के लिए हामी भरी है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी की घोषणा के अनुसार टेक्नीकल टीम उदयपुर भेजकर स्थायी पासपोर्ट कार्यालय खोलकर इसे मूर्त रूप दे और उदयपुर समभाग के आदिवासियों और आम जनता के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात में पिछले कुछ सालों से कुछ लोग अनजाने फोन कॉल्स से लोगों को बिना कोई गारंटी या बिना पेपर देने का लालच देकर लाखों रुपया फर्जी बैंक एकाउंट में जमा करवाते हैं। आम लोग जिसे बैंक का प्रोसीजर पता नहीं होता है, ऐसे लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और लोन के लिए एडवांस जमा करवाना है, ऐसी बात करके ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने फर्जी बैंक एकाउंट में जमा करवाते हैं। ऐसे लोगों का कोई स्थायी पता नहीं होता है और बाहरी राज्यों के बैंक एकाउंट होने की वजह से स्थानीय पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। इस विषय में ईमेल और

एमएस के जरिये से भी लोगों से पैसा लिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से मांग है कि इस विषय में संज्ञान लेकर आगे की कार्यवाही करे।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Madam Speaker, in the democratic form of governance, we have three vital components. Legislature, Judiciary and Executive are the three pillars that reach public through Press, which is acknowledged as the fourth pillar. Whenever any Government campaign is taken up for public welfare, the Executive reaches people through Press, using all the social media avenues. Advertisements to draw the attention of public have always been carrying the picture of the elected executive Heads of Central and State Governments. So, publishing pictures of the Prime Minister and the Chief Minister are very relevant and important. In Tamil Nadu, our beloved Leader, Hon. Chief Minister, Amma implements several welfare measures which are aimed at different sections of the society are going on in a big way. To create awareness among the public about the welfare schemes and also to connect the beneficiaries with the Government, the picture of people's leader of the State is necessary.

Hence, I would urge upon the Union Government to take suitable action for publishing photograph of the concerned State Chief Minister in Government advertisements.

Thank you.

श्री भगवंत खुवा (बीदर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब विदेश दौरे में जा रहे हैं तो काफी देशों को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रख रहे है। जिन देशों को आर्थिक मदद देने के लिए हां कर रहे हैं, उन देशों में उदाहरणार्थ जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये देश चीनी का उत्पादन नहीं करते हैं। भारत में इस साल चीनी का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ है। हमारे पास बहुत चीनी है। आर्थिक सहायता के अन्तर्गत चीनी को यदि हम एक्सपोर्ट करें तो भारत के किसानों के लिए बहुत मदद हो जाएगी और हमारी कृषि उपज जो दाल होगी या चीनी होगी या गेहूं होगी, उन देशों को यदि हम दे दें तो हमारे किसानों के लिए बहुत मदद होगी। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत खुबा द्वारा उठाये गये विषय से श्री भैरों प्रसाद मिश्र को एसोशिएट किया जाए।

प्रो. रिवन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन साल से मेरा उस्मानाबाद जिला सूखाग्रस्त है। पिछले एक साल में मेरे जिले में कम से कम सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या करने की वजह िसंचाई के लिए पानी का नहीं होना है। अभी पीने के लिए भी पानी नहीं है। पिछले साल जो टैंकर चालू किये गये थे, वे चालू हैं और उसकी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में किसानों ने पिछले साल जो गन्ना चीनी मिलों में दिया था, उनको जो पेमेंट देना चाहिए था, वह दिया नहीं है। दो मिलों ने एक रुपया तक पेमेंट नहीं किया है। इसी के कारण हमारे महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ चुकी है। अगर सरकार इसको रोकना चाहती है तो चीनी मिलों पर बंधन डालना चाहिए। यदि एकाध किसान आत्महत्या करता है तो कलैक्टर ऑफिस से उसको एक लाख या दो लाख रुपया मुआवजा मिलता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एकाध किसान यदि आत्महत्या करता है तो कलैक्टर के पास फाइल करना पड़ता है। कलैक्टर उसकी जांच करता है और फाइल रिजेक्ट करता है। जब किसान आत्महत्या करता है तो उसके बाद डेंक्टर पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद डेंक्टर पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद डेंक्ट डिक्लेअर हो जाती है। उसके बाद एक महीने तक पर्वियां लेकर कलैक्टर ऑफिस में दुखी कुटुम्ब घूमता रहता है और फिर कलैक्टर बोलता है कि यह फाइल रिजेक्ट है।

13.00 hrs.

अध्यक्ष जी, जिसके घर का कमाऊ आदमी मर गया, उसके घर के सभी लोग दुखी हैं। दुखी परिवार के लोगों को महीनों कलेक्टर आफिस के चक्कर मारने पड़ते हैं। क्या सरपंच, तहसीलदार, पुलिस, डाक्टर आदि पर भरोसा नहीं है। उनकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। मेरा मानना है कि अगर किसी किसान ने आत्महत्या की है तो सहानुभूतिपूर्वक कलेक्टर को उसके घर जा कर दो लाख रुपयों का मुआवजा देना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र शासन को कहना चाहता हूं कि दुखी कुटुम्ब के आंसू पौंछने का काम करना चाहिए। चाहे बैंक हों या चीनी मिलें हों, इनकी वजह से भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल शेवाले और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्रविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदया, पिछले शनिवार और रविवार को हम दिल्ली में रहे तथा चार सांसद पानीपत और कुरुक्षेत्र में गए थे। वहां कुछ लोगों से मिले। पानीपत के युद्ध के बाद में भी जो मराठा महाराष्ट्र से यहां आए, उन्हें रोड मराठा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का इतिहास गौरवशाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर पेशवा पुणे से आगे बढ़ते-बढ़ते दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में अब्दाली को हराया। अब्दाली हारने के पश्चात अफगानिस्तान जाते समय पानीपत में रुका। जब पेशवाओं को इस बात का पता चला तो पानीपत में वर्ष 1761 में युद्ध किया। उस युद्ध में हम हारे लेकिन फिर भी वहां अब्दाली अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि हारने वालों में से माधव जी शिंदे ने कहा कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे - यह मराठों का अपना हौसला था। इसे देखकर अब्दाली यहां अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया। आज वह रोड मराठा समाज 250 साल हो गए हैं, 7 या 8 लाख लोग दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र में दिल्ली के आस-पास रहते हैं। पूर्व सरकारों से इन्होंने मांग की थी कि हमें मिलिट्री में मराठा रेजीमेंट में भर्ती किया जाए। इस बात को मान्यता दी गई और हिरयाणा में मराठा रेजीमेंट खोली गई। इसके बाद पता नहीं क्यों मराठा रेजीमेंट बंद कर दी गई। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने फिर मांग की कि हम यहां माइनोरिटी में हैं इसलिए हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पानीपत के युद्ध में जितने मराठा वीरगित को प्राप्त हुए, समाज के लिए जो वीरगित को प्राप्त होते हैं वह मरता नहीं है वह या तो दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है या स्वयं के खून से मिट्टी को सजा देता है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद सावंत : आज 250 साल बाद भी वे लोग वहां रहते हैं। अब्दाली ने बाद में जा कर कहा था कि अगर यहां मराठा हुए तो उनका सिर काटकर लाने वाले को पांच लाख रुपए देगा।

माननीय अध्यक्ष : आप इतिहास की बात को दोहरा रहे हैं।

श्री अर्रविंद सावंत: महोदया, आप महाराष्ट्र के इतिहास को अच्छी तरह से जानती हैं। आप सोच सकती हैं जब उस समाज के लोगों ने हमसे अपना दुख कहा तो हमें कितना सदमा लगा होगा। वे बहुत छोटी मांग कर रहे हैं कि फिर से मराठा रेजीमेंट खोला जाए। रोड मराठा लोगों को मराठा रेजीमेंट में भर्ती करने की अनुमित मिले। अगर उन्हें माइनोरिटी समझ कर कुछ सुविधाएं दी जाएं तो वह समाज आगे बढ़ सकेगा। 250 साल के बाद भी इतिहास को बरकरार रखने वाले समाज का मैं खासकर अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सरकार इनकी सहायता करे।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री विनायक भाऊराव राऊत, राजन विचारे, श्रीरंग आप्पा बारणे, प्रतापराव जाधव, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, राहुल रमेश शेवाले, सुधीर गुप्ता, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। अभी राजस्थान में जो बरसात हुई, उससे काफी मकानों को नुकसान हुआ। मेरा विषय यह है कि हमारे यहाँ जब औसत से अधिक बरसात होती है, तो कच्चे मकान गिर जाते हैं, कुछ पक्के मकान भी टूट जाते हैं। लेकिन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत सरकार के जो नियम हैं, उनमें लिखा है कि बादल फटने से नुकसान होने पर, भूकम्प आने पर, ज्वालामुखी आने पर तथा बाढ़ आने पर यदि नुकसान होता है, तो हम आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में सहायता देते हैं।

आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी मांग है कि राजस्थान में औसत से अधिक वर्षा होने पर भी ये नियम लागू होने चाहिए। वर्षा होना अच्छी बात है, यह होनी चाहिए, लेकिन जब अतिवृष्टि होती है और कच्चे-पक्के मकान टूट जाते हैं, तो इससे बहुत समस्या होती है। इससे राजस्थान में कुछ मौतें भी हो गयी हैं। इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के निमय में शिथिलता देते हुए राजस्थान को विशेष पैकेज़ दें तािक वहाँ जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभी लिस्ट के अलावा एक्सट्रा लोग बोलने वाले हैं। जिन लोगों के नाम मैं लूँगी, वे अपनी बात एक-एक मिनट में पूरी करेंगे।

Shri C. Mahendran, you take one minute only and not to read the whole thing.

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Hon. Speaker Madam, I am thanking the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, our God Puratchi Thalaivi Amma for having given the opportunity to express my views regarding the extension of zero per cent rate of interest on agricultural loan to small and marginal farmers under the Kisan Credit Card Scheme by all the banks running under the control of Reserve Bank of India as that of Primary Agricultural Co-operative Societies in Tamil Nadu.

I would like to invite your kind attention to the fact that now all the banks running under the control of Reserve Bank of India extend agricultural loans to small and medium farmers up to Rs.3 lakh with the interest of seven per cent under the Kisan Credit Card Scheme with the condition that if the loan is refunded within a period of one year, the amount equivalent to three per cent of the loan amount will be credited to their account as subvention of interest.

HON. SPEAKER: It is enough.

SHRI C. MAHENDRAN: It is a very important issue.

HON. SPEAKER: I know it.

SHRI C. MAHENDRAN: It is very painful to note that NABARD is instructing all the marginal farmers by mentioning the norms in the guidelines of 2014-15, that is, through circulars, that they should extend agricultural loans to small farmers and the limit is Rs.3 lakh with seven per cent interest rate.

Obviously, zero per cent rate of interest on agricultural loan provided by the Primary Agricultural Co-operative Societies might be the valid reason that the loans pending with the banks are on higher side. The loan amount required by big farmers should be increased from Rs.3 lakh to Rs.10 lakh for meeting out the essential and urgent expenditures on their lands, according to their landholdings on proposing some conditions at the nominal rate of interest on agricultural loans.

Hence I request the hon. Minister for Finance to take immediate action and issue necessary orders for extending the facility of zero per cent rate of interest to small and marginal farmers under the Kisan Credit Card Scheme to all the banks running under the control of the Reserve Bank of India as that of the one that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma implemented in Tamil Nadu permanently. The big farmers will have a sigh of relief if the quantum of amount is increased on agricultural loan. With this, I conclude. Thank you Madam.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने शुन्य काल के तहत एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है।

में सदन के माध्यम से माननीय कोयला मंत्री जी का ध्यान कोल इंडिया के अधिकारियों की वर्ष 2007 से लागू हुए वेतन समझौते की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विदित हो कि वर्ष 2007 में लागू वेतन समझौते के अनुसार कोल इंडिया के अधिकारियों को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान और नयी पेंशन योजना लागू की गयी थी, परन्तु आज तक दोनों ही मामले लम्बित हैं, जिससे कोयला क्षेत्र के अधिकारी काफी व्यथित हैं।

वर्ष 2012 में कोल इंडिया के अधिकारियों को चार वर्ष के पीआरपी के अमाऊंट की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया था। परन्तु कोल इंडिया के सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों से एक सौ प्रतिशत अमाऊंट की रिकवरी की जा रही है, जो इनके साथ अन्याय है एवं काफी दुखदायी है।

अतः मैं माननीय कोयला मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कोल इंडिया के अधिकारियों के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान और नयी पेंशन योजना को लागू करने का कष्ट करें तािक कोल इंडिया के अधिकारियों को राहत मिल सके।

श्री केशव प्रसाद मोर्थ (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। पूरे देश में अभी सावन का महीना है। करोड़ों शिव-भक्त अलग-अलग स्थानों पर जाकर जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुगल शासन काल से भी अधिक यातना शिव-भक्तों को देने का काम प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो शिव-भक्त भजन-कीर्तन करते हुए, गंगा जी का जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को केवल उन शिव-भक्तों को भजन-कीर्तन करने से रोकने पर लगा रखी है। कई जगह शिव-भक्तों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र में फूलपुर सोरांव एक स्थान है, जहाँ पर कांविरयों की सेवा करने के लिए पंडाल लगाया गया था। उस पंडाल के अंदर लगे हुए ध्विनवर्द्धक को उतार दिया गया। कल भक्तगण फूलपुर के एक मंदिर में निशान चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उन पर लाठियाँ बरसायी गयीं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएँ हैं। मैंने कई बार मांग की हैं कि जिन रास्तों से होकर लाखों की संख्या में शिव-भक्त भक्तिभाव से जाते हैं, उन रास्तों में शराब की दुकानों को, मांस की दुकानों को बन्द कराया जाये परन्तु अभी तक बंद नहीं किया गया है। गंगा जी के जिन घाटों से लाखों शिव-भक्त जल लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और केवल मुस्लिम वोटों के लालच में हिन्दुओं के साथ दमन-चक्र चलाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बहुत स्थिति खराब है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दमन-चक्र चला रही है, उसे रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाये जाएं।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है, अब कृपया बैठ जाएं।

सर्वश्री भैंरो प्रसाद मिश्र, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, दद्दन मिश्रा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, राघव लखनपाल को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे पास दो विषय हैं। एक विषय आ गया है, यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं दूसरे विषय पर अपनी बात कह दूँ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप अपनी बात कहें।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: मेरे संसदीय क्षेत्र में गन्ना एक प्रमुख फसल होने के साथ-साथ यह किसानों के जीवन का आधार है। रहने के लिए मकान, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, बेटियों की शादी से लेकर किसानों के तमाम सपने गन्ने की फसल से मिलने वाले मूल्य पर ही निर्भर होते हैं। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से गन्ना किसान, मिल मालिकों और सरकार की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। इससे इनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में कुल चार चीनी मिलें- बस्ती, वाल्टरगंज, मुंडेरवा और उधौली में थीं। वर्ष 2002 में कितपय कारणों से अचानक मुंडेरवा चीनी मिल बंद कर दी गयी। इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। तीन किसान इस आंदोलन में अपनी जान तक गवां चुके हैं। फिर भी चीनी मिल चालू नहीं हो पायी। वर्ष 2012 में अपने बड़े दाने के लिए मशहूर बस्ती चीनी मिल को भी बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक मिल के गेट पर किसानों का अनवरत धरना चल रहा है। फिर भी स्थिति जस की तस है। दुर्भाग्य से इस वर्ष वाल्टरगंज चीनी मिल को भी बंद किया जा रहा है।

बज़ाज ग्रुप द्वारा संचालित बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलों में आर्थिक भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के शोषण की व्यापक शिकायत मिल रही है। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गन्ना किसानों की दशा पर गंभीरता से विचार करते हुए बंद हो चुकी दोनों चीनी मिलों को चालू कराया जाए।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में संसार की शायद सबसे खूबसूरत कोस्टल लाइन है, जिसके मुहाने पर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और लगभग तीस मिलियन लोग फिशिंग का कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष देश की जीडीपी में लगभग .7 प्रतिशत हिस्सेदारी करते हैं। फिशरीज उद्योग

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, जिसके ऊपर देश के किसान, फसल, फसल योग्य भूमि और उनके विकास का बहुत बड़ा कार्य है। इसी कारण फिशरीज पर यह मंत्रालय उतना ध्यान नहीं दे पाता है। वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के बजट में फिशरीज डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 317 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसका बहुत बड़ा भाग रिसर्च और ट्रेनिंग में खर्च किया गया, सिर्फ 8.4 करोड़ रुपये मछुआरों की वेलफेयर के लिए खर्च हुए। देश के उत्तरी भाग को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में कोस्टल लाइन है और सभी राज्यों की फिशिंग मिनिस्ट्रीज को केन्द्र के कृषि मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार में अलग से मत्स्य उद्योग मंत्रालय की अत्यंत आवश्यता है, जिससे इतने बड़े फिशरीज उद्योग का अच्छी तरह विकास हो सके। मछली उद्योग से जुड़े कई संस्थान जैसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, इंडियन फिशरीज इंडस्ट्रीज फेडरेशन अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की मांग वर्षों से करते आ रहे हैं। उनकी इस मांग का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और एक स्वतंत्र मत्स्य उद्योग मंत्रालय की स्थापना हेतु कैबिनेट से मंजूरी लें। इससे मछली उद्योग से जुड़े छोटे-छोटे मछुआरों का विकास होगा, उनका जीवनयापन सुधरेगा और साथ ही, उनके शोषण पर भी अंकुश लगेगा। माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है। श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, कल बीती मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश के हरदा रेलवे स्टेशन के समीप एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। कामायनी एक्सप्रेस, जो मुंबई की तरफ से चलकर भोपाल होकर

समीप एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। कामायनी एक्सप्रेस, जो मुंबई की तरफ से चलकर भोपाल होकर बनारस जाने वाली थी और दूसरी ट्रेन जनता एक्सप्रेस, जो इटारसी से मुंबई की तरफ जा रही थी, एक पुल टूट जाने के कारण उन ट्रेन्स के डिब्बे पानी में गिर गए। जो समाचार मिल रहे हैं, उनमें 25-30 लोगों की मृत्यू होने की खबर है। माननीय रेल मंत्री जी ने यहां अपना स्टेटमेंट दिया है। घायलों और मृतकों के परिवारों को सहायता देने की घोषणा की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से ही वहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों की तरफ से मैं इस घटना पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले इटारसी के सिगनल सिस्टम में आग लगी थी, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, फिर अब यह घटना हुई है, इसमें कहीं न कहीं ट्रैक में कुछ कमी रही होगी। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि रेल मंत्रालय इस विषय को गंभीरता से देखें क्योंकि वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन पर कैसे काबू पाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K.R.P. PRABAKARAN (TIRUNELVELI): Hon. Speaker, Madam, first of all, I thank our hon. Leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, for giving me a chance to speak in this august House.

Palayamkottai known as the 'Oxford of South India' is a town in my Tirunelveli Constituency of Tamil Nadu. Almost all the best schools, colleges and institutions of higher education in and around Tirunelveli District are located in Palayamkottai, some of which date back to more than a Century.

The city is expected to grow rapidly in a few years because of the large number of professional students that it produces from its engineering, medical and other colleges. Young entrepreneurs are now abundant and the environment is rapidly modernizing, which are all positive signs of a modernizing metropolitan society. There is a need to increase the number of Post-Graduation seats in all the areas of studies where there is high need of the society since the current RR for all the posts demand PG, but the number of PG seats is less. Hence, I would urge upon the Union Human Resource Minister to consider and increase the number of Post-Graduation seats in all these subjects. Thank You.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity. Last week, on 29 July 2015, four Indian Professors, who were working in the University of Sirte in Libya, have been kidnapped by a terror outfit that is linked to the ISIS and with best efforts from the Ministry of External Affairs (MEA) and also the University officials over there, two of them have returned back to India. But two people, namely, Mr. Gopalakrishnan, who hails from my own Constituency, and also Mr. Balram who is from Karimnagar, Telengana are still held captive.

I would request the Government of India, specifically, the MEA to take this at utmost priority because I have been in constant touch with the father of Mr. Gopalakrisnan, Mr. Narayan Rao, and I can only say that they are very very

worried. In addition, what adds to their worries is that last year 39 people who were kidnapped by a similar outfit in Iraq, their whereabouts are still not known. So, a similar situation should not arise for these two Indian nationals, and they should be brought back.

I would also like to give a suggestion. This kind of thing has been happening in the Middle-East and also in the Gulf countries a lot this time. So, I would like to request the MEA if they can give advisory notices beforehand that these are the kind of consequences, which will be there. It is because a lot of people from very poor economic background go to these countries to work. They are all labourers and they do not know anything. They do not understand the procedures and other things. They just go there because of the money they get.

So, the External Affairs Ministry should take this issue very seriously and should advise all the people travelling to these countries where there is civil unrest about the kind of consequences they would face there.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Madam Speaker, Mata Savitribai Phule was the champion of women's education in India, who opened the first School for Girls in the year 1848 and worked tremendously for uplifting the status of women during the British Rule. She even stood strongly against the unfair treatment based on gender and advocated widow upliftment as well as eradication of untouchability. The memories of such great national reformers must remain alive for future generations to keep drawing inspiration.

I, therefore, urge the Government to honour this great woman social reformer of India by declaring her birth anniversary, 3rd January, as a National Women Literacy Day.

श्री चन्द्रकांत खेरे (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यू.पी., गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु, दिल्ली में गणेश चतुर्दशी का त्यौहार काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार धार्मिकता से बढ़कर सांस्कृतिक सौहार्द्र का प्रतीक है। इस त्यौहार में पूरे दस दिनों तक सभी

धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस त्यौहार-उत्सव की शुरूआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। श्रीगणेश चतुर्दशी के त्यौहार में पूजा-अर्चना के साथ-साथ शाम को लोक संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो देर रात तक चलते हैं। परंतु लाउडस्पीकर चलाने की अनुमित रात को सिर्फ दस बजे तक है। इस कारण लोक संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि श्रीगणेश चुतर्दशी के त्यौहार के लिए दस दिनों तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमित रात 12 बजे तक अवश्य दी जाए। यदि सरकार चाहे तो लाउडस्पीकर की आवाज़ की सीमा निश्चित कर दे।

माननीय अध्यक्ष: आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा।

श्री चन्द्रकांत खेरे: सरकार से प्रार्थना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करे, तािक इस तरह का जो बैन लगा हुआ है, वह रद्द हो सके। साउंड पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आवाज़ की सीमा तय की जाए। इस सांस्कृतिक त्यौहार एवम् नवराित्र में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमित दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: इसके साथ यह भी कहें कि फिल्मी संगीत नहीं बजाना चाहिए, तो चल सकता है। SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Madam, Tamil Nadu firmly believes that interlinking of rivers amongst States and intralinking of rivers within a State will greatly help in optimum utilization of water and drastic reduction in waste going into the seas. We are for necessary legislation to facilitate implementation of the Peninsular Grid involving linking of Mahanadi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery-Vaigai-Gundar at the earliest.

As early as April 16, 2013, Tamil Nadu Chief Minister hon. Puratchi Thalaivi Amma had urged the then Chairman, Task Force for Interlinking of Rivers to expedite the interlinking of rivers. It is hon. Puratchi Thalaivi Amma's firm view that in the interlinking projects, the right of use of water flowing from the existing Inter-State Agreements should not be disturbed and that the aim should be to increase the availability of water to deficit States like Tamil Nadu.

Tamil Nadu had a programme to implement the linking Penniyar (Sathanur Dam) – Palar link; Pennaiyar (Nedungal Anicut) – Palar link; Cuavery (Mettur Dam) – Sarabanga link; Athikadavu – Avinashi Flood Canal Scheme; and the

Tamirabarani – Karumeniyar – Nambiyar link. I urge upon the Centre to grant immediate Central financial assistance including costs of land acquisition as sought by our State.

The long-standing demand for diversion of about 22 TMC feet of water of the west flowing rivers of Pamba and Achankovil in Kerala to Vaippar Basin in Tamil Nadu would benefit the water needy southern districts of Tamil Nadu. I also request the Centre to facilitate a meeting with Kerala to work out the modalities so that the genuine water demands of southern districts of Tamil Nadu could be immediately fulfilled.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गम्भीर मुद्दे पर लाना चाहता हूं। इस देश में वर्ष 1984 में देश की राजधानी दिल्ली और बहुत से अन्य हिस्सों में सिक्ख समाज के बेगुनाह लोगों का सरेआम कत्लेआम हुआ था। औरतों और बच्चों के गले टायर डाल कर उनको जला दिया गया। दुखः इस बात का है कि उस समय की सरकार की उसको सरेआम शह थी। जब लाशों पर लोग नाच रहे थे तो उस समय की सरकार जो बड़ा नेता कह रहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। आज जो लोग जम्ह्रियत की बातें कर रहे हैं, इंसानियत की बातें कर रहे हैं, इन्होंने उस समय सरेआम देश का कत्ल किया था, जम्हरियत का कत्ल किया था। मैं आपके माध्यम सरकार से दो बातों के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग कमीशन्स ने कलप्रिटस को आइडेंटिफाई किया है, उनको अभी तक कोई सजा नहीं दी गयी है। माननीय वाजपेयी साहब ने नानावती कमीशन बनाया था। उन्होंने दोषियों को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन एक्शनटेकन रिपोर्ट के समय सरकार बदल गयी। अब मोदी साहब की सरकार आयी है। जिसके मेनिफेस्टो में वादा किया और इन्होंने सरकार बनते ही एसआईटी बैठायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि एसआईटी का क्या स्टेटस है? बेगुनाहों को कब पकड़ा जाएगा और सज़ा दी जाएगी? पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये देने का भी वायदा किया गया था, उसका क्या स्टेट्स है? रिएक्शन में बहुत सारे लोग जेलों में चले गए थे, उनको अदालतों ने सजा सुनायी और वे पूरी कर पाएं, उनकी रिहाई का भी मैं निवेदन करता हं।

मैं आखिर में एक बात इस सदन को कहना चाहता हूं कि हजारों बेगुनाह लोग इस देश की धरती पर मारे गए। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन सर्वसम्मित से उन लोगों को श्रद्धांजिल दे और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताए, यह मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री राघव लखनपाल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to raise an issue which has been the long-pending demand of our people for the last several decades.

I come from Balasore which is in the Northern part of Odisha. While most part of Odisha is coming under East Coast Railway which is a very well performing Railway Zone in the country, certain Northern parts of Odisha come under South East Railway. Though the South East Railway has got only four per cent of road kilometer, yet it contributes 14 per cent of originating freight to the whole country. We contribute a significant part of that. But the unfortunate part is that we have become a victim of that growth. We have never seen that growth. So far, not even a good project has been declared. If at all a project has been declared, it has almost remained on the paper. Our demand has been pending with the Government for the last 30 years. We have been requesting that we should be taken out from the South Eastern Railway and be made a part of the East Coast Railway. I would also request that a separate Railway Division be set up in Balasore which has got all the facilities that are required for setting up a Railway Division.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में उरण में धारापुरी गांव है। छठवीं शताब्दी की एलाफेंटा गुफाएं हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। यह स्थल मुम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया से 13 किलोमीटर दूर है। यह समुद्र के बीचों-बीच है। यहां 60 वर्षों से पानी और लाइट की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि धारापूरी जहां एलीफेंटा गुफाएं हैं, वहां सड़क, बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, देश के 17 व्यक्तियों पर 2.14 लाख करोड़ रुपये के बकाया के संबंध में मैं बोलना चाहती हूं। मुझे यह सूचना मिली है कि देश में कुछ व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर कुल कर बकाया आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अगर इस राशि में बैंक लोन डिफाल्ट की राशि भी जोड़ दी जाए तो यह रकम इतनी अधिक है कि देश की आर्थिक तरक्की को दुगुनी कर सकती है। मुझे ज्ञात है कि 35 कंपनियों के ऊपर 90,568 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। देश के कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं, जो बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन तो लेते हैं, परंतु उन्हें चुकता नहीं करते हैं। इसके कारण जिनको लोन मिलना चाहिए, उन्हें लोन नहीं मिलता है, जबिक कुछ लोग फर्जी कंपनियां या फर्जी नाम से बैंकों से लोन ले लेते हैं। एक तरफ बैंकों द्वारा गांवों में रहने वाले किसानों या अन्य छोटे बैंक डिफाल्टरों, जिनकी कुल देनदारी हजारों में होती है, उनको पकड़कर जेल तक भेज दिया जाता है। उनके मकान या सम्पत्ति की कुर्की, जब्दी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों या व्यक्तियों के ऊपर लोन या टैक्स के रूप में इतनी बड़ी राशि बकाया है, उन्हें छोड़ दिया जाता है।

मैडम, आज देश में हर जगह भ्रष्टाचार और कालेधन के गठजोड़ की चर्चा है। मुझे लगता है कि यह प्रकरण भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है, जिसे कुछ उद्योगपित या कंपिनयां टैक्स रिटर्न के प्रावधान में कमी का फायदा उठाकर जान बूझकर बैंक को रिटर्न नहीं करते हैं, इससे देश की आर्थिक नीति भी प्रभावित हो रही है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर टैक्स एवं लोन बकायेदारों की जांच की जाए और एक निश्चित समय के अंदर उनसे पूरी रकम वसूली की जाए, ताकि देश में सकारात्मक संदेश जाए और लोगों का भी कल्याण हो जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी आप इसमें सहयोगी बनो। श्री सी.आर.चौधरी को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2:30 p.m.

13.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.33 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at Table within stipulated time. The rest will be treated as lapse.

(i) Need to undertake construction of flyovers in Ranchi, Jharkhand to ease traffic congestion in the city

श्री राम टहल चौधरी (राँची): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राँची (झारखण्ड) में बढ़ती यातायात व्यवस्था से आये दिन होने वाले जाम की तरफ दिलाना चाहता हूँ । राँची झारखण्ड राज्य की राजधानी है । इस महानगर में दिनोंदिन वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है जिसके कारण राँची की सड़कों पर जाम एवं दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं । इसके चलते लोगों को आवागमन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इस समस्या से निजात पाने के लिए जनहित में राँची के पंडरा से कचहरी चौक से मेन रोड़ होते हुए डोरन्डा तक एक फ्लाई ओवर बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है और साथ ही फराया लाल चौक से कोकर तक एक फ्लाई ओवर का निर्माण करना भी अति आवश्यक है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनिहत में उपरोक्त सड़कों पर फ्लाई ओवरों का निर्माण कराने हेतु शीघ्र धन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जा सके।

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to declare Vasai-Virar Municipal Corporation as a Mega City

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): I am very much glad to know that the Government of India has declared one hundred cities in India as Mega Cities. I have already requested the Government to declare Vasai-Virar Municipal Corporation in my constituency in Maharashtra as a mega city but till today it has not been declared.

Vasai-Virar Municipal Corporation comes under Metropolitan Area of Mumbai and is developing rapidly. It is a historical city on Coastal area of Arabian Sea. Agashi and Arnala are ancient tourism centres under this region and eastern side of this Corporation is hilly area. Both ancient temples of Tugareshwar and Jiradane are on the mountain of this hilly area. I, therefore, request the Government to declare Vasai-Virar Municipal Corporation as a Mega City.

(iii) Need to make river Yamuna in Delhi pollution free

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):, मैं सरकार का ध्यान प्रदूषित हो रही यमुना और हजारों करोड़ रूपए खर्च होने के बाद भी यमुना की बदहाल स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । यमुना हमारे देश में धार्मिक महत्व रखने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। हमारे देश में नदियों को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि " माँ की संज्ञा दी जाती है लेकिन दिल्ली में यमुना की दुर्दशा को देख मन व्यथित होता है । दुखद बात है कि यमुना दिल्ली में आज केवल मात्र नाला बनकर रह गई है । दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के ढूल-मूल रवैये तथा अपेक्षित इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज हजारों करोड़ रूपये खर्च होने के बाद भी यमुना की इतनी खराब स्थिति है । यमुना नदी के तल पर हो रहे अतिक्रमण पर नकेल न कसी जाने की वजह से कुछ जगह यमुना नदी का तल मात्र 800 मीटर ही रह गया है । यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन को दिल्ली में चल रहे निर्माण और अन्य चीजों के मलबे का डिम्पेंग यार्ड बना दिया गया है । वर्ष 2010 में आई यमुना नदी में बाढ़ के बाद 28 अक्तूबर, 2010 को गृगगल प्लस द्वारा ली गई तस्वीर में यमुना नदी के जल निकाय स्पष्ट रूप से दिखाइ दे रहे थे लेकिन मात्र एक साल में उनपर मलबा डाल झुग्गियाँ बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही स्थिति यमुना नदी के आस-पास हर जगह बनी हुई है । यमुना हिमालय की गोद से निकलकर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश होते हुए 1370 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली में यमुना की लंबाई 48 किलोमीटर है जो यमुना की लंबाई का केवल 3 प्रतिशत है। लेकिन जो ठोस अवशेष और सीवेज दिल्ली में यमुना में डाला जाता है, वह 3800 मीट्रिक टन है जो यमुना को 76 प्रतिशत प्रदूषित करता है । दिल्ली में यमुना को तीन भागों में बाँटा गया है । प्रथम, 26 किलोमीटर पल्ला से वजीराबाद बैराज, द्वितीय, 22 किलोमीटर वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तथा तृतीय, किलोमीटर ओखला बैराज से जैतपुर गांव । वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के इस भाग में यमुना नदी के तल (फ्लंड प्लेन) में सबसे ज्यादा अतिक्रमण कर यमुना से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अनियमित कालोनियाँ यमुना के इसी भाग पर हैं । अशोधित घरेलू और औद्योगिक अवशेष को यमुना में प्रवाहित करने के कारण आज यमुना इतनी प्रदूषित है तथा उसी के साथ धार्मिक स्थल बनाकर कुछ लोग उसका सहारा लेते हैं । हमारा शासन - प्रशासन सेकुलरिज्म के कारण इस अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शासन पंगु बना हुआ है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में यमुना नदी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए तत्काल पर्याप्त कदम उठाए जाएं।

(iv) Need to undertake relief and rescue operations in villages under Srikolayat and Nokha Tehsil in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan distressed due to excess rain

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): वर्तमान में आई तेज गित की बारिश के कारण देश के कई भागों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं । मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जो रेगिस्तान का भाग है लेकिन बारिश ने वहाँ भी गाँवों में जीवन को अस्त-व्यस्त किया है । मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के श्रीकोलयत व नोखा तहसील के कई गाँव जलमग्न हो गए हैं । बीकानेर शहर में भी कई बस्तियों में पानी भर गया है तथा समाज के कमजोर वर्गों को इस परेशानी का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के मापदण्ड कई प्रकरणों में लागू नहीं होने के कारण उचित सहायता समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए कठिन हो रहा है । ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम के संसाधन सीमित होने के कारण समय पर राहत उपलब्ध कराने में बेहद कठिनाई महसूस की जा रही है ।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के नियमों में आवश्यकतानुसार शिथिलता प्रदान करें तथा माननीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह करें कि देश में निदयों को जोड़ने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है और बरसात का पानी सिंचाई के साधनों के उपयोग में आने के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है।

(v) Need to provide sufficient funds for Gosikhurd irrigation project in Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, नागपुर, भण्डारा इत्यादि क्षेत्रों की भूमि को सिंचित किए जाने के उद्देश्य से विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत भण्डारा जिले में 'गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना' वर्ष 1981 में प्रारंभ की गई थी । इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गित से होने के कारण अब तक पूर्ण नहीं हो सका है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का विकास अवरूद्ध होना स्वाभाविक है । जिस समय यह परियोजना प्रारंभ की गई थी, उस समय इसकी अनुमानित लागत 372.22 करोड़ रूपये थी, जो आज लगभग 40 गुना बढ़कर 15 हजार करोड़ रूपये हो गई है । परियांजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने का एक प्रमुख कारण इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि को दूसरे कार्यों में व्यय करना है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र गड़िचरोली-चिमुर (महाराष्ट्र) एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । इस क्षेत्र के चन्द्रपुर जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र जो अति पिछड़ हुए हैं और खेती पर ही आश्रित हैं, को भी 'गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना' से जल प्राप्त होना था लेकिन परियोजना का कार्य समय पर पूरा न होने के कारण किसान अपनी भूमि को पानी के अभाव में सिंचित नहीं कर पा रहे हैं और वर्षा न हो पाने तथा इस परियोजना का कार्य अवरुद्ध होने की वजह से स्थानीय किसानों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है ।

अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकरण की जाँच करवाए कि 'गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना' को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इस धनराशि को किन-किन मदों में व्यय किया गया है और इस परियोजना में किन कारणों से विलंब हो रहा है। साथ ही केन्द्र सरकार इस परियोजना को पूरा किए जाने हेतु तत्काल धन का आवंटन करके इस परियोजना का कार्य तुरंत पूर्ण कराए जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

(vi) Need to include Saharanpur in Uttar Pradesh in National Capital Region

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): अभी कुछ दिनों पूर्व केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों के कुछ जनपदों को इसमें जोड़ा गया है। जिन नए जनपदों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया है, उन सभी जनपदों विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन जिन मानकों के आधार पर इन जनपदों का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया गया है, उन मानकों के आधार पर सहारनपुर जनपद को भी इसमें जोड़ा जाना कहीं अधिक तर्कसंगत नजर आता है।

सहारनपुर का जनसंख्या घनत्व जहाँ 940 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं मेरठ का 1347 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, गाजियाबाद का 3967 तो मुजफ्फरनगर का 1034 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। अर्थात सहारनपुर जनपद में इन जनपदों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व सबसे कम होने के कारण यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसने की इच्छा रखने वाली जनता को अधिक मात्रा में बसाया जा सकता है।

जनपद सहारनपुर की साक्षरता दर 70.49 प्रतिशत है तो मुजफ्फरपुर की साक्षरता दर 69.12 प्रतिशत है । सहारनपुर का लिंग अनुपात दर 890/1000 है तो मुजफ्फरनगर 889/1000 है । जनपद सहारनपुर की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत जहां 1.73 प्रतिशत है तो मुजफ्फरनगर का 2.7 प्रतिशत है ।

इसके साथ ही सहारनपुर जनपद हिरयाणा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को जोड़ने वाला जनपद है । अतः यदि सहारनपुर जनपद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सीधा जुड़ाव इन तीनों राज्यों से हो सकता है । राजधानी दिल्ली से सहारनपुर की दूरी भी मात्र 166 किलोमीटर है जो इस क्षेत्र में शामिल किए गए अन्य जनपदों के आस-पास ही है ।

सहारनपुर में पूर्व से ही आई.टी.सी., काष्ठ कला उद्योग, स्टार पेपर मिल्स, यूनिटेक मशीन्स एवं अन्य सुगर मिलें आदि अनेक उद्योग स्थापित हैं। ऐसे में यदि सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ा जाए तो यहाँ उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ बहुतायात में स्थापित हैं।

सहारनपुर में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारूल उलम एवं शक्तिपीठ माता शाकुम्भरी देवी का मंदिर भी स्थापित है जिस कारण इस जनपद का महत्व और भी बढ़ जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में सहारनपुर जनपद को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाए ।

(vii) Need to expedite work on interlinking of Ken and Betwa rivers

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़-छतरपुर (मध्य प्रदेश) में एन.डी.ए. की पूर्व सरकार के समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा निदयों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन एवं बेतवा निदयों को आपस में जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में लिया गया था किंतु पिछली सरकार की उदासीनता के चलते 10 वर्षों में इस योजना का कार्य एक तरह से थम गया था । अब पुनः एन.डी.ए. की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नादियों को जोड़ने एवं निदयों की सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो स्वागत योग्य कदम है ।

केन एवं बेतवा नियंग्रें को जोड़ने के कार्य की डी.पी.आर. पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंग्रण बोर्ड ने दिसम्बर, 2014 के दौरान परियोजना क्षेत्र में जन सुनवाई भी की है तथा इसके बाद जुलाई, 2015 में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संशोधित रिपोर्ट प्रदान की गई है। काफी कार्य राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किया जा चुका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में इन परियोजना के पूरा होने से जहाँ सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति होगी, वहीं उद्योग-धंधों की स्थापना में भी सहायता मिलेगी जिससे बुन्देलखण्ड में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा । अतः केन एवं बेतवा नदियों को आवस में जोड़ने का कार्य शीघ्र कराने का सहयोग करें ।

(viii) Need to enhance the wages of Home Guards and PRD jawans in Uttar Pradesh

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स व पी०आर०डी० के जवानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। होमगार्ड्स व पी०आर०डी० के जवान पूरी ईमानदारी व मुस्तैदी से हर समय ड्यूटी करने को तैयार रहते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है। होमगार्ड्स व पी०आर०डी० के जवान पुलिस से ज्यादा कार्य करते हैं। होमगार्ड्स के जवान को प्रतिदिन 225 रूपए मानदेय मिलता है और पी०आर०डी० के जवानों को उससे भी कम मिलता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स व पी0आर0डी0 के जवानों को प्रतिदिन ड्यूटी सुनिश्चित करके इस महंगाई के दौर में कम से कम 500 रूपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाए।

(ix) Need to check increasing pollution in Singrauli district, Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : हवा और पानी प्राणी मात्र की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके अभाव में जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है किंतु पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हवा और पानी ही यदि प्रदूषित हो जाएं तो जीवन जीना कितना कठिन होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

पर्यावरण प्रदूषण एक अति गंभीर वैश्विक समस्या है । ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं इसी पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम है जिसकी चिंता राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर की जा रही है ।

मैं जिस सीधी (मध्य प्रदेश) संसदीय क्षेत्र से आती हूँ, उसका एक बड़ा हिस्सा सिंगरौली जिले के रूप में अवस्थित है, जिसे लोग ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं और सौभाग्य से सिंगरौली मेरी जन्मस्थली भी है। सिंगरौली में सन् 1840 में पहली बार कोयले की पर्याप्त उपलब्धता का विषय संज्ञान में आया। तब से लेकर आज तक अपने प्राकृतिक स्रोतों के कारण सिंगरौली देश के बड़े भू-भाग को ऊर्जा प्रदान करता है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण कई छोटे और बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोल माइंस प्रोजेक्ट स्थित हैं जिसमें उत्पन्न होने वाले सह-उत्पाद फ्लाई एश इतने बढ़े कि वायु और प्रदूषण का कारण बन गए हैं जिससे सिंगरौली वासियों का श्वास लेना दूभर हो गया है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6 मिलियन टन फ्लाई एश प्रतिवर्ष सह-उत्पाद के रूप में निकलती है व शोधों एवं अभिलेखों के आधार पर लगभग 720 किलोग्राम पारा व कई भारी पदार्थ प्रतिवर्ष निकलते हैं जो सामान्य से कई गुना अधिक हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट व औद्योगिक विषय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा जब सिंगरौली क्षेत्र के 1200 निवासियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया तो सिंगरौली वासियों के रक्त में पारे का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक पाया गया, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में बच्चों को श्वास-तंत्र की समस्या, डायरिया, निम्न प्रत्युतपन्न मित, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा बचपन, साथ ही महिलाओं में सिर दर्द एवं अनियमित मेन्सुरेशन और पुरुषों में स्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र, मिस्तिष्क और किडनी जैसी गंभीर ग्राणधातक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रता के साथ सिंगरौली वासियों के स्वास्थ्य व जीवन रक्षा हेतु सार्थक कदम उठाए जाएं और सभी कारपोरेट को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध कराकर आवश्यक पहल हेतु निर्देशित किया जाए ताकि सिंगरौली का प्रदूषण हिरोशिमा-नागासाकी व भोपाल गैस त्रासदी जैसे घातक रूप लेने से बच सके।

(x) Need to make government and private land free from encroachment in Banda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में भू-माफियों द्वारा पूरे बुन्देलखण्ड की तरह सरकारी एवं निजी जमीनों पर कब्जा करने का अभियान चला रखा है। जो भी जमीन खाली व कीमती होती है, उस पर कब्जा करने की योजना बन जाती है । विवादित जमीनों को भी आधी कीमत में रिजस्ट्री कराकर अपने नाम कर गरीबों को बेघर किया जा रहा है । इस हेतु स्थानीय अधिकारियों से साँठ-गाँठ कर एक ही वर्ग व जाति के लेखपालों की नियुक्ति जिला मुख्यालय व आस-पास के गाँवों में जो शहर से लगते हैं, की जाती है । सैकड़ों जमीनों पर कब्जा किया गया है व बाकी को कब्जाने की योजना है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकारी एवं गरीबों की जमीनों को बचाने तथा दोषियों को दण्डित कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

(xi) Need to enhance the honorarium of teachers of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): भारत में वर्ष 2004 से अति महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के पिछड़े विकास खण्डों में बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं । इस विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे की छात्राओं को प्रवेश दिलाकर गुणवत्ता एवं रूचिपूर्ण शिक्षा देकर महिला साक्षरता दर को बढ़ाने एवं समाज की मूल धारा में लाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । वर्तमान समय में केवल उत्तर प्रदेश के 746 विकास खण्डों में यह विद्यालय संचालित हैं जिसमें कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग् 11190 है । इस संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय बढ़ती महँगाई एवं उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर बहुत कम है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बढ़ती महँगाई को ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के कर्मचारियों को पर्याप्त मानदेय दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

(xii) Need to develop a mobile application to assist the foreign and domestic tourists to access information about Courtallam, a famous tourist spot in Tirunelveli district of Tamil Nadu

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Courtallam or Kutralam, Spa of South India, is a panchayat town situated at a mean elevation of 160 m (520 ft) on the Western Ghats in Tirunelveli District of Tamil Nadu. Many seasonal and few perennial rivers such as the Chittar, Manimuthar, the Pachaiyar and Tambaraparani originate in this region. The numerous waterfalls and cascades along with the ubiquitous health resorts in the area have earned it the title the Spa of South India. Courtaflam has nine waterfalls.

Courtallam is not just waterfalls, its temples too attract visitors. The most important among these is the Chitra Sabha, one of the five sabhas with Nataraja, Shiva in the dancing posture as the main deity. The paintings at the Chitra Sabha were renovated about 100 years ago. The others are the Rathna Sabha at Thiruvalangadu, the Kanaka Sabha at Chidambaram and the Velli Sabha at Madurai and the Thamira Sabha at Tirunelveli. The temple at the foot of the hill is conch-shaped which has special significance in Hindu tradition.

Many of the foreign tourists visiting Courtallam without having any prior information regarding tourist spots in the region. Hence, I urge upon the Union Ministry of Tourism to introduce new mobile app so that tourists can have better knowledge of Courtallam as a heritage place.

(xiii) Need to facilitate release of financial assistance from World Bank for the second phase of modernization of irrigation facilities and restoration of water bodies in Tamil Nadu

SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR): For reconstruction of 113 dams in Tamil Nadu under the dams reconstruction and developmental project, an amount of Rs. 745.49 crore is being utilized with the help of financial assistance from the World Bank. With the financial assistance amounting to Rs. 745.49 crore from the World Bank, reconstruction and maintenance of 113 dams in Tamil Nadu have been taken up under this project. An amount of Rs. 450.13 crore has been allocated in the budget for year 2015-16 for the above project.

Since the year 2007, with the assistance of aid from the World Bank, the modernisation of irrigation facilities and water bodies and their restoration and management is being carried out. This project was completed in the month of June 2015. So far, the Government of Tamil Nadu has spent Rs. 2544.15 crore for this project. On successful completion of this project, the Government of Tamil Nadu has requested the Central Government to approach the World Bank for providing financial assistance to the tune of Rs. 2950 crore for its second phase. Therefore, I humbly request the Central Government, on behalf of the people of Tamil Nadu, to intervene so that early release of financial assistance from the World Bank is received.

(XiV)Need to appoint a physician as Director of the Regional Medical Research Centre, Bhubaneswar

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): It is learnt that the Ministry of Health and Family Welfare is proposing to appoint an IAS officer as the Director of the Regional Medical Research Centre (RMRC), Bhubaneswar, Odisha. In this regard, I am to stress the point that RMRC, Bhubaneswar is one of the oldest, efficient and leading medical research bodies of the Indian Council of Medical Research in our country. In its history, an experienced physician has always been appointed as the Director for effective research strategy to address the problems arising out of regional diseases like lymphatic filariasis, malaria, diarrheal disorders, tuberculosis, diabetes, etc. The research & development in medical science as well as to diagnose the complexities of diseases occurred in the region is better understood by a physician rather than an IAS Officer. I feel that a physician could only take the appropriate steps to promote the biomedical research better than an administrative officer.

In this regard, it is my sincere request as well as suggestion to the Minister of Health and Family Welfare to intervene and appoint an experienced physician as the Director of RMRC, Bhubaneswar to serve the purpose of the medical research.

(xv) Need to waive off loans of farmers distressed due to drought situation in Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में किसानों की दयनीय दशा की तरफ दिलाना चाहता हूँ । इस साल खेतों की बुआई के शुरूआत में अच्छी बरसात हुई थी और उस समय किसान के पास जो बीज, खाद था, उसको बुआई में प्रयोग कर लिया । परन्तु 20 जून के बाद बरसात नहीं हुई है जिसके कारण किसानों ने जो फसल बोई थी, वह सूख गई । अगर बरसात पर्याप्त मात्रा में हुई तो किसानों को दोबारा अपने खेतों में बुआई करनी पड़ेगी । इसके लिए उसके पास बीज, खाद एवं अन्य पर्याप्त साधन नहीं हैं । इन किताइयों के चलते कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इसी प्रकार की स्थिति रही तो महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या बढ़ सकती है । महाराष्ट्र में किसानों की विकट आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसान फसल ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में सूखे के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु केन्द्र स्तर पर तुरन्त राहत प्रदान की जानी चाहिए ।

(xvi) Need to recognize all medical degrees awarded by Russia to Indian students

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Students particularly from Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka go to Ukraine to pursue MBBS. But, due to Crimea becoming part of Russia and worsening security situation in Eastern Ukraine, there is a lot of concern among students and parents as to what would happen to their future.

About 650 Indian students are studying in Crimea Medical University (CMU). But, after Referendum last year, Crimea joined Russia resulting in CMU becoming part of Russia and now Russian Government will issue medical degrees. The problem is, as per rules, MCI does not recognize degrees awarded by Russia. Health Minister, in reply to a question in Parliament, said: "Students who are about to graduate from Crimea are entitled to appear in Screening Test, as in case of any other student graduating from a foreign medical institution."

But, nobody has said anything about students who are already enrolled and pursuing their 2nd, 3rd and 4th year MBBS. Secondly, in view of sanctions imposed by US, even if students go to US or Europe, their degrees are not recognized.

Secondly, there are also 3,500 Indian students pursuing medical education in Lugansk and Donetsk regions in Eastern Ukraine where there is fierce violence between Russian separatists and Government forces.

Hence, I request Government of India to direct MCI to recognize all degrees awarded by Russia to students who enrolled in erstwhile universities of Ukraine which are now part of Russia.

(xvii) Need to develop health tourism in the Araku Constituency of Andhra Pradesh

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I would like to draw the kind attention of the august House towards a very important issue pertaining to the development of tourism in my constituency. Araku constituency is the only tribal constituency of AP and it is a tourist destination of Andhra Pradesh and the second largest constituency in India. It has marvellous natural beauty and is known as Andhra Shimla. The temperature is very moderate during all seasons and also falls below zero degrees in winter which is also a speciality of the constituency. There are many medicinal herbs in this forest area. Even after 65 years of Independence, the area is underdeveloped and is lacking the minimum facilities.

Health Tourism has a great potential in the present Indian scenario and many foreign tourists visit India every year for health tourism. This area located in a very serene atmosphere will be suitable to promote health tourism under the AYUSH which will be beneficial for the local people as it will provide employment to the tribal population and will also contribute to the economic and infrastructure development.

Hence in view of this situation, I would like to request the Hon'ble Minister of Ayush to kindly provide the necessary approval and assistance for developing the area for health tourism.

14.35 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2015-16

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up item No. 19 – Discussion on Supplementary Demands for Grants (General).

Motion moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29,30, 33 to 35, 40, 47, 48, 50, 53 to 56, 58 to 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 to 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 to 105 and 107 to 109."

श्री हुकुम सिंह (कराना): महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रूपए का मूल बजट हमने पारित किया था। यह प्रथम अनुपूरक है जो सरकार लेकर के आई है और 40 हजार 826 करोड़ 68 लाख रूपए की अनुदानों की अनुपूरक माँग यह आई है। माँग की मुख्य मदों की ओर मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगा। एक तो मैं बधाई देता हूँ कि जितनी भी ये अनुदानों की अनुपूरक माँगें आई हैं, सब सामाजिक दायित्व को निभाने की ओर हैं। जो सोशल सेक्टर में सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जिन मदों में प्रधानमंत्री जी ने बार-बार घोषणा की है और अपना किमटमेंट दर्शाया है, उन्हीं मदों के ऊपर बल देकर के आज यह अनुपूरक आया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर तक पहुँची है और चीन के बाद एशिया में अकेला भारतवर्ष ऐसा है, जो इस सीमा तक पहुँच पाया है और जिस गित से, लगभग सात वर्षों में हमने लगभग एक लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। अगर इसी गित से हम लोग बढ़ते रहेंगे, एक अच्छे नेतृत्व में चलने का यही लाभ है कि आगे भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने वाली है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने जो अनुपूरक बजट रखा है, विशेष रूप से मैं मुद्रा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सम्भवतः इतने लम्बे आजादी के कार्यकाल में किसी सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है, कि जो छोटे-छोटे उद्योग गाँव में लगाते हैं, छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं, ठेली लगाते हैं, कोई छोटी-मोटी दुकान लेकर बैठते हैं, अगर उनको पैसे की आवश्यकता हो तो उस पैसे की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से हो। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, इसलिए एक मुद्रा बैंक की उन्होंने स्थापना की और उस मद में भी अनुपूरक बजट में लगभग 600 करोड़ रूपया आपने दिया है, जो स्वागतयोग्य है। मुझे विश्वास है कि जिस किमटमेंट के साथ में, जिस आस्था के साथ आप इस श्रेणी को स्वस्थ और सुदृढ़ करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो सबसे निम्न श्रेणी का व्यवसायी है, व्यापारी है, उद्योगपित है, उसे निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा, लाभ पहुँचेगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से बैंको की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आपने प्रावधान किया है, लेकिन प्रावधान के साथ-साथ मैं माननीय राज्य मंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने बैंकों को जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी दे दी और लगभग हर सेक्टर बैंक के ऊपर निर्भर करता है। किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, मुद्रा का आप लाए, ये सब वह वर्ग है, जो अब तक शोषित श्रेणी में आते थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए थे। बड़ा उद्योगपित होता तो जाकर के अपना काम करा लेता, लेकिन इधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंक की संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बैंक

केवल एक सरकारी विभाग नहीं है, बैंक देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। अगर बैंक के एटीट्यूट में अंतर नहीं आएगा, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा, उनकी सोच और कल्चर नहीं बदलेगा तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, गरीब वर्ग को उठाने का, शोषित वर्ग को सहायता करने का, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने संक्षेप में आपकी तरफ इशारा किया है, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर यही शिकायत सामने आती है कि साहब मैं अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने गया था। जब तक बाहर खड़े हुए दो आदमी, जो परमानेंटली वहाँ पर रहते हैं, उनकी सहायता मुझको नहीं मिली तब तक मेरी बात नहीं सुनी गई। यह बैंक के बाहर खड़ा होने वाला जो व्यक्ति है, परमानेंटली उसका व्यवसाय वहीं खड़े होने का है, जब तक उसे बीच से नहीं निकालेंगे, उन दलालों की दलाली समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा आशय लेकर आए हैं। मैंने पहले भी यह बात कही थी और आज भी मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को अन्यथा न लें, यह मन की पीड़ा है। हम आज आजाद हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं। आत्मविश्वास के साथ में हमारा कोई भी किसान जाए, मजदूर जाए या गरीब उद्योगपित जाए या गरीब व्यवसायी जाए, तो उसको यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरी बात सही है, मेरी बात सुनी भी जाएगी और मेरी तरफ ध्यान भी दिया जाएगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, आपने सोशल सेक्टर में लगभग 7,985 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उस सेक्टर में इस अनुपूरक बजट में भी आपने प्रावधान किया है। मुझे विश्वास है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वच्छ भारत का हमारा सपना हो, उस सेक्टर में हम लोग कामयाब होंगे। स्वच्छ भारत हमारी एक बहुत बड़ी कल्पना है और आपने वर्ष 2019, अक्टूबर तक संकल्प किया है कि हम भारत को स्वच्छ बनाकर रहेंगे। शुरूआत भी हो गई, शुरूआत होने के साथ-साथ दर्जनों स्कीम लाँच भी हो गईं, प्रभाव भी आना शुरू हो गया, इस सेक्टर में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक कूड़ा-करकट हमारे शहरों में, नगरों में, गाँवों में फैला रहेगा, जब तक हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को कम से कम यह सुविधा नहीं मिल जाए कि घर-घर में शौचालय बन जाएं, उनके नहाने की व्यवस्था हो जाए, पानी उनको वहाँ पर उपलब्ध हो जाए, तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो पाएगा।

मैं सरकार को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को लिया है। इसी दिशा में मैं पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर की बात करता हूँ। उस मद में भी आपने प्रावधान किया है। आज देश की स्थिति पानी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। कोई नगर, कोई गाँव ऐसा नहीं बचा है, अपवाद हो तो दूसरी बात है, लेकिन आज

पानी स्वच्छ नहीं मिलता है। हमें उस समय का याद है, बचपन में जब कहीं भी घूमने के लिए चले जाते थे, बराबर में से नदी बह रही है, राजबा है, नहर चल रही है, तो निःसंकोच भाव से हम अपनी प्यास उससे बुझा लेते थे। आज तो उधर जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। हमारे लिए जो एक मात्र स्रोत पेयजल का बचा है, वह ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर पर हम कब तक निर्भर करेंगे, पहली बात यही सोचने की है। आज इस बात का सर्वेक्षण करें कि गांव की स्थिति ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में कितनी आगे गई है। आपने एक संकल्प किया है कि हर व्यक्ति को हम शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना बनाएंगे, योजना बन गई है। मैं जानता हूँ कि पानी स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर का केवल नियंत्रण या कार्य क्षेत्र बड़ी नदियों तक सीमित है, लेकिन जितनी सहायता सेंटर देता है, अबकी बार भी आपने ड्रिंकिंग वाटर की दिशा में प्रावधान किया है। वर्ष 2019 तक, जैसा मैंने कहा, आपने स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाया है, क्या यह संभव है कि हम हर गांव को ईकाई मानकर हर गांव के लक्ष्य निर्धारित करें कि वहां पर वर्ष 2019 तक पानी की टंकी जरूर लग जाएगी, पेयजल की व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपने 42 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा बढा दिया। लगभग दो लाख करोड़ रूपए अतिरिक्त जाने वाले हैं राज्यों में, जो नगर पंचायत में और गाँव समाज में भी जाएंगे, लेकिन एक कोआर्डिनेट की बात है और उस समन्वय का काम केवल और केवल केन्द्र कर सकता है। अगर केन्द्र समन्वय का काम नहीं करेगा और हम केवल वहीं छोड़ कर के बैठ जाएंगे, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी अपनी प्राथमिताएं होती हैं। सत्ता पक्ष की अपनी प्राथमिकता होती है। हमारा अपना अनुभव है, जिस पक्ष की सत्ता आएगी, नल का पैसा यहाँ से जाएगा, लेकिन नल कुछ राजनैतिक आधार पर बंटकर रह जाएंगे और गरीब और शोषित वर्ग उनसे वंचित रह जाएगा। अगर पानी की टंकी का भी यही हाल हुआ तो बड़े-बड़े आदमी पानी की टंकी लगवा लेंगे, उस पानी को भी अपनी कॉलोनी तक सीमित कर देंगे और जो पीड़ित वर्ग है, वह इससे वंचित रह जाएगा। इस कारण से एक लक्ष्य आप निर्धारित करें कि जहाँ स्वच्छ भारत की हमने वर्ष 2019 तक कल्पना की है, वर्ष 2019 तक हम निश्चित रूप से भारत के हर व्यक्ति को स्वच्छ जल प्रदान करने में सफल होंगे। आज हमारे सामने परिणाम दूसरा आ रहा है।

मान्यवर, जब हम अपने कार्यालय में बैठते हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ से लगभग दो-ढाई घंटे का सफर हमारी कांस्टीट्यूएंसी का है। वहाँ से रोज 10 से 15 आदमी इस काम के लिए आते हैं कि मुझे एम्स में दाखिल करा दीजिए, मुझे पंत अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। उन्हें लीवर की बीमारी होती है, उन्हें जितनी बीमारियां होती हैं, वे सब जल आधारित बीमारियां होती हैं, क्योंकि उन्हें पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ-कहाँ तक आप एम्स खोलेंगे, कितने अस्पताल आप

बनाएँगे? कितनी भी दवाइयाँ बन जाएँगी, लेकिन जब तक खानपान शुद्ध नहीं होगा, तब तक उन दवाइयों का और उन अस्पतालों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको, सरकार को तथा माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस ओर उन्होंने प्राथमिकता दी है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, लेकिन इसे और गित देने की आवश्यकता है और यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई पात्र व्यक्ति उससे वंचित न रह जाए, लोग इसका भी अपव्यय न कर लें। क्योंकि आज सब उद्योगों का पानी नालों में बह रहा है। आप नौएडा का परीक्षण कर लीजिए तो आप देखेंगे कि वह पानी सीपेज होकर नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर जो केवल एक सोर्स रह गया है हमारे पानी पीने के लिए, वह भी पूर्णतः पॉल्यूट होता जा रहा है। इस कारण से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, सिविल एवियेशन की तरफ आपने खास तौर से ध्यान दिया है। एयर इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए आपने पैसों का प्रावधान भी किया है और इस दिशा में लगभग 820 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया है। मैं किसी डिपार्टमैंट पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज हमारे यहाँ निजी क्षेत्र में भी एयरलाइन्स चल रही हैं और यह हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन क्या कारण है कि मैं एयर इंडिया से लखनऊ जाऊँगा तो किराया कुछ और होगा, निजी सेवा से जाऊँगा तो किराया कुछ और होगा? निजी सेवा से जाऊँगा तो वह फ्लाइट टाइम पर आ जाएगी, एयर इंडिया से जाऊँगा तो ढाई घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और यह भी डर है कि बाद में कैंसेल न हो जाए। आप सहायता करिए क्योंकि यह देश का पैसा है, राष्ट्रीय कोष का पैसा है। एयर इंडिया अगर सही दिशा में चली होती तो आज आपकी सहायता की आवश्यकता उसको न पड़ती। कहाँ अपव्यय हो रहा है, कहाँ इस पैसे को बरबाद किया जा रहा है, और अपनी सेवाएँ देने में वह क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री के रूप में एक बहुत ही योग्य मंत्री हमें मिले हैं, यह हमारा सौभाग्य है। समर्पित भाव से वह काम कर रहे हैं और अच्छी जोड़ी मिली है राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में, लेकिन यह भी सोचें कि केवल लोक सभा से, पार्लियामैंट से पास कराना पर्याप्त नहीं है। पास होने के बाद उसका सदुपयोग भी हो, यह भी कम ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ आप लेकर आए हैं, इसकी भावनाओं के अनुरूप, और जिन भावनाओं के अनुरूप देश आज आपकी तरफ देख रहा है, उस तरफ हम आगे बढेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर इससे भी अलग हटकर एक-दो बातें कहना चाहूँगा। आज हम सदन में खड़े हैं। दो दिन से हम देख रहे हैं कि बराबर सामने वाली सीटें खाली हैं। दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि हमारे प्रयास के बावजूद भी हम उस बात में सफल नहीं हुए, क्योंकि बहुत से लोगों को केवल सत्ता में बैठने की आदत थी और इत्तफाक से अगर उधर बैठना पड़ा तो वे अपने को कुछ

अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जिस प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ आया है, आज हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें और प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उस मानसिकता को समझ सकें, उनको समझा सकें, उनको इस दायरे में ला सकें कि वे लोक सभा में बैठकर कार्यवाही में भाग लें, डिबेट में हिस्सा लें। मैंने वह दिन देखे हैं, मैं यहाँ तो पहली बार चुनकर आया हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक मुझे विधान सभा में बैठने का मौका मिला - उपाध्यक्ष के रूप में भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी। इमरजैंसी में जब मैंने देखा कि आधा सदन खाली था, विपक्ष जेल में था, हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, हमें लगता था कि सदन पूर्ण नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया गया लेकिन कुछ अनावश्यक ज़िद पर अड़े हैं, फिर भी हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। हम सहृदयता का परिचय दें, हम अपनी विवेकशीलता का परिचय दें और कोशिश करें कि सदन का जो स्वरूप होना चाहिए, वह स्वरूप बना रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ आज जो अनुपूरक मांगें इस सदन में पेश की गई हैं, मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पैसे को जो आप स्वीकार करा रहे हैं, इसका पूर्णतः सदुपयोग हो और जनता के हित में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir. *Vanakkam*!

I would like to thank our beloved leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, for this opportunity to speak on the first batch of Supplementary Demands for Grants pertaining to the budget for the year 2015-16 presented to Lok Sabha on 31st July, 2015. The approval of the Lok Sabha has been sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 40,821.68 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 25,495.24 crore and gross additional expenditure aggregating to Rs. 15,325.62 crore. Besides, a token provision of Rs. 82 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The Government has approved the additional provision of Rs. 25,495.24 crore to meet various urgent needs and priorities like capitalisation of banks, provisions for MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency) Bank, Swachh Bharat Mission, Drinking Water, ICDS, SABLA, Panchayats, PMGSY, Metro Rails, Air India etc. I welcome the demand for providing 'pass through assistance' of Rs. 750 crore to Chennai Metro Rail Limited.

Chennai Metropolis has been growing rapidly and the traffic volumes on the roads have also been increasing enormously. Hence the need for a new rail based rapid transport system has been felt and towards this objective, the Government of Tamil Nadu, under the able leadership of hon. Amma, had decided to implement the Chennai Metro Rail Project.

It was a proud moment when hon. Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma flagged off the first train of the Chennai Metro Rail which chugged off from Alandur station on 29 June, 2015.

A sum of Rs. 1143.31 crore had been spent on the scheme between 2007-08 and 2010-11 and an additional Rs. 9608.63 crore from that year till date. Altogether a sum of Rs. 10,751.94 crore was the expenditure since work commenced on the Metro Rail activity. Of the total expenditure, Centre's

contribution is 15 per cent as share capital and five per cent as loans, while that of the Tamil Nadu Government is 15 per cent in the share capital and 5.78 per cent as loans. The State of Tamil Nadu has released its entire share of funds. The rest 59.22 per cent of the amount has been sourced as loan from Japan International Cooperation Agency (JICA). This pass through assistance of Rs. 750 crore will definitely be helpful to Chennai Metro Rail which with a vision -- 'Moving people, sustaining growth' and providing a safe, fast, reliable, accessible, convenient, comfortable, efficient and affordable public transport service preferred by all in a sustainable manner. I urge that the Union Government should render a helping hand financially for all the projects especially those relating to infrastructure development in Tamil Nadu.

There is a support of Rs. 12,721.20 crore for financial services which includes Rs. 12,010 crore additional support for bank capitalisation and Rs. 600 crore for supporting MUDRA Bank. Out of Rs. 600 crore, an amount of Rs. 100 crore is for equity and the remaining Rs. 500 crore is for refinancing.

The support for Social Sector and Rural Development amounts to Rs. 7,985 crore which includes additional support for Swachh Bharat Mission of Rs. 1500 crore and additional support for drinking water is for Rs. 1000 crore.

The Union Government has aimed at Clean India Mission in a great way but still we need dedicated minds and awareness campaigns in full swing to take the movement forward.

Hon. Union Minister for Health and Family Welfare in a written reply in the Rajya Sabha had earlier stated that two National Centres of Ageing to care for the elderly people are being set up at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi and Madras Medical College (MMC) Chennai. We should provide state-of-the-art health care to our elderly people.

It is also learnt that the National Centres of Ageing will be the apex level state-of-the-art multi-disciplinary institutions in the field of Geriatric medicine. They will provide daily out-patient services in various clinical disciplines and

special clinics, day care centre for investigations, rehabilitation, respite care, dementia care, continence care.

In the Supplementary Demand only a meagre amount of Rs. 15 crore has been earmarked to meet the expenditure towards National Programme for Healthcare of Elderly. I urge upon the Union Government for expediting the process of setting up of National Centre for Ageing for the care of the elderly people. Undoubtedly there is a need to allocate more funds for health care programmes meant for the elderly. An additional support of Rs. 3,600 crore for Integrated Child Development Scheme and Rs. 1,000 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I am proud to mention here that Tamil Nadu ranked numero uno in educational development indicators at national level. ICDS has been implemented successfully in Tamil Nadu under the able leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma. As many as 54,62,000 children are benefited under the Puratchi Thalaivar MGR Nutritious Meal Programme at the cost of Rs. 1,412.88 crore.

The Ministry of Civil Aviation has sought an additional support of Rs. 500 crore as subsidy to Haj charters. While mentioning this, I am reminded of the pragmatic decision taken by hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, to provide financial assistance to Hindu pilgrims travelling to the sacred destinations of Kailash Manasarovar and Muktidham besides Christians making pilgrimage to Jerusalem and Haj pilgrims. An additional support for civil aviation of Rs. 820 crore is demanded which *inter alia* includes an equity infusion of Rs. 800 crore into Air India. An amount of Rs. 300 crore has been earmarked as support to Coast Guard for ships, aircrafts and fleets and Rs. 200 crore for minor works, etc.

I request that this amount should be increased and more number of ships, aircraft and fleets should be deployed in the coastal areas of Tamil Nadu providing protection to the people, especially the fishing community.

A supplementary grant of Rs. 1,000 crore is required for Power System Development Fund. And another Rs. 1,000 crore exclusively for utilisation of gas based generation capacity to be met from the Power System Development Fund. An amount of Rs. 500 crore has been allocated for renewable energy out of National Clean Energy Fund. I admit that clean energy is the need of the hour. You are aware that Tamil Nadu is a fast developing State.

In order to satisfy the energy needs of the State, Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited has installed a capacity of 1188.44 megawatts of power, which includes State projects, Central share and independent power. Other than this, the State has installation in renewable energy sources, like wind mill, solar, bio-mass and co-generation up to 8,219.67 mega watt. Recently the State of Tamil Nadu has signed a 25-year solar power project with a proposed generating capacity of 648 mega watt.

This is tipped to be the world's largest solar plant to be located in a single place slated to come up in Ramanathapuram District of Tamil Nadu. I, therefore, urge that the Union Government should provide special financial package to States like Tamil Nadu who are pioneering in the field of clean and renewable energy.

Another supplementary demand of Rs. 4,435 crore which relates to Central assistance for States to meet expenditure on intra-State movement, handling of food grains and fair price shop dealers margin under the National Food Security Act. An amount of Rs. 7,000 crore is also earmarked for Direct Benefit Transfer under the Mahatma Gandhi NREGA under the Ministry of Rural Development. The Union Budget 2015-16 had targeted a total spending of Rs. 17,77,477 crore this financial year.

15.00 hrs.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, my earnest appeal to the Government, through you, is that kindly treat Tamil Nadu with due regard as a most-promising State of the country. The State has been flourishing under the able leadership of hon. Chief

Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma. Tamil Nadu is making giant strides and marking success in very field of acitivity.

"Peace, Progress and Prosperity' is the motto propagated by Dr. Puratchi Thalaivi Amma. Tamil Nadu has been unfairly treated by the Fourteenth Finance Commission with a drastic cut in the horizontal share from 4,969 per cent to 4.023 per cent of the general shareable tax pool and from 5.047 per cent to 4.104 per cent of the service tax pool. The criteria adopted by the Commission were "neither fair nor progressive" as efficiency and fiscal discipline have been totally ignored to the detriment of a "Well-administered" State like Tamil Nadu.

A State like Tamil Nadu, which had invested heavily with resources mobilised by taxing its people and also with huge borrowed funds to accelerate economic growth, has been badly let down by the Finance Commission.

The notion that a State with better economic growth should rely on its own resources alone was not based on any sound principle as the power of taxation was "skewed" in favour of the Central Government.

The bulk of the tax revenue due to better economic growth achieved mainly due to State Government's efforts was through Income Tax, Customs Duty, Corporation Tax, Union Excise Duty and Service Tax, all of which accrue to the Centre and leaving only the Sales Tax to the States. As a result, a State like Tamil Nadu will face a resource crunch and will be at the perpetual mercy of the Central Government for its resources even for its normal administration.

The principle of co-operative federalism touted by the Government of India expects States without equal resource capacity to be equal partners with the Centre. Thus the time has come for the Central Government to leave all indirect taxation to the States so that those which lead in economic development are not dragged down for want of resources.

Sir, I once again make a fervent appeal to provide a special financial package to Tamil Nadu in order to fulfil its long-pending and genuine demands. With this, I conclude. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): First of all, I would thank you, Hon. Deputy-Speaker, Sir, for calling me to speak on this subject.

I stand here to deliberate on the Supplementary Demands for Grants, 2015-16 which have been put forth by the hon. Finance Minister for the consideration of this House. I would initially mention here that when most of us who usually go abroad, we try to buy something for our children back home like some trinkets, some watches some dress or some shoes or something that we bring back so that our family members are happy that we have remembered them when we were abroad. But most of us are having a different type of experience nowadays that whichever shop we enter into either in Europe or in the USA, most of the items that we think worthy of being carried back home are all made in China. Even in the Indian market, when we travel to some other cities, when we go for shopping, the item that is provided or that is available in the shops is also made in China. China's products are flooding the market today. Yet, we know that the China's economy is coming down. Invariably, today - as it is reported in recent times - the growth rate is hardly seven per cent. That is the lowest rate since 2009. This slow down is also ominous for those countries including India. These countries have been selling raw materials to China. It seems China today has a huge stockpiles of steel and other raw materials in the backyard. I am saying this because India is today facing export slowdown. Export fell by 20 per cent in May, 2015.

Other emerging markets and countries in Asia are also facing similar export slowdowns. In case of India, the fall of petroleum price also led to lower dollar export earnings of refined petroleum products that India specialises in. There has been a rise in youth unemployment and various other budgetary cuts have led to reduced disposal income. Yet, I would say that there is a fall in gold price and also home prices, which can be termed as good news. The Minister of State for Finance is a good friend of ours; he always indicates as to what is the effect of the market that is there. It is a good news for our economy. It should be. We are traditionally

habituated to physical assets; the concern here is, the habit has not changed despite economic development.

Financial savings are therefore far lower than they should be. Despite RBI's intervention and Repo rate reduction, why are not banks cutting loan rates? Why are the banks unwilling to cut their loan rates? Is it because of their high NPAs? The gross NPA of Indian banks has risen to 4. 5 per cent of the total advances in September from 4.1 per cent in March. Today, public sector banks are in deep trouble. NPAs are cutting into profits and even leading to losses. This is alarming. But we all know that bringing greater social security and shifting savings from physical assets to financial ones are two keen household themes which Union Government should strive to achieve. But there is a need to constantly be on vigil to see whether the policy determined here in Delhi gets reflected in the countryside.

Sir, Biju Janata Dal, as a regional party, believes that federalism is the basic structure of our Constitution. A significant aspect of federalism is distribution of revenue between the Union and the States. Under Article 270, all tax collected by the Government of India are required to be distributed between the Union and the States. Under Article 275, the Union gives grants to States and under Article 252, the Union may make any grant for any purpose. As per the Budget 2015-16, States' share of tax revenue has been increased from Rs.5,23,980 crore from Rs.3,82, 216 crore of 2014-15. The gain to State, it is said, is Rs.1,41,742 crore. It is also being said that more funds are being given to the States. When this Government has curtailed Central assistance, how can one say that more money is actually flowing to States? The Government has accepted the recommendations of the 14th Finance Commission, that is, increase in the devolution of Central taxes from 32 to 42 per cent. We welcome this. However, the Union Government has delinked eight schemes from Central support. The sharing pattern of 33 Centrally-sponsored schemes also has been reduced. There were certain Centrally-sponsored

schemes which had 70 per cent central funding and this had been cut down to 50 per cent. So, there also State Governments have to put in more funds.

The loss on account of reduction in Central assistance in the case of Odisha would be Rs. 8,037.26 crore. This is not going to be set off by the 10 per cent increase in devolution which would work out to Rs. 5,888.43 crore. Thus, Odisha has to bear an additional liability of Rs. 2,148.83 crore for 2015-16 only. There is also a de-linking of Area Development Programmes like Special Plan for KBK districts, Backward Region Grant Fund, Integrated Action Plan for Left Wing Extremism Affected Districts from Central assistance which is seriously affecting the development programmes undertaken in States like Odisha.

Apart from this, a number of other States also, which suffer from Left Wing Extremist activities, are being affected. Yesterday the Chief Minister of Odisha had met the hon. Finance Minister and I do not know what type of assurance has been given to him. But I presume that he has raised the concern of Odisha in true spirit and the Finance Minister would look into that. Here also, we would expect that adequate assurance would be given to Biju Janata Dal in this House.

In addition to this, I would like to stress that there would be a big dent in our own tax revenue from the current year to the extent of nearly Rs. 1,700 crore per annum on account of tax deferral after the commissioning of the Oil Refinery of the Indian Oil Corporation which is being set up in Paradip. It was during the previous NDA Government, the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee went to Paradip to lay the foundation stone for this plant and after 15 years, this Paradip Oil Refinery is going to be commissioned. But our problem would be that because of the deferral of that tax, Odisha would be losing Rs.1,700 crore annually. The State Government is exploring a suitable mitigation strategy to be worked out in consultation with the Government of India and Indian Oil Corporation in this regard. However, the current revenue of the State will be affected till some alternative mechanism is put in place.

Sir, the Government has accepted the recommendations of the 14th Finance Commission and every State has to accept it. But when the devolution is not actually taking place and we are already at a loss of more than Rs. 2,800 crore, here there is a shortage of another Rs. 1,700 crore. I would like to mention here that during the Budget Speech, the hon. Finance Minister had emphasized that there is a need for Eastern States to grow faster. He assured Central assistance to some of the Eastern States like Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana etc. But the case of Odisha has not been considered for such assistance in spite of low level of socio-economic development indicators of the State. I think this aspect needs to be considered. The State Government also could not gain from the new dispensation of increased devolution and reduced plan transfer put together.

The additional financial liability is beyond the means of Odisha Government. I would, therefore, request the Government to appreciate the concerns of Odisha and consider continuance of Central assistance for areaspecific development programmes like Special Plan for KBK, Backward Regions Grant Fund, and Integrated Action Plan besides special assistance. For this, from our State, the Chief Minister has given to the Government and also has written to the Prime Minister of India that we need an assistance of Rs. 3,500 crore which may be provided out of the funds that are allocated to the National Institution for Transforming India Aayog, that is, NITI Aayog to keep up the ongoing plans and programmes of our State.

I would just like to touch upon two-three aspects here relating to what the Government of India has suggested to the respective State Governments. With this 10 per cent increase of devolution from 32 per cent to 42 per cent, along with that, suggestions also have come. The Department of Justice has submitted a comprehensive proposal – it was with the 14th Finance Commission; the Law Minister is here – covering areas like reduction in pendency of cases, redesigning existing court complexes so that they become more litigant-friendly, enhancing access to justice and capacity building of personnel. The Commission also had

recommended a proposal by the Department of Justice to strengthen the judicial system in the States and urged the State Governments to use the additional fiscal space provided by them in the tax devolution to meet such requirements. The Ministry of Home Affairs has submitted a detailed memorandum. The 14th Finance Commission observed, the States have the appropriate fiscal space to provide for the additional expenditure that is need for this requirement – it means we have to also go into that – for maintenance of irrigation projects, public buildings, roads and bridges. We have also been advised that this fiscal space of 10 per cent also should be taken care of.

Another is the forest aspect. Forest entails two major costs: maintenance cost of keeping forest and restoration cost required for improving health of existing degraded forest. Keeping in view the ecological benefits and the need to support States, which, earlier, the Central Government was doing, now the States have been advised that you have also to look after your States from this increased fiscal space that you have. It is because forest is one of the important criteria for horizontal devolution. For this, we also do not get any additional funds. CAMPA, of course, will come provided the Parliament passes it as early as possible but that money is there. Some money is being transferred but that is not as per the requirement. Requirement is another thing. As per the provision, that should flow. That is also not flowing. But we have all been told that this is the area, this is the space from which this money has to come.

Sir, the 14th Finance Commission also has considered health, education, drinking water, sanitation as public service of national importance. But how much money is actually flowing in this aspect? This needs to be looked into.

I would also like to mention here another aspect. We are not against the auctioning of mines. We had not opposed that but we said that the State's interest also should be protected. There is a glaring case. The Government of India has received Rs. 6,801 crore by way of additional levy that is realised from 31 cancelled coal blocks in various States from companies like Hindalco. An

additional levy of Rs. 295 per metric ton of coal has been levied as per the orders of hon. Supreme Court which was suggested by the Comptroller and Auditor General of India. The amount of Rs. 560 crore payable by Hindalco on account of Talabira-I is a legitimate claim of Odisha Government. Other States like Chattisgarh and West Bengal have also put forth their claims on this account. This money has not flown back to the States.

I would urge the Finance Minister to impress upon the Government so that the money is flown back to the States as early as possible. Our Chief Minister also has written in this regard. I think, he must have discussed it yesterday.

The Mudra Bank is a unique feature. The hon. Finance Minister had announced it in the Budget. It deals with micro finance. It deals with looking after the small and tiny enterprise. Our State Odisha and especially Bhubaneswar do not have any headquarters of any public sector bank.

Lastly, I would urge upon the Government and request the Finance Minister to have the Headquarters of Mudra Bank in Bhubaneswar. It will look after the whole country. There is a need for it. When you are looking into the Eastern States' development, here is a case where Odisha Government will be providing all sorts of logistic support and, I think, Mudra Bank Headquarters can be stationed in Bhubaneswar. That will be a great thing for a State like Odisha.

With these words, I conclude. Thank you very much.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन (3) बिल, 2015 का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तकरीबन 40821.68 लाख करोड़ रुपये की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस एप्रोप्रिएशन बिल का सपोर्ट करते हुए मैं यहां कई मुद्दों का विस्तृत विवेचन करना चाहता हूं, जिससे केन्द्र सरकार को लोगों के हित में निर्णय लेने में मदद हो। आज बारिश की अनियमितता की वजह से महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले तीन सालों से सुखा पड़ रहा है, खासकर के मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले तीन सालों से वहां बारिश नहीं हुई। वहां धान उत्पादक किसान बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को मदद, मुआवजा देने का ऐलान हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों तक वह मदद नहीं पहुंची। दुर्भाग्यवश मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों के पास पैकेज के तहत दिए गए कई करोड़ रुपए पहुंच नहीं सके, केंद्र और राज्य सरकार के पास वापस आ गए। किसानों के नाम दस्तावेज में रहते हैं। चाहे महसूल के कागज हों, इनमें कोई जिंदा है कोई मर गया है, किसी के बाप का नाम नहीं है कहीं कुछ और नहीं है लेकिन इसमें उनका नाम रहता है। महसूल खाते में अधिकारी वर्ग की गलती से जो किसान जमीन पर काम करते हैं, उनका नाम रिकार्ड में नहीं जाता है। यही कारण है कि जो मदद केंद्र या राज्य सरकार देती है, वह इन लोगों तक नहीं पहुंचती है। अगर सरकार को भविष्य में महाराष्ट्र या देश के अन्य किसानों की मदद करनी है तो महसूल दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करके आधुनिकता लानी चाहिए। इससे पहले दो बार ऐसा हुआ है कि पुराने जमाने से चल रहे कानूनों को स्क्रैप किया गया, रद्द किया गया। धान का उत्पादन करने वाले किसानों की तरह फल उत्पादन करने वाले किसानों की हालत खराब है। कई फल उत्पादन करने वाले किसानों को फल का उत्पादन न होने के कारण राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजा देने की कोशिश की गई थी। खास तौर से मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में आम, काजू उत्पादन करने वाले किसानों को 65 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया था, जो उन्हें नहीं मिला और वापस चला गया क्योंकि रिकॉर्ड में गलतियां थी। यही वजह है कि सही लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। पहले ऐसा होता था कि जो किसान या फल उत्पादक जिस जगह काम करता था, उससे इंडैमनिटी बांड ले जाते थे और उसे मुआवजा मिलता था। लेकिन अब दुर्भाग्य से इसमें बदलाव आया और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों को लाभ मिलना होता है वह नहीं मिल पाता है।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। खाद्य सुरक्षा कानून में 15 और 10 किलो की जगह तीन और दो किलो अनाज के आबंटन की व्यवस्था हो रही है। बीपीएल लोगों को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देने की व्यवस्था हो रही है। एपीएल लोगों

को नवंबर, 2014 से अब तक एक किलो भी गेहूं और चावल नहीं मिला है। बीपीएल और एपीएल लाभार्थियों की लिस्ट में कई गलितयां हैं, यह सबको मालूम है। एपीएल लोगों को एक साल तक अनाज नहीं मिला है, इस कारण उनको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एपीएल वर्ग के लोगों को छः और नौ किलो गेहूं और चावल मिलता था, मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि इसे देने की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है जिसके कारण लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार इस तरफ गंभीरता से ध्यान देगी।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर समुद्र की तटरेखा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 125 किलोमीटर समुद्र की तटरेखा है। यहां लाखों मछुआरों का जीवन मछली उत्पादन पर निर्भर है। लेकिन तूफान और बारिश की वजह से ऐसा हो चुका है कि पहले तीन महीने में उनके ऊपर पाबंदी आती थी लेकिन मौसम के बदलने के बाद आज हर वर्ष में कभी भी बारिश होती है और कभी भी तूफान आता है। जिन लोगों का समुद्र के माध्यम से जीवनयापन होता है, ऐसे मछुआरों को उनका जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मछुआरों को कई योजनाओं के माध्यम से मदद करने की जरूरत है, जैसे कि उन्हें बीमा का संरक्षण दिया जाना चाहिए। तूफान की वजह से कभी कभी उनका जहाज समुद्र के बीचोंबीच फंस जाता है और उनसे सम्पर्क नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मछुआरों के जहाज पर वॉयरलैस सिस्टम के साथ मोबाइल सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए और इसके साथ साथ जो पारम्परिक मछुआरे हैं, उन्हें रॉकेल, डीजल में सब्सिडी देने की व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से की जानी चाहिए, यह विनती मैं करना चाहता हूं।

न्यूक्लिअर पॉवर स्कीम के बारे में भी मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमारे रत्नागिरी में जैतापुर में न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट का बड़ा प्लांट लाने की कोशिश केन्द्र सरकार के माध्यम से भी हो रही है जो पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी। हमारा विरोध इसीलिए है कि जिस एरिया में बार बार भूकम्प आता है, ऐसी जगह पर न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट नहीं चलाना चाहिए, जैसे कि सिंधुदुर्ग में पन्द्रह दिन पहले एक बहुत बड़ा भूकम्प का हादसा हुआ। ऐसे कोंकण की भूमि में न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट लगाया गया तो भविष्य में इस भूमि को साफ करने की व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से नहीं करे, यह विनती मैं बार बार करना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीएसएनएल से सब लोग देश में नाराज हैं। मैं खुद भी नाराज हूं। लेकिन मैं अभिमान से कहूंगा कि दूर संचार विभाग ने अच्छा किया कि बीएसएनएल के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र में ऑनलाइन ई क्लास की शुरुआत की। जो पहाड़ी एरिया में स्कूल हैं, जो शहरी

एरिया में स्कूल हैं, ऐसे 28 स्कूल्स के करीबन 15000 छात्रों को ऑनलाइन ई क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने का काम बीएसएनएल के माध्यम से हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और अगर बीएसएनएल चाहे तो वह कई प्राइवेट कंपनीज से भी स्पर्धा कर सकती है। लेकिन सरकार को बीएसएनएल की तरफ सही तरीके से ध्यान देना चाहिए।

जो हमारा पर्यटन का विभाग है, पर्यटन के क्षेत्र में जैसे कई राज्य पूरी तरीके से अपना राज्य चलाते हैं। हमारे गोआ राज्य का उदाहरण सामने है। कोंकण के रत्नागिरी के सिंधुदुर्ग का जो एरिया है, वैसे यह कोस्टल एरिया है, पर्यटन की दृष्टि से वहां बहुत सुधार हो सकता है, जब मैं ऐसी मांग करता हूं तब मैं एक बार और खुशी से करना चाहता हूं कि इस विभाग के जो मंत्री डा. महेश शर्मा हैं, मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मंत्रिमंडल में जो अच्छे मंत्री काम करते हैं, उसमें डा. महेश शर्मा जी का नाम मैं बार बार लूंगा कि लोक प्रतिनिधियों की समस्या और ग्रामीण इलाके की सुविधा के लिए ऐसे मंत्री जब काम करते हैं तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए।

मैं बजटरी डिमांड पर बोलते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा कि खासकर पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना के जो काम हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जिन रास्तों का निर्माण पिछले कई वर्षों से हो रहा था, जिसमें फेज वन और फेज टू आते हैं, उनमें फेज वन का काम भी आधा रह गया है। फेज टू का काम भी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। ग्रामीण इलाके के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आप मदद करें। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाके का विकास हो और लोगों को मदद पहुंचे, मैं ऐसी ही विनती आपके माध्यम से करना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you very much.

I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) - 2015-16. At the outset, I wish to draw the kind attention of the Union Government to one thing that the unjust bifurcation of Andhra Pradesh State has caused heavy losses to the successor State by way of losing major revenue sources and many cultural universities and institutions. Without addressing the basic needs of the new Capital city and resource mobility for the successor State of Andhra Pradesh, the previous UPA Government had bifurcated the Andhra Pradesh State in a thoughtless manner, without bothering about the consequences in the long run. As such, the Government of Andhra Pradesh is reeling under several financial crises and has, presently, severe revenue deficit. Unless the Central Government comes forward all-round, it would be very difficult to develop Andhra Pradesh State at par with other developed States. To make matters worse, the Hudhud cyclone had caused extensive damage to a lot of property, infrastructure and agriculture procedure.

The people of Andhra Pradesh nurture a lot of expectations and aspirations from the Union Government, including that the Special Status Category to Andhra Pradesh State would be accorded by the Union Government. Even though one year has elapsed by now, no such decision has been taken so far, which is a cause of resentment among the people of Andhra Pradesh State. In this context, I would like to remind the Government through this august House that the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, at the time of passing of the A.P. Reorganisation Bill, 2014 in Rajya Sabha on 19.2.2014 had assured this to the House:

"I have listened very carefully to the views expressed by the Leader of Opposition and all the other Members who have spoken, especially those from Andhra Pradesh. The Home Minister has already mentioned the specific steps our Government will take to address the concerns of all regions of the State, particularly of Seemandhara.

I would like to make a few further announcements in this regard. First, for purpose of Central assistance, Special Category Status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh comprising 13 districts, including four districts of Rayalaseema and three districts of North coastal Andhra Pradesh for a period of five years. This will put State's finances on a firmer footing."

However, unfortunately, the same thing was not mentioned in the A.P. Reorganisation Act which has resulted in a lot of resentment among the people of Andhra Pradesh. In this regard, I would also like to remind this august House that when the States of Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh were carved out from U.P., Bihar and Madhya Pradesh respectively, the then NDA Government had consulted all stakeholders, taken them on board and addressed all the issues in a justified manner. Whatever reasons may be there for delay in granting the Special Category Status to Andhra Pradesh, it is liable on the part of the successor Government, that is, NDA Government, to implement the word of promise declared on the floor of Parliament. I would, therefore, humbly appeal to the Government to keep up the sanctity and dignity of Parliament by keeping up the practice of upholding statements made on the floor of this temple of democracy of India, irrespective of the fact that the Governments will come and go.

In this regard, yesterday on 4.8.2015, Shri Venkaiah Naidu *garu*, hon. Minister of Parliamentary Affairs and Union Home Minister, while replying to the special mention made by my colleagues regarding reason for delay in granting Special Category Status to Andhra Pradesh, had assured the House that the Ministry of Finance was examining the issue and would take a decision soon. I would, therefore, fervently appeal to the Union Government to expedite the matter and accord Special Status Category to Andhra Pradesh for a period of ten years, without further delay, as it will help in developing a strong and vibrant State which is the principle and philosophy of Shri Narendra Modi, our hon. Prime Minister, who has established NITI Aayog to build strong States and strong nation

- a true cooperative federal structure of India which the forefathers of India had visualized.

If the Special Status is given to Andhra Pradesh, a lot of industries would be set up, which will not only generate employment for the unemployed youth, but also ease revenue deficit to some extent. Unfortunately, the 14th Finance Commission has estimated our new State revenue deficit partially and did not fully assess the massive developmental needs or requirements of the residuary State of Andhra Pradesh, including the formation/building of a new Capital, infrastructure development, initiatives required for industrial development and other major growth engines.

For the construction of a new Capital city for the new State of Andhra Pradesh, the Government of Andhra Pradesh has identified a place called Amaravati for which a huge financial inflow is required. Singapore has recently submitted a blueprint of the Master Plan of Amaravati City. In order to bring back the pristine glory of Andhra Pradesh, we need a massive infrastructure development and heavy investments under 'Make in India'.

All the assurances made in the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 have not been fully implemented so far, except for announcement of setting up of IIT, IIM, IISR, Tribal University and Petroleum University. I would request the Government to implement all the assurances made in the said Act in true letter and spirit as early as possible.

I would also earnestly request the Government to allocate adequate funds for construction of the new Capital city.

I appeal to the Government to declare adequate allocation for the Polavaram National Irrigation Project to the tune of at least Rs. 5,000 crore in this Budget so that it could be completed within the timeline.

The NDA Government headed by Shri Narendra Modi, the hon. Prime Minister of India, is giving utmost priority for the implementation of interlinking of rivers. In this regard, I wish to state that Andhra Pradesh is best suited for the

implementation of interlinking of Godavari and Krishna Rivers, which could address the problems being faced by the farmers in general, especially of those in the drought-hit region of Rayalaseema in particular. I would urge upon the Government to expedite the process of interlinking of these two rivers in the proposed list of interlinking of river projects.

Coming to my Rajahmundry Parliamentary Constituency, it is one of the major cities in the State of Andhra Pradesh located on the banks of the Godavari River connecting East and West Godavari Districts. Very recently, we had the Godavari Maha Pushkaram, which comes once in 144 years. About 4.58 crore devotees visited Rajahmundry and had their holy dip. HRIDAY is a Central Scheme for preservation, conservation and revitalisation of the soul of Indian cities of heritage importance by reflecting each city's unique character in an aesthetically appealing, accessible, informative and secured environment. I would, therefore, urge upon the Government of India to include Rajahmundry, the central cultural Capital of Andhra Pradesh, under HRIDAY Scheme of the Ministry of Urban Development.

I am constrained to bring to the kind notice of the Government that the existing Government General Hospital in Rajahmundry is not having adequate facilities to deal with cancer-related cases. Keeping this in view, I would earnestly request the Government to sanction one more AIIMS-like institution along with a Cancer Research Institute/Hospital at Rajahmundry.

I would also urge upon the Government to set up one Mega Food Park at Rajahmundry to augment the agricultural supplies and to ensure food security.

Another very important point is this. I appeal to the Government to take an innovative measure for skill development in police personnel on par with other professions like engineering, medical, agriculture, IT, etc. I would request the Government to set up a Police University in the State of Andhra Pradesh on the lines of Raksha Shakti University in Gujarat, which was set up by Shri Narendra Modi when he was the Chief Minister of the State of Gujarat. It should offer a

four-year degree course with criminology, psychology, forensic science and cyber technology as subjects. In the academics, physical fitness should also include Yoga and various sports like shooting, running, etc. Thank you.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभी सांसद पैसों की मांग करते हैं कि हमारे यहां पैसे की आवश्यकता है और तमाम प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की बात होती है। लेकिन शायद ही कोई माननीय सदस्य संसद में बोलता होगा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। The other side is the expenditure management. मैं थोड़ा राजस्व प्राप्ति के बारे में कहना चाहूंगा। जब तक सरकारी खजाना या एक्सचेकर में पैसा नहीं होगा, तब तक योजनाओं में पर्याप्त पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे साथी भी फंडिंग के बारे में कह रहे थे। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपया करीब 17 लोगों पर इनकम टैक्स का बकाया है। It was written that it was not recoverable. I know that because I have experience of income-tax. A part of money can be recovered provided that it is properly done and it is seriously taken up. Hon. Finance Minister is taking all measures to boost the revenue and collect the revenue as much as possible. I am aware of that and I support that.

The other aspect is about the management. I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister, through you towards application of Special Component money. So often I have seen that the money which is disbursed or allocated under SCP and TSP is misused. Sometimes dams are constructed or stadium is built out of the money which is for the development of SC and ST. That has to be checked. I would urge the hon. Finance Minister that there should be a mechanism for this. There should be a Committee to monitor it. In the Ministry of Human Resource Development, there is one Monitoring Committee for SSA. We do not have that kind of a Monitoring Committee in the Ministry of Finance. That is why we do not know whether the money allocated under SCP and TSP is being really utilised for their development or not. I would urge that a Committee should be formed and they should also look into this to ensure as to what kind of plans and programmes should be devised for these people. This would really empower them and uplift them.

Besides, it has been discussed that SCP should be individual oriented and not area targeted. What happens is, when it is area targeted, then others would also become the beneficiary of this. Then it is all credited that it is spent for SC and ST. That should also be looked into.

Coming to the NPA, still a huge amount of NPA is lying which is recoverable. The Government is taking all measures. I am aware of that. Unless and until we strengthen this part, it would not help. I was Additional Commissioner of Income-Tax. My wife is still Commissioner. I know very well about the Revenue Department. The administration part of the revenue has to be streamlined. The present Government is trying its level best. It is not very easy to resolve this issue because of the legacy that we have inherited. It takes some time. There are so many districts where even offices of Income-tax and Customs and Excise are not there. It is not possible to tap the revenue in those places. So, the base of the revenue is too much and it is being expended. I would urge the Government to take proper steps in this direction.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट की सप्लीमेंट ग्रांट्स की चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैसे की जरूरत है और हमारी सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने जनरल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना चलाई है, अटल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और ऐसी योजनाएं जिनसे वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर लाने की बात हुई है, इन सभी के लिए पैसे की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इन योजनाओं को आगे ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के लिए माननीय वित्त मंत्री जी पंजाब गए थे। अमृतसर में मंत्री जी ने कहा था कि 50 हजार करोड़ रुपया सिंचाई के लिए रखा है। अभी तक यह जानकारी नहीं है कि प्रदेशों में यह पैसा कैसे बांटा जाएगा या कैसे-कैसे यह पैसा खर्च किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि सही रूप में पैसे का इस्तेमाल हो पाए तो प्रदेशों की सरकारों से जो योजनाएं आई हैं, उनको अमल में लाना चाहिए न कि केंद्र अपनी तरफ से योजना बनाकर प्रदेशों को दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य बजट से पहले ही कहा था कि कोऑपरेटिव फेड्रेलिज्म बनाया और नीति आयोग बनाया। प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ लिया और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत जैसे पंजाब की तरह जो प्रदेश हैं, वहां पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उसे रेनोवेट करने की जरूरत है। इसके अलावा बारिश के पानी को सम्भालने की जरूरत है। देश को समृद्ध बनाने के लिए पानी की जरूरत है। आज पानी का ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है और धरती के नीचे से पानी बाहर निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसके लिए नई योजना वित्त मंत्री जी लाएं कि बारिश के पानी को सम्भालने के लिए राज्य सरकारों को मदद दी जाए तो मैं समझता हूं कि पैसे का सही इस्तेमाल होगा तथा देश तरक्की भी करेगा।

महोदय, बीपीएल सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। सरकार गरीबों की भलाई के लिए सोचती है। मैं समझता हूं कि बीपीएल कार्ड बहुत कम लोगों के बने हैं। बीपीएल के तहत और लोगों को भी कार्ड देने की जरूरत है। इस को भी रिव्यू करना चाहिए। मेरी तीसरी बात यह है कि इंटीग्रेटिड चेक पोस्ट वाघा में बनी है। इंटेग्रेटिड चेक पोस्ट हुसैनीवाला में भी बन सकती है। दुख इस बात का है कि पहली सरकारों ने पंजाब जैसे प्रदेश के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया लेकिन आज की सरकार से हमें अपेक्षा है कि डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा। वहां लिमिटेड वस्तुएं ही जाती हैं। जब समुद्र के रास्ते विदेशों में 150-160 वस्तुएं जा सकती हैं तो रोड द्वारा चीजें क्यों नहीं भेजी जा सकती हैं। पंजाब जैसे प्रदेशों की इकोनोमी में स्टैगनेशन आ गई है, एग्रीकल्चर में स्टैगनेशन आ गई, हमें कुछ पैसे मिल पाएं इसलिए रिव्यू करने की

जरूरत है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि काम करने वाले लोगों को शाबासी दी जाए तो काम और ज्यादा होता है।

पंजाब ने देश के लिए सबसे ज्यादा अन्न पैदा किया है लेकिन आज हमारे यहां पैसे की कमी है। 14वें वित्त कमीशन ने पंजाब को डेफिसिट स्टेट से बाहर निकाल दिया लेकिन यह सच है कि प्रति एकड़, प्रति परिवार सबसे ज्यादा कर्जा पर-मैन पंजाब के किसान के सिर पर है। पंजाब सरहदी प्रदेश है। अभी गुरदासपुर में जो घटना हुई है, वहां फौज आई, फौजी गाड़ियां आईं। पंजाब की सड़कें टूटी हुई हैं। हम स्पेशल पैकेज इसलिए मांगते हैं क्योंकि सरहदी प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के जो नार्म्स हैं। उसके लिए हमें पैकेज नहीं मिलता है, सरहदी स्टेट मानकर हमें सड़कों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्थज्ञ सुधर पाए। इसी प्रकार से पहाड़ी राज्यों को विशेष सुविधाएं दी गयी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ बहुत सारे पहाड़ी इलाके पड़ते हैं। उनको अलग सहूलियतें हैं और हमारी कान्स्टीट्यूएंसी के लोगों को अलग हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र की कांस्टीट्यूएंसी को भी विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो इंसेटिव पहाड़ी क्षेत्रों के प्रदेशों को मिलता है, वह पंजाब को भी मिलना चाहिए। आखिर में एक बात कह कर अपनी विनती समाप्त करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पर्सनली भी कहा था कि श्री अनंतपुर साहिब, जिसके लिए माननीय वाजपेयी साहब ने सौ करोड़ रूपये दिए थे, आज तक लोग उनको याद करते हैं। हम श्री अनंतपुर साहिब का 300वां जन्मदिन मना कर हटे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि कुछ न कुछ तो वहां दिया जाएगा। वहां या तो टूरिज्म हब बनाया जाए या सातों दरियाओं को चैनलाइज़ कर के 900 करोड़ हिमाचल वालों ने खर्च कर के सामान यदि पंजाब में लाते हैं, हमारी मिट्टी, हमारी जमीन, हमारी फसलें खराब हो गईं। ...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट की अनुपूरक मांग पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हमारी वर्तमान सरकार ने, जिसके अगुवा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी को जब बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस समय पूर्वर्ती सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा विभाग नहीं था, जिसमें घोटालों का बोलबाला न रहा हो। ऐसी परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कार्य स्वीकार किया और सर्वग्राही बजट ला कर देश के सामने प्रस्तुत किया। यूपीए सरकार के लोगों ने जिनके द्वारा ही मनरेगा व्यवस्था लायी गई थी और सन् 2014 के चुनाव के पहले छह-सात महीने के कार्यकाल में मनरेगा का पैसा जाना बंद हो गया था। उन लोगों ने बहुत सारी आपत्तियां भी की थीं कि हमारी यह योजना बंद होने जा रही है, यह भ्रामक प्रचार भी किया, लेकिन बहुत ही पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने मनरेगा जैसी योजना पर, जो आम मजदूरों से जुड़ी हुई थी, गांव के गरीब लोगों से जुड़ी हुई थी, बिना भेदभाव के तत्काल समय में ही बजट में 34699 करोड़ रूपये का प्रारंभिक बजट आवंटित करने का कार्य किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा, जो विभाग थे, चाहे कोयले का देख लीजिए, चाहे बिजली का देख लीजिए, आज बिजली की समस्या को भी हमारे वित्त मंत्री जी को हल करना था। कोयले की स्थिति यह हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और 214 खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का कार्य किया, यह कह कर कि इसमें अनियमित्ताएं बरती गई हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को उसका सामंजस्य बिठाना था कि कैसे हम बिजली की समस्या को भी दूर करें, कोयले की समस्या को भी दूर करें और पारदर्शी तरीके से उन्होंने नीति बना कर अपने निर्देशन में संबंधित मंत्रालय के लोगों से, संबंधित माननीय माननीय मंत्री जी के साथ बैठ कर वह समस्या भी दूर करने का प्रयास किया कि 214 खदानों में से, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनको निरस्त किया जाए, उसमें से अब तक लगभग 30-31 खदानों का ही पारदर्शी तरीके से आवंटन कर के जिसमें सीएजी रिपोर्ट भी एक तरह से कटघरे में खड़ी होती है क्योंकि तात्कालीन सरकार के कारनामों का जो काला चिट्ठा, जिसके बारे में पूरा देश जानता था कि सरकार का सबसे अधिक रेवन्यु का नाश किया गया और जिसको विदेशों में भेजा गया, वे काले धन पर सबसे अधिक शोर मचा रहे हैं और काले धन के रूप घोटाले का पैसा विदेशों में भेजा गया। उसमें पारदर्शी तरीके से हमारे वित्त मंत्री जी ने संबंधित मंत्रालय के कोयला मंत्री जी के साथ सामंजस्य बिठा कर जो आवंटन किया, सिर्फ उसी में से, लगभग दो लाख करोड़ रूपये से ऊपर रेवन्यू हमारी सरकार को प्राप्त हुए। जबिक सीएजी रिपोर्ट एक लाख हज़ार करोड़ रूपये की ही आई थी और उस पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया, जो कि सरकारी संस्था है कि घोटाले की जो जांच की थी। उसके आधार पर सर्वग्राही बजट पूरे देश

को हमारे वित्त मंत्री जी ने देने का कार्य किया है, चाहे वह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत रहा हो, चाहे वह कौशल विकास योजना के अंतर्गत रहा हो, जब हर बेरोज़गार नौजवान का सपना होता है कि अब तक वह केवल कागज की डिग्री लेकर खड़ा होता था और कागज़ की डिग्री के आधार पर उनसे पूछा जाता था कि या तो उनके पास मिरट हो और मेरिट की भी स्थिति आज शिक्षा व्यवस्था में क्या है। हम लोग कहीं न कही गांव से संबंधित हैं, ऐसे-ऐसे सेंटर हैं, जो सीधे-सीधे पूर्व की व्यवस्थाओं में सीधे उस पर एक तरह से ठेका दे देते थे और जो क्वालिटी वाला लड़का था, वह पीछे छूट जाता था। लेकिन कौशल विकास योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हमारी वर्तमान सरकार द्वारा लायी गई, जिसके आधार पर हम हुनर को योगदान देंगे, हुनर के आधार पर जो भी बेराज़गार नौजवान है, जिके पास काग़ज़ी डिग्री भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है, अगर उसके अंदर हुनर है, कोई बढ़िया मोबाईल बनाना जानता हो, ग्रामीण महिलाएं डिलया बनाना जनती हों, कोई अचार मुख्बा बनाना जानती हो, कोई और भी किसी अन्य तकनीक को जानता हो, उसको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने 1600 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया है।

16.00 hrs.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आधार पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है। गंगा जैसी नदी की साफ-सफाई के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ गंगा निधि में भी सौ फीसदी कटौती करने का काम किया है, जिसमें इसके तहत स्वच्छ भारत को अनिवासी और निवासी दोनों द्वारा स्वच्छ गंगा निधि में दिए गए कंपनी अधिनियम सन् 2013 और धारा 135 के अनुसार किए गए अंशदान को छोड़ कर आय कर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत सौ फीसदी कटौती की व्यवस्था की बात हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। आज सबका साथ और सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है, उसको हमारे वित्त मंत्री जी साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं और मैं इसका समर्थन करता हँ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लिमेंट्री ग्रांट्स पर बोलने का जो मौका दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यह 40 हज़ार 821 करोड़ रूपये की सप्लिमेंट्री ग्रांट के लिए पार्लियामेंट में लाया गया है और इसमें से 15325 करोड़ रूपये तो तकनीकी हैं, किसी जगह सेविंग हुई, किसी जगह उस सेविंग को दूसरी जगह खर्च करने की परिमशन है। 25495 करोड़ रूपये की नई मांग है। इसमें जो मुख्य मांग है, वह है फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 12010 करोड़ रूपये माननीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव के हिसाब से लिए हैं। महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सांसद ने यह कहा है कि बैंकों के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर एनपीए बहुत है और मैंने कल के ही इकॉनमिक्स टाईम्स में पढा है कि 31 मार्च 2016 तक सरकारी बैंकों का जो एनपीए है, वह 4 लाख करोड़ रूपये के करीब हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार के पैसों को कैसे डुबोया जा रहा है। इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इन्होंने मांग की है, वह है शहरी विकास मंत्रालय में एक हज़ार करोड़ रूपये की मांग, जिसमें से 750 करोड़ रूपये तो चेन्नई के मैट्रों के लिए और ढाई सौ करोड़ रूपये बैंगलोर के मैट्रों के लिए हैं। यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आज चेन्नई और बैंगलोर में जो परिवहन की स्थिति है, वह बहुत खराब है, दस किलोमीटर जाने के लिए एक-दो घंटे लग जाते हैं। इसीलिए ढाई सौ करोड़ रूपये जो बैंगलोर मैट्रो के लिए दिए गए, ताकि त्वरित गति से वहां निर्माण हो सके, इसके लिए वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही तीसरा उन्होंने पॉवर मंत्रालय में दिए हैं। पॉवर मंत्रालय के लिए दो हज़ार करोड़ रूपयों की जो एडिशनल डिमांड मांगी है, उसके पीछे तर्क यह है कि जो गैस बेस्ड पॉवर जनरेशन है, उसका यूटिलाइजेशन फूल हो, उनकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन फुल हो, इसके लिए इन्होंने यह राशि मांगी है, ताकि आज अपने देश में जो पॉवर की समस्या है और जो इजीली गैस अवेलेबल है उससे पॉवर की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो।

इसी तरह 2685 करोड़ रूपये इन्होंने स्वच्छता और पेयजल के लिए एक्सट्रा मांगे हैं। ग्रामीण पेयजल योजना और स्वच्छता योजना, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मैं राजस्थान के भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ वहां करीबन 70 पर्सेंट गांवों में आज भी फ्लोराईड की दिक्कत है और इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत काम किया जाना चाहिए। मैं एक मुख्य बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ, सन् 1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम टफ्स था, यानि टैक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम थी। और वह इसलिए शुरू की थी, ताकि भारत की टैक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। हमारे भीलवाड़ा में टैक्सटाइल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है और टैक्सटाइल इंडस्ट्री को वहां चीन से कम्पीटीशन करने में दिक्कत आ रही थी तो वहां उस समय यह

प्रस्ताव आया कि इस इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इसका अपग्रेडेशन किया जा सकता है तो सरकार ने योजना शुरू की कि नई जो भी मशीनें टैक्सटाइल वाले लगाएंगे, नया कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उस पर गवर्नमेंट इण्टरैस्ट के ऊपर सब्सिडी देगी और वह 2017 तक लागू है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोगों को यह टफ का पैसा नहीं मिल रहा है। 2014-15 में इसमें 2300 करोड़ का बजट सरकार ने सैंक्शन किया था, लेकिन डिस्बर्स केवल 1864 करोड़ रुपये ही किया गया, जबिक लोगों को, इस उद्योग को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि टफ अटकी हुई है। मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह है कि यह फंड जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाये। ऐसे ही जो निर्यातक हैं, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर जो ऋण है, उसकी सब्सिडी भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाये।

धन्यवाद।

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the first Supplementary Grants has been debated and many hon. Members have spoken on it. It is a regret for all of us and for me that some of our colleagues are not here because this is an opportunity where almost every ideology and every inch of India is represented. In these debates popular concerns can be voiced. I do hope that an environment would be created by our colleagues in which they are back to participate in further discussions on several subjects.

So, while we are discussing the Supplementary Grants, a lot of hon. Members have spoken on the general economic conditions as they prevail. There is a slow down all over the world and it is generally believed that the global growth this year would be a little over 2 per cent; about 2.4 per cent is the figure which is being now spoken of. There are many leading economies in the world which are facing challenging situation, as Mahtab ji just now mentioned that even a high growth economy like China which has grown for the last three decades at almost an average of over 9 per cent, their 'new normal' now is 7 per cent or even below.

In this global environment where the global winds are not very favourable and the past few years had not seen airs of growth, in fact we had come down to a reasonable bottom pit as far as the Indian economy is concerned, the Government led by the hon. Prime Minister Modi ji is trying to steer the Indian economy. It is a responsibility for each one of us to cooperate in those steps which we take in order to enhance the growth rates.

In this overall global slow down India is ranked as one of the few bright spots in the global economy. Last year we grew by about 7.3 per cent. This year we are targeting to touch a growth by over 8 per cent. Obviously, when we grow by a larger growth rate, revenue buoyancy also comes in. The first few months of the current year appear to be giving some green shoots. One of those green shoots

is in the area of indirect revenue as far as the Central Government is concerned. Though I must concede that there have been certain additional revenue measures compared to last year, we have used the fall in the global oil prices to have some cess which is being transferred on to infrastructural development, rural roads, railways and National Highways.

The Excise Duty rebates which were given to the auto sector and consumable durables last year have been withdraw. There is a Clean Energy Cess but the indirect taxes in the first quarter have risen by a phenomenal 37 per cent. Even if we remove the additional revenue measures, the growth is still about 14 per cent which also is indicative of the growth in the GDP rates which in turn leads to larger revenue bouncy. This itself has created an enabling situation where we are in a position to spend more. In the first quarter, the capital expenditure itself has increased by about 17.6 per cent and our investment on infrastructure this year is going to be about Rs.70,000 crore additional because of the revenue measures which we are taking.

Now one error that we fall into is that when we compare the grants this year to the States and to different Departments and compare it with the last year, the last three years had a very interesting accounting system. High amounts were provided in the budgetary estimates, unrealistic projections were given and at the end of the year, large amounts of cuts used to take place. As a result of those large amounts of cuts, when the final revenues used to come – the revised estimates as against the budget estimates – the difference was very large. Therefore, when Members compare what is sanctioned this year, please compare it with what was spent in the past three years. Therefore, despite the fact that the share of the States increased from 32 per cent to 42 per cent and the share of the Centre in the gross tax came down from 68 per cent to 58 per cent, we have tried our best as I said during the discussion on the Budget and the Finance Bill to maintain or increase expenditure as far as we can. I can assure you that this year the difference between budget estimates and the revised estimates as had been the past practice is

not there. If at all the revised estimates may be a little superior to the budget estimates itself. That is why, additional amounts are being spent as far as the revised estimates are concerned.

For instance, Mahtabji mentioned the example of Odisha. I will just take one example. If you take whatever Odisha is going to get for five years under the 14th Finance Commission, you can exclude those amounts of eight schemes – some schemes we are funding in total and some schemes are not going to be 50:50 as you said. That was an initial suggestion. It is a Chief Ministers' Committee functioning within the Niti Aayog which is now going to decide the sharing percentage. So even if you account for some of those deductions and if you compare what Odisha got under the 13th Finance Commission and what Odisha will get under the 14th Finance Commission, our current estimate is that under the 13th Finance Commission for five years altogether, Odisha got Rs.68119 crore. You can take the deduction of those schemes also in it. What are you going to get in the 14th Finance Commission? One is the revenues have been raised and I am not taking into account any mineral or any other extra amount that Odisha will get. By just the sharing pattern improving and the revenues improving, Rs.68119 crore is going to become Rs.1,80,796 crore for the 14th Finance Commission. So, the increase in a State like Odisha is going to be extraordinarily large and if some of my colleagues who are not present today allow the implementation of Goods and Services Tax, Odisha being a consuming State, its own taxation revenue which you said are depleting because of some domestic reasons are also going to increase.

If some of the States are going to benefit from the GST, it is the consuming States which are going to benefit the most and Odisha obviously would be a beneficiary. Therefore, if the Eastern part of the country has to benefit, this is going to be one of the factors that the measures which are being taken and the environment that the GST itself will able to create.

One of the hon. Members mentioned that, and for every Parliamentarian the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* is a very important scheme and that is why

we are trying to improve on the capital expenditure. Last year what we spent was Rs. 14,391 crore. This year what I provided for is Rs. 14,291 crore and I am adding another Rs. 1000 crore in the Supplementary Grants. This is only the first Supplementary. At the time of second Supplementary if revenues increase, if amounts have to be added, then this is a scheme which is going to give a boost to the rural areas and the economy, we will try and add more. I am trying to organise if something additional is available from the financial institutions. But in the first four months itself, as against unspent amounts in the previous years, we have already spent 45 per cent of the amount. So, we may well be faced with a situation towards the time when the second Supplementary Grants come up that this entire amount is spent and one of the ideas is that we want at a time when the private sector investment is somewhat slow. It is public investment which has to increase. Therefore, on national highways, approximately 75 national highways were at a standstill.

Members have spoken about the high NPAs. एनपीएज बहुत ज्यादा हैं, जो आखिरी वक्ता बोले, उन्होंने इसका जिक्र किया, लगभग चार लाख करोड़ का। ये एनपीएज कैसे बने, ये एनपीएज किन क्षेत्रों के हैं? ये सबसे अधिक स्टील इंडस्ट्री के हैं। महताब जी ने उसका जिक्र किया। स्टील उद्योग की समस्या वही है जो आपने कही कि विदेशों से आना वाला स्टील सस्ता पड़ रहा है, जो भारत में स्टील बन रहा है उसकी तुलना में। इसलिए किसी स्टील की जिसकी डिम्पिंग हो रही थी, एंटी डिम्पिंग लगाई है, कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ायी है, कई और प्रस्ताव भी सरकार के पास हैं और हमें प्रयास करना है कि जो हमारे देश के भीतर स्टील बनता है, वह सारा बिके और उसी से स्टील के एनपीएज कम होंगे। स्टील बढ़े, उसकी खपत इस देश में हो, अगर देश के अन्दर आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तभी स्टील का उपयोग होगा और उस स्टील का दुनिया के बाजार की तुलना में दाम भी कंपटीटिव होना चाहिए।

दूसरा था नेशनल हाइवे। Almost 75 national highways were at a standstill because uncompetitive rates were being quoted. Thereafter disputes with contractors arose. There was no machinery for resolving of disputes. When the present Government took over and project after project were tendered, not a single

person was left to even bid for them. This is the state of the national highways. Therefore, we used the budgetary money and gave a record amount of help to the national highways and that money is now being used in order to prime up the national highway construction. Once the State expenditure of the national highway starts building, it is only then that the private sector will also start participating in it. So, that is the second area where NPAs have been created.

The third area where the NPAs have been created is the power sector. Now, this was a very typical case under the UPA Government of crony capitalism. Everybody decided to loot the coal mines. We know what happened. You created surplus capacities and industrial growth was slow and there were no buyers for that power. So, today we have reached a situation where there is surplus power in India and the power companies which have taken all those contracts are unable to sell that power. To add to it, the State Governments will also have to realise, that is the fourth contributory to the NPAs, the Distribution Companies of the State Governments are suffering. If you are going to lose one rupee or two rupees per unit, how are you going to finance it? Either you tax all the people and from the tax payers money you finance it, or you take loans from the banks and finance it.

The State Governments which have decided not to charge even the cost for the power are now facing problems. At least there are some State Governments whose Distribution companies are in a bad shape. Tomorrow if the banks stop supporting them they will have a power crisis. Therefore the lesson of the story is that users must pay for the services that they obtain and if the State Governments do not get users to pay and think it is the banks which will support them, then at some stage the banks will face NPAs. The banks will no longer be in a position to lend to businesses and therefore the economy itself suffers. These are the prime areas where NPAs are being created. Therefore, some factors are external which we are trying to resolve. Some like highways were entirely internal, some like power sector were purely internal. Steel has suffered because of several external

factors which we are trying to resolve. Slowly, I think, we will be in a position to resolve most of them. Therefore, the banks need to be recapitalised.

We inherited an economy where bank NPAs were 6 per cent which is an unacceptable figure. There was a stressed asset of another 6 per cent. In those stressed assets there may have been some hidden NPAs. Therefore, after a long time we have decided to recapitalise the banks. In order to recapitalise the banks the Government has decided we are actually, in simple language, using the tax payers money to put it into the banking system so that the banks which are suffering because of either the policies of some State Governments or the conditions under which some industries are stressed, so the tax payer is literally having to supplement them. This current year we are putting Rs. 25,000 crore into the banks; next year another Rs. 25,000 crore; thereafter Rs. 10,000 crore and Rs. 10,000 crore for two years which comes to Rs. 70,000 crore. Then we will issue additional capital and raise another Rs. 1,10,000 crore from the market and recapitalise the banks to the extent of Rs. 1,80,000 crore. That is when the banks with initial capital coming will again come into a healthy situation so that they are in a position to take the burden of financing the growth of Indian economy itself.

One important area was stalled projects. Projects worth lakhs and lakhs of crores were stalled. There were stalled projects in the Railway sector, in the highway sectors. In each of these sectors we have pumped in a lot of money now. The Prime Minister in his office is personally monitoring the improvement in the stalled projects and many have got started and therefore, once they get started you will have an additional amount of activity which will be built up and those stalled projects itself will pick up. If, of course, my friends who are not present today allow the implementation of the GST, a proposal which was first mooted by the UPA Government in 2006 and consistently supported by them, you will have a uniform taxation regime in the country. You will have a fair basis of taxation. India itself will be one market. The result will be that it is capable of boosting the economy between one and two per cent. If we are at a situation where we are this

year likely in an adverse global situation, if we can touch 8 per cent growth rate, or we can aspire to touch 8 per cent growth rate, if these economic measures are allowed, stalled projects take up, GST is implemented, banks are recapitalised, infrastructural spending improves and then we have a situation which Shri Mahtab mentioned that economy is like China which have slowed down and one of the other reasons which he did not mention of their slowdown is that their wage bills have gone up. Therefore, their products which you saw all over the world as 'made in China' are now going to become slightly costlier.

That is why, it is one of the reasons why their economy is also now facing a different kind of a challenging situation. It is for us then to become also a manufacturing hub. If we can do that, it is only then that the Indian economy will achieve its full potential. This year, fortunately, despite the floods in some areas and in areas like Marathwada, Rayalaseema and North Karnataka where there is still drought, we are keeping our fingers crossed. But, overall, the rain Gods are being kind enough to us this year than they were the last year. Therefore, we are expecting a good harvest. Therefore, if agricultural growth in all likelihood moves up, if the services sector is doing reasonably well, if we are able to concentrate on infrastructure, a rationale taxation basis both indirect and direct taxation, spend a lot on irrigation, we can spend more. प्रधान मंत्री सिंचाई योजना जो अभी चंदूमाजरा जी ने कहा, 50 हजार करोड़ रुपये हम केवल प्रधान मंत्री सिंचाई योजना पर डालने वाले हैं। इस देश में जितने ड्राई पॉकेट्स हैं, जो केवल बरसात के ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अपने आप में एक प्रयास है और हम वह एफर्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: यही हम कहते हैं कि जहां ड्राई एरिया है, उसे डैवलप कर रहे हैं, जो पहले डैवलप हुए हैं जैसे पंजाब...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: ये ठीक विषय उठा रहे हैं कि पंजाब में बहुत समय से कैनाल इरीगेशन है। कैनाल इरीगेशन के ऊपर इतने सालों से इतना दबाव पड़ा हुआ है कि उसकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्वैस्टमैंट नहीं हुआ। उसमें इन्वैस्टमैंट हो, यह हमारे एजैंडा में प्राथमिकता से है। The capacity of the canal irrigation in Punjab, because of its old-age and use, itself has slightly come

down. So, it is in our interest to increase it. Punjab is the food grain bowl of India. उसे बढाना सरकार की प्राथमिकता है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

The External factors are also being reasonable as far as our economy is concerned. We have a record Foreign Exchange Deposit. In the first few months of this year, the FDI increase itself is 49 per cent. Our Current Account Deficit is under control. Therefore, we are in a position to spend a lot more money. The social sector schemes which this Government has launched have been a thunderous success. We first started the Jan Dhan Scheme. Now, we are bringing almost 165 million people, sixteen-and-a-half crore people, within the banking system who were away from the banking system. Through Accident Insurance, we bring 110 million people into it within a matter of weeks. Life Insurance, Pension schemes are there. I can assure you that this is the path on which this Government has increased additional resources. We are going to continue to work on each one of these areas.

As far as the States are concerned, no State is going to get any amount lesser. Each State has its own issue. The hon. Member raised the concerns of the State of Andhra Pradesh because Andhra Pradesh has suffered as a result of the bifurcation of the State because Hyderabad was an important centre. It is a pride city of India. Andhra Pradesh is deprived of its revenue. Therefore, in the very first year when we have revenue pressures as far as the Centre is concerned, we have been trying to help Andhra Pradesh so that whatever it has lost, it can cover up. Slowly in each of the areas, year by year, the revenue deficit, the additional revenue, special measures as far as Andhra Pradesh is concerned, each one of them is on our agenda. We have been talking to the State Government. We will continue to support the State in whatever measures we can, whether it is the capital or its revenue deficit as far as the State is concerned so that the industries can also come into the State. Andhra Pradesh, which has suffered because of its own revenue coming down, is more than compensated. What your expectations are, we will make sure as the economy increases. If we are able to grow nationally

by eight or nine per cent, the revenues have eventually to be passed on to the State also. Andhra Pradesh is an important State as far as our development is concerned. I would like to assure you as far as that issue is concerned. I have already given a list. Some Members had raised the issue last time that there were some cuttings as far as social sector schemes are concerned. A lot of additional revenue which is going to the States is to be used for that purpose but we are trying to make up with each one of those sectors. Therefore, in the first set of Supplementary Grants also we have provided for those amounts. Hopefully, in the second set, we would be able to provide more.

With these few words, I would request the hon. House to approve the Supplementary Grants and the Appropriation Bill.

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट और सप्लीमेंटरी मांग पिछले तीन-चार सालों में जितनी बार भी आया है उसमें हम लोग एयर इंडिया के लिए इक्विटी का इन्फ्जन कर रहे हैं, इस बार भी हमने 800 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके बावजूद एयर इंडिया का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा है, अभी भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान है। एयर इंडिया का जो प्रोफिट है, वह बैंकों को इंट्रेस्ट चुकाने में ही चला जा रहा है, उधर बैंकों की भी हालत खराब है, बैंकों का एनपीए हो रहा है। क्या वित्त मंत्रालय या भारत सरकार यह सोच रही है कि कैपिटल इन्फ्यूजन के बदले लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करें और एयर इंडिया को एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाएं जिससे टैक्स पेयर का पैसा बच सके।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We all of us heard the eloquent speech of the hon. Finance Minister. I was going through the demands that we are going to vote now. Drinking Water, Sanitation – Rs.2,685 crore; Ministry of Petroleum & Natural Gas – Rs.47 crore plus Rs.1,153 crore, nearly Rs.2,000 crore; Ministry of Power – Rs.2,000 crore; Ministry of Rural Development – Rs.1,000 crore; Ministry of Urban Development – Rs.2,000 crore (Rs.1,000 plus Rs.1,000 crore). But the Ministry which the Finance Minister is heading is Information & Broadcasting and Financial Services. The Ministry of Information & Broadcasting is going to get Rs.11,116 crore. We all would be educated if the hon. Finance

Minister tells us about Rs.11,116 crore which is a very huge amount. Why has it come in the Supplementary Budget and for what purpose? Financial Services, one can understand. The amount that is being targeted is Rs.12,221 crore is in the Capital Account and another Rs.5,00 crore. This needs to be explained. I am not questioning.

We had requested from our State side about the establishment of Mudra Bank in Bhubaneshwar.

श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर): डिप्टी स्पीकर, मंत्री जी गांट दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन एससी कैटेगरी स्टुडेंट की स्कॉलरिशप पिछले दो-तीन सालों से नहीं मिली है। अब जो नए एडिमशन होने जा रहे हैं उनमें इन बच्चों का एडिमशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर इन बच्चों को स्कॉलरिशप नहीं मिलेगी तो हजारों-लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। मंत्री साहब से निवेदन है कि पिछले सालों की स्कॉलरिशप को जल्द रिलीज कर दें तािक कॉलेजों में स्टुडेंट्स को एडिमशन लेने में कोई दिक्कत न हो।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I would like to thank the Finance Minister for the assurances that he has given today about Andhra Pradesh. I would like to make a point. The situation that we are in today is due to no fault of the people of Andhra Pradesh or the Government of Andhra Pradesh. It is due to the policies made in the previous Union Government and the poor execution of the bifurcation. The choice before us is this. Do we want to let Andhra Pradesh continue to be a financial basket case? Even the 14th Finance Commission has showed that Andhra Pradesh is the only large State that after even five years, we are still under finance deficit. But if we can invest in Andhra Pradesh, we can, once again, become a growth centre of the country. So, please consider our request for special category and please provide us timeline along with the assurance. Thank you.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Finance Minister is proposing a capital infusing for the banks. Is he going to distribute it evenly to all the public sector banks or is there any difference or is there any grading? This is one question that I would like to ask.

My second question is regarding the MPLAD Fund. Everybody in this House is very anxious about the increase in the MPLAD Fund. Is there any possibility of doing that?

HON. DEPUTY SPEAKER: I think the Minister will consider it because most of the Members are raising this issue. I am also the Chairman of the Committee on MPLAD Scheme. I have sent many letters to you. I think you can consider this as this is the demand of most of the hon. Members here. Most of the Members from the Treasury Benches are also very eager and are supporting this demand.

SHRI ARUN JAITLEY: On the last point first, the hon. Member has used the opportunity when the Deputy Speaker is presiding in the House to corner me. I will certainly look into it because there are constraints of finance. But this is also a successful scheme. We will certainly look into this matter.

HON. DEPUTY SPEAKER: For all the Central schemes you are giving money to State Governments. That can be taken care of through MPLAD Scheme also. That can be done.

SHRI ARUN JAITLEY: As far as infusion of capital into banks is concerned, the Department of Financial Services is going to divide this entire amount which is being infused from the Budget both between the banks which need it the most and also the banks which are performing banks. So, we do not want a situation that the performers are discriminated because additional capital means, they will be able to leverage this money 10 or 11 times in a bid to give it to the people who need it for industrialization and growth of India. Therefore, the capacity of the performers also has to be enhanced further and those which are in some distress situation also have to be helped. So, there is a system that they have drawn out in order to divide this amount between both the categories.

As far as the I & B Ministry is concerned about which Shri Mahtab asked, there is nothing new which is being added. He thinks that I have a conflict of position that I am favouring one Ministry. In the past, because of the large employment size in the Prasar Bharati, the I & B Ministry had suffered a large amount of loss and therefore this is only a technical supplementary in terms of writing off of the past losses. So, nothing new is being inducted and only the past losses in several departments are being written off.

As far as Air India is concerned, as you know, there is already a scheme which is being implemented. The hon. Minister of Civil Aviation is present here. I am sure the Minister has heard the comments of the hon. Member. He will certainly look into it.

As far as Andhra Pradesh is concerned, as I said earlier, I fully appreciate that Andhra Pradesh is the only one amongst the large States which has to be given special assistance for five years because the bifurcation of the State has made it a revenue deficit State and that is a solemn commitment that we, as a country, have towards Andhra Pradesh because it is one of the performing States as far as India is concerned. Its Capital is being set up, the Secretariat has to be set up, the High Court has to be set up, the Raj Bhawan, residences of Ministers, and a whole new city itself has to come up. For the Capital, there are various kinds of measures which we have taken. The Finance Commission itself suggested an additional revenue grant. Unfortunately what had happened now is that earlier we used to have the concept of Special Category State. The Finance Commission said that you cannot have that category now. With regard to the Northeastern States, the Chief Ministers' Committee in the *Niti Ayog* is looking into this question. But as far as Andhra Pradesh is concerned, irrespective of what happens to that controversy, some special help in terms of compensating Andhra Pradesh in all these projects – whether they are water projects or whether it is the revenue deficit or whether it is Capital City project, - so that the State is developed and that capital will be given as far as the Central resources are concerned. I would like to

assure the Members from Andhra Pradesh that we will not be found wanting as far as Andhra Pradesh is concerned.

Similarly, other States which have some special features, when they require it – the country grows only when the States Grow – if revenues of the Government of India increase, therefore it is going to be our endeavour to help each one of the States as far as their special needs are concerned. We would certainly not be discriminating as far as any State is concerned.

As far as MUDRA Bank is concerned, I will certainly check up where the headquarter is to be established.... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Make Bhubaneswar as the headquarter.

SHRI ARUN JAITLEY: I will certainly consider Mr. Mahtab's request because it is, so far, only a scheme. The scheme has to be converted into a bank. Once it is done, we will certainly keep these factors in mind. It is a bank which is intended to encourage small entrepreneurs. The scheme has already started working and it is working quite well.

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay. Thank you very much.

I shall now put the Supplementary Demands for Grants – First Batch (General) for 2015-2016 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 to 35, 40, 47, 48, 50, 53 to 56, 58 to 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 to 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 to 105 and 107 to 109."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants (General) for 2015-2016 are passed.

16.42 hrs.

APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2015*

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 19A – Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2015-16.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2015-16."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce ** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Item No. 19B – Hon. Finance Minister.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2015-16, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

^{*} Published in the Gazette of India, Part-II, Section-2, dated 05.08.2015.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

"That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2015-16, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.45 hrs.

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 2015 – Contd. (As passed by Rajya Sabha)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up Item No. 20 – The Delhi High Court (Amendment) Bill, 2015.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy Speaker, Sir, at 5.30 p.m., we have got the Cabinet Meeting.

HON. DEPUTY SPEAKER: Before that we will finish it; do not worry. Before 5.30 p.m., we will finish it. Shri Natterjee to resume his speech.

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Hon. Deputy Speaker, Sir, ordinarily civil suits involving value of Rs. 20 lakh and above come under the original civil jurisdiction of the High Court of Delhi. This has been increasing the workload of Delhi High Court considerably. Poor people seeking justice had to face great difficulties every time. As this Bill seeks enhancement of pecuniary jurisdiction, this will help them in a big way.

In fact, the Bar Association of Delhi requested through their Coordination Committee an upward increase of value from Rs. 20 lakh to Rs. 2 crore and above. After passing of this Bill, the pecuniary jurisdiction of Delhi High Court will see a rise in the value of cases handled there. Cases pertaining to lesser value will henceforth be handled by the District Courts and the City Civil Courts. Now they will be handling cases from Rs. 5 lakh to Rs.2 crore. The Government has come forward to positively respond to both the practicing advocates and those who resort to litigation in civil matters.

In Tamil Nadu, ably led by our dynamic leader hon. Puratchi Thalaivi Amma, Judiciary is getting proper support from our Government of Tamil Nadu. Be it providing infrastructure facility or be it providing properly recruited presiding officers to administer justice, Tamil Nadu is way ahead. All these are because of the initiatives of our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma.

In 2015-16, our State budget has earmarked a sum of Rs. 809.70 crore for Judiciary. We can proudly declare that the recruitment of 162 Civil Judges is being completed. Strengthening judicial infrastructure gets adequate attention from the hands of hon. Amma. We have also recruited 178 Civil Judges in the years 2012 and 2013.

Our Government has constituted 170 new courts. Out of them, 65 are related to land acquisition and Motor Vehicle Accident Compensation which are being set up as Special Courts. The new courts to be established would include 46 Family and Mahila Courts, 26 Judicial Magistrate Courts and Munsif Courts. Our

Government has also sanctioned 90 Evening Courts over and above the existing 53 Evening Courts.

I would like to point out that no funds were released for the State of Tamil Nadu in the years 2010-11 and 2011-12 for enhancing judicial infrastructure under the Centrally Sponsored Scheme. I want to draw the attention of the hon. Law Minister to take necessary steps to release sufficient funds for still better functioning of Judiciary in Tamil Nadu.

I also deem it a privilege to showcase the achievement of our hon. leader Puratchi Thalaivi Amma who has ensured nearly 88 per cent of own buildings for the functioning of subordinate courts in Tamil Nadu. Further steps are on the anvil to provide adequate infrastructure for all the judicial institutions.

Urging upon the Centre not to lag behind in providing adequate financial support to the Judiciary, let me conclude my speech. Thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014 is a very simple Bill. All that it wants to do is the bottom of the cases with pecuniary involvement from Rs. 20 lakh to Rs. 2 crore. This is supposedly intended to lighten the burden on the High Court of Delhi.

It is also interesting to note that when judiciary in all the States is heavily laden with disputes and long-lasting litigations, Delhi has had the good fortune that the Central Government has constituted no less than 14 Subordinate Courts to lighten the load of the High Court. I definitely welcome this step and I hope that the Government will also be considerate in setting up more Courts. In Odisha, we have a situation where we can set up more Courts whereby our judiciary will also be lightened of the load. The aim of a civilized society is that justice should be meted out as quickly as possible. So, that target can easily be met.

There was a revision like this in 2003. Till that time, the High Court had only Rs.5 lakh as a limit and from Rs.5 lakh it had been increased to Rs.20 lakh. So, my point is this. For these tertiary or secondary legal Acts, is it necessary to bring the matter to Parliament every time? I am not clear whether it is actually required or the Government can devolve the power whereby the concerned High Court itself can take a decision maybe in consultation with the Government, raise its own financial pecuniary bottom up and bring it higher, and pass on the burden to lower courts. That is something, which the Government can think about.

We recently saw an incident where the outcome of the judgment was predicted by the powers that be. I do not wish to drag in the issue of death penalty or any of these issues which have created a lot of confusion in our society. We all agree that our society is not yet prepared to do away with death penalty. We are not as yet mature enough and we have legal luminaries sitting amongst us who would enlighten us better on these issues. But, I think, the way the highest Court of the land was perceived as being pushed into doing something that the powers that be wanted, that you have a sitting after midnight, you take this judgement and

we are going ahead with our work, has created a bad taste about the system of our judiciary. Even the acts that have happened in this Houser have questioned the credibility of our democracy itself.

There was a rumour in between that the Government was probably trying to divert attention from other issues like Vyapam and others by creating such a diversionary tactic. I would not like to comment on those things because that is not the topic of discussion here. But we should also remember that the public in general in this country is also very observant now. The youth of this country is very observant. They are watching everything that we are doing, and they are also studying us. Let us not underestimate the public.

However, we have certain issues. I would like to point out two more things. According to the last estimate, we have more than three crore cases pending in different courts across the country. Has there been any positive move to ensure that this figure comes down? I would like to hear from the hon. Minister whether any specific steps have been taken by this Government to bring down the number of cases that are pending in different courts across the country, which amount to three crore plus cases, in the past 14 or 15 months that they have been in power.

It is said that India has about 17 Judges for one million people; and we are a very litigant nation also. To come to my State, my State of Odisha has a sanctioned strength of 27 High Court Judges but as of now, we have only 21 Judges. So, imagine the tardiness in the process of meeting out justice to the needy, to the poor and to the underprivileged!

I would like to impress upon the hon. Minister that there are many cases under the CAT, SAT, Green Tribunals etc., and these cases are also pending, which would add to this figure that I mentioned about.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking of bringing a system of taking punitive action on the false and flimsy cases that are filed by people, which clog the machinery, which delay the actual dispensing of justice. Is there any system whereby people who file these false

and flimsy cases, are also punished by the Judiciary if it is found that these cases were false?

Sir, my last suggestion would be that a system has to be worked out -because this is a litigant nation and you want to bring down the number of
litigations -- whereby the proceedings in cases must take place only when the
applicant or the litigant, the one who has filed the cases, or the prosecution if it is
the Government, is compelled to supply all relevant papers at all different stages,
free of cost, to the accused or to the other side. That way, it would help people
and would stop people from going to courts immediately at the drop of a hat. I
would want the hon. Minister to give specific answers to these points.

With these few words, I support this Delhi High Court (Amendment) Bill, 2015. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jagdambika Pal.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, with your permission, may I speak from this seat?

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

श्री जगदम्बिका पाल (ड्मरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने देश की राजधानी दिल्ली के हाई कोर्ट के अमेंडमेंट बिल, 2014, जिस पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, पर बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं पूरे सम्मानित सदन को धन्यवाद दुँगा, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, सभी ने हमारी सरकार द्वारा लाये गये इस विधेयक का भरपूर समर्थन किया है, स्वागत किया है। इस बिल का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? चाहे राज्य की सरकारें हों या केन्द्र की सरकार हो, हम लगातार कहते हैं कि देश के खेत-खलिहान, चौपाल में बैठे हुए आम व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, जस्टिस एट डोर स्टेप हो। जस्टिम डिलेड, जस्टिस डिनाइट, इस तरह के कितने मैग्जिम हैं, जो देश के आम आदमी के न्याय से जुड़े हुए सवाल हैं और उनके जन-जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी आज जो प्रक्रिया है कि यदि किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाए हाई कोर्ट में अपील के लिए जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो शायद इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसे बहुत-से लोग होंगे, उनकी बड़ी संख्या होगी, जो केवल पैसे के अभाव में शायद अपना न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह विधेयक उन लोगों के हितों की रक्षा करेगा, उनके हक-हक़ूक की हिफ़ाजत करेगा, जिनका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का सपना रह जाता है। इसलिए यह विधेयक उन्हें राहत देगा, सस्ता न्याय देगा। उस दिशा में यह एक प्रगतिशील विधेयक है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ, इसका समर्थन करता हूँ।

17.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, किसी को भी न्याय पाने का अधिकार है। भारत के संविधान में जो न्याय पाने का अधिकार है, वह तीन तरह से है। पहला आर्डिनेरी ओरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है उसमें जाए, दूसरा एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है, उसमें जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता, उसमें जाए या पी.आई.एल. के माध्यम से जाए। इस तरह से देश का कोई भी व्यक्ति या नागरिक अगर सिविल के मामले में न्याय चाहता है तो उसके सामने ये तीन रास्ते हैं। इन तीन माध्यमों में से जो आर्डिनेरी ओरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन के लोग हैं, आज जो यह संशोधन बिल पास हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक्ट 1966 के सेक्शन फाइव के सब-सेक्शन दू में, अभी तक इसमें 20 लाख रुपए की सीमा थी। आज के समय में देखा जाए तो दिल्ली में सम्पत्ति की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आपको यहां छोटा सा फ्लैट भी लेना है तो वह एक करोड़ रुपए या दो करोड़ रुपए से कम में नहीं मिलेगा। इसिलए इस 20 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जा रहा है कि यह अब हाई कोर्ट की परिधि में होगा। मैं सरकार को और

मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा। बहुत पहले इसकी सीमा पांच लाख रुपए थी, तब जब इसकी सीमा बढ़ाई गई थी, तब जो दिल्ली हाई कोर्ट संशोधन बिल इसके पहले आया था, वह 2003 में आया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी यानि एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। तब यह ज्यूरिस्डिक्शन जो पांच लाख रुपए था, उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया था। उस समय भी देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले गरीबों का अगर किसी ने खयाल रखा था तो एनडीए यानि भाजपा की सरकार ने रखा था। आज फिर एनडीए यानि भाजपा की सरकार ने इस सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए किया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे भाषण समाप्त करने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। आप बड़े उदार हैं, आज जिस तरह से आपने एम.पी. लैड की बात कही, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

यह बिल आम व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। वादकारी यानि एडवोकेट्स, अधिवक्ता, तो बार एसोसिशएन की निरंतर मांग थी कि इसकी सीमा बढ़ाई जाए। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद केवल वादकारियों को प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इस देश के सभी अधिवक्ताओं को भी प्रसन्नता होगी। खासकर जो हमारी बार एसोसिएशन के लोगों ने इसकी मांग की थी।

मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Varaprasad Rao.

We are taking up Discussion under Rule 193 at 5.30 p.m. So, we have to pass this Bill before that. Please be brief.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, in fact, it is a right step in the right direction in view of the enormous appreciation in the prices of properties. It is a good step, but I agree with an earlier speaker who was telling that it is a colonial decision which we have taken. In all other High Courts, they do not have the original jurisdiction whereas these four chartered banks of Chennai, Kolkata, Mumbai and Delhi only have this kind of a thing. I think, one can dispense with it and the Government may consider this also so that it would be easier in the years to come.

Definitely, it reduces the burden of the High Court and the litigants will also benefit enormously from the point of view of distance, from the point of view of fees and all other points of view.

Sir, in the nearby areas of Gurgaon, Noida, Faridabad etc., the district courts have unlimited jurisdiction whereas the Delhi High Court alone would be having jurisdiction up to rupees two crore. It would be unfair. Therefore, in the long run, the power of the original jurisdiction of the civil cases may be taken away from the High Court and given to the district courts so that the High Court could focus on the appeals and writ jurisdiction.

Sir, the pecuniary jurisdiction should be uniform throughout the country. Whereas it is much lesser in Tamil Nadu, in Delhi, we would have a limit of rupees two crore. While the property appreciation and currency devaluation is uniform throughout the country, raising it in the case of Delhi High Court only would be unfair. Therefore, I am of the opinion that uniform pecuniary jurisdiction may be given to all the courts and the High Courts should not be dealing with this.

Thank you very much.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak in support of the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2015, which attempts to enhance the pecuniary jurisdiction of the Delhi High Court as well as the other 11 District Courts in Delhi as a consequence of which the Delhi High Court is going to be having its jurisdiction over suits which are above the value of Rs. 2 crore as against the earlier value of Rs. 20 lakh. In view of the devaluation of currency and the increase in the property rates of Delhi, as hon. Jagdambika Pal also mentioned that virtually nothing is available in Delhi for less than Rs. 20 lakh, so this ten-fold increase which is going to be like from Rs. 20 lakh to Rs. 2 crore is going to be in the interest of the courts.

The Delhi High Court today is in a situation that it is practically looking at every original civil proceeding. By increasing it ten-folds, we are actually going to transfer more than 12,000 cases which are pending in the Delhi High Court to the lower courts. I think it is a good idea because pendency is a serious issue and an impediment to the litigants. It is not only in the interest of the public, but also in the interest of the judiciary because a lot of judges in the lower courts are sitting idle, so we will be able to give them some work. If you look at the advantages more closely, we will find that the workload of the High Court will also come down, and there will be lesser burden on account of the court fee on the parties to dispute. The Delhi High Court would actually become a more exclusive forum which would be able to adjudicate on the cases of more serious nature. There will be better brains adjudicating on the better cases, the disputes of larger States.

I also wish to point out that this Bill is relevant because there is a need to bring uniformity in the pecuniary jurisdiction of all the High Courts across the country. All the District Courts in the neighbourhood of Delhi like Noida, Gurgaon, Ghaziabad and Faridabad, have unlimited pecuniary jurisdiction. Similarly, we have to equate the District Courts in Delhi with the other District Courts in the adjoining areas.

One more important issue I wish to point out is that this Rs. 2 crore value still remains a mystery. I would ask the hon. Minister to enlighten the House about how this figure has been arrived at. Thank you.

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, 1966 की धारा-5 में संशोधन के ऊपर बोलने का मौका दिया है। यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, 1966 की धारा-5 में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, कानून मंत्री सदानंद जी और हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर श्री नायडु जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस कानून में संशोधन की वकीलों तथा जनता की लम्बी मांग को स्वीकारते हुए भारत सरकार इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लाई है। दिल्ली में पिछले दिनों जिन अदालतों के वकील जनता के फायदे के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, वे हमारी पार्टी के पदाधिकारियों और व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले अतः इस बिल को लाने से जो फायदे होंगे, मैं उनसे आपको अवगत कराना चाहता हूं। नेताओं ने उनकी जायज मांगों को जो हमारे वकील हैं चाहे द्वारका के हों या साकेत के हों या तीस हजारी के हों या पटियाला हाउस के हों, उन्होंने दिल्ली की जनता और वकीलों के हित को देखते हुए, इसको 20 लाख से बढ़ा कर दो करोड़ रुपया करने की नहीं है, महोदय, जब वर्ष 2003 में एनडीए की सरकार थी, इस रकम को बढ़ा कर पांच लाख से बढ़ाकर बीस लाख किया था। जो लोग गरीबों के हित की बात करते हैं और गरीबों के ठेकेदार होने का दावा करते हैं, वे केवल राजनीति करते रहे। पिछली यूपीए की सरकार में इनके मंत्री कपिल साहब बिलकुल "इलेवंथ ऑवर" में इस बिल को लेकर आए थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आना चाहिए। मैं चार दिन से स्लोगन भी सुन रहा था कि 15 लाख रुपए कहां गए। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएंगे, इस बात का तात्पर्य यह था कि सरकार ने किसी को निठल्ला या आलसी बनाकर 15 लाख रुपया देने की बात नहीं कही थी बल्कि पांच वर्ष में हर व्यक्ति को लगे कि उसे 15 लाख का लाभ हुआ है। इस बिल को लाने से एक गरीब आदमी अगर हाई कोर्ट का वकील करेगा, मीनाक्षी जी बैठी हैं, इन्हें पता है कि हाई कोर्ट के वकील की फीस छोटे वकील की फीस से बीस गुना ज्यादा होती है, लोअर कोर्ट के वकील से। दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर एरिया है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उसमें उनकी अनलिमिटेड पॉवर है। दिल्ली में 20 लाख का प्लाट अनियमित कालोनी में भी नहीं आता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को दिल्ली की समस्या को देखते हुए इस राशि को दो करोड़ रुपयों से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपया करना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी को वकील सस्ता मिलेगा और निचली अदालत में केस को निपटाने का प्रयास करेगा। उस गरीब आदमी का बचा पैसा बैंक में जाएगा और इसी प्रकार पन्द्रह हजार ऐसे मामले जो दिल्ली हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, वे अगर लोअर कोर्ट में आ जाएंगे, तो उनका निपटारा जल्दी हो जाएगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जो वकील, एडवोकेट्स हैं, वे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे उम्मीद की जाती है, चालीस हजार ऐसे वकीलों तक मैं यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश की तरक्की के लिए बुद्धिजीवी वर्ग जो संघर्ष करते रहे, उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वे दस-दस बच्चे पैदा करने का फतवा देने वाले लोग देश के भविष्य के बारे में थोड़े ही सोचेंगे। इसीलिए जो गरीब लोग हैं, जो पैसा बचेगा, वह उनके खाते में जायेगा और अगर वे बच्चे पैदा करने को कहते हैं कि कुदरत की देन है तो आंख में इंफैक्शन हो गया, पेट में दर्द हो गया तो आंख की इंफैक्शन के लिए वे दवाई लेने क्यों जाते हैं, फिर तो उसे कुदरत ही ठीक कर देगी। जो इस प्रकार से मिसगाइड करने की बातें करते हैं तो गरीब आदमी के हक का जो पैसा है, वह उसकी पाकेट में जायेगा तो 15 लाख रुपये का उसे पांच साल में लाभ होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस 80 प्रतिशत जनता को इस बिल के माध्यम से लाभ होने वाला है, मैं उन लोगों को यह मैसेज जरूर देना चाहता हूं, इसमें मेरे एक-दो सुझाव हैं कि जो ज्यूडिशियरी में एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, जो नीचे से रेवेन्यू में आयेगा, उस पैसे को बढ़ाकर उनके वहां चैम्बरों की व्यवस्था करनी चाहिए और चैम्बरों की व्यवस्था करने के साथ-साथ उन्हें काम करने का बढ़िया एनवायरनमैन्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि वे सैल्फ इंडिपेन्डेन्ट होकर बड़े वकील के अंडर नहीं होंगे। एक व्यवस्था होनी चाहिए कि दस साल से अधिक पुराने वकील को वह लाभ मिलना चाहिए।

मेरा अगला सुझाव यह है कि अगर ज्यूडिशियरी के अनुसार सर्किल रेट बढ़ाये जाते हैं, जिन-जिन स्टेट्स में सर्किट रेट बढ़ाये जाते हैं तो सर्किल रेट के अनुसार पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन के अनुसार इनके दाम भी बढ़ने चाहिए। उसके बाद लोगों को आंदोलन और संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I extend my thanks to the hon. Law Minister for bringing this Bill. It is a salutary move. Now the only question is, out of 24 High Courts, we are having basically no original jurisdiction in twenty High Courts. Only in four High Courts which are the legacy of the British era, we are having the original jurisdiction. My submission to the hon. Minister would be that in all these four High Courts, there is no need of having an original jurisdiction. There must be uniformity in view of the provisions of Section 6 of the CPC. Therefore, to create uniformity all over the country, in four High Courts, that is, Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai, this original jurisdiction should be taken away and uniformity should be maintained.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank all the hon. Members who have fully supported the Bill. They have given certain suggestions in addition to the matter which is discussed in the Bill.

Practically, the issue of pecuniary jurisdiction of Delhi comes under the Central Act because the Delhi High Court Act is a Central Act. Hence, the Bill has to be brought before the Parliament and we have to amend the Bill. All other amendments pertaining to pecuniary jurisdiction can be raised by the State Legislature. The States are competent to take up this issue. It is under the domain of the State Government. The State Government after due consultation with the Chief Justices can enhance this.

As far as pecuniary jurisdiction of Delhi High Court is concerned, the Coordination Committee of the Bar Association of Delhi has been representing at various forums to enhance the pecuniary jurisdiction of the Delhi Court from the existing amount of Rs.20 lakh to Rs.2 crore. The National Capital Territory of Delhi has also considered the request of the Bar Association. They also wrote to the Central Government and requested the Central Government to consider the proposal. Even the Delhi High Court has also through a Resolution on 21st November, 2012, recommended the proposal for increasing the pecuniary jurisdiction from Rs.20 lakh to Rs. 2 crore.

The property value in and around Delhi has increased by manifold. Even the present monetary jurisdiction has become so low that a case pertaining to very small property has to be filed before the High Court.

Under such circumstances, keeping in view the need to provide justice at the doorsteps to the people of Delhi, enhancing pecuniary jurisdiction will facilitate the general public to access the District Courts in the vicinity of their location. Not only that, this Bill which seeks to raise the pecuniary jurisdiction of District Courts from Rs.20 lakh to Rs.2 crore, will reduce the workload of the

High Court and people living in far flung areas of Delhi would not have to cover considerable distances for approaching Delhi High Court to seek justice. At present there are 11 District Courts and three more District Courts will come up soon so that these cases can be dealt with by the District Courts in various places.

My friend raised the point with regard to pendency of cases across the country. I do concede that there is a huge pendency of cases across the country. Almost 3.6 crore cases are pending right from the Supreme Court up to the subordinate courts in various parts of the country. We are taking initiatives to see disposal of cases through alternative dispute resolution mechanisms. I would like to place on record that in last December a Mega Lok Adalat was held in almost all the courts across the country and nearly 44 lakh pending cases were disposed of. The Conference of Chief Ministers and Chief Justices was held recently wherein we deliberated and discussed with regard to the disposal of pending cases in various courts.

Increasing the number of judges in various courts has also been taken care of. In the last two years, the number of High Court judges has increased by more than 100. Now there are around 1,100 High Court judges. Even in subordinate courts also the High Court has to take care of things after due consultation with the State Government. We have already written letters to the Chief Ministers and Chief Justices of various High Courts to see that all necessary steps are taken for filling up of the vacancies of judges and disposal of the cases.

My friend from Tamil Nadu just said that no funds have been allotted to the State Government of Tamil Nadu. The Central Government has sanctioned Rs.58.35 crore under Centrally Sponsored Schemes to Tamil Nadu in 2010-11, Rs.19.53 crore in 2012-13, and Rs.73.43 crore during 2013-14. The sanctioned strength in Tamil Nadu has also gone up, nearly 980 courtrooms are available and 981 judicial officers are there, and 115 court buildings are under construction also.

My friend has made the point that pecuniary jurisdiction across the country should be uniform. As far as fixation of pecuniary jurisdiction is concerned, it

comes under the prerogative powers of the State Government after due consultation with the High Court. So, the High Court has to take care of this after the proposal comes from the State Government and the State Government has to raise the pecuniary jurisdiction.

The proposals which have come from the Coordination Committee have been forwarded by NCT of Delhi to the Central Government and even that has been supported by a Resolution of the High Court of Delhi, and it has been fully accepted by the Central Government. Hence, this pecuniary jurisdiction of Delhi High Court has to be revised. This was last revised in the year 2003 by amending Subsection 2 of Section 5 of Delhi High Court Act of 1966 and Section 25 of Punjab Courts Act of 1918.

So, all the Members who have participated in the debate have wholeheartedly supported the Bill and practically there is no confusion as far as this Bill is concerned. It is welcome by the Members. So, I once again request that the Bill may be passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Shri A. Sampath to move the Amendment No. 1 to Clause 2. He is not present.

Clause 2 Amendment of Section 5

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 Amendment of Punjab Act VI of 1918, as in force in the NCT of Delhi, and Power of Chief Justice to transfer pending suits and proceedings to subordinate courts

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri A. Sampath to move the Amendment No. 2 to Clause 3. He is not present.

The question is:

"That Clauses 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ramesh Bidhuri, do you want to say something? श्री रमेश विधूड़ी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मैंने एक रिक्वैस्ट की थी कि इसमें पिक्यूनियरी के अनुकूल जो वहां की सम्पत्ति के रेट्स बढ़ते हैं, उस सम्पत्ति के रेट्स के अनुसार जो स्टेट बढ़ाती है, उसके अनुसार ये बार-बार जो आन्दोलन होते हैं, जो एडवोकेट्स वगैरह चक्कर लगाते हैं, वे धरनों पर बैठते हैं, इसके लिए सरकार ऑटोमैटिकली एक ऐसी व्यवस्था करे कि ऑटोमैटिकली केस की रकम बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि, लोअर कोर्ट में जो फीस गरीब आदमी देता है, उसकी फीस कम होती है। अगर वह बेचारा हाई कोर्ट के बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर करेगा, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली में पांच करोड़ का आजकल 100 गज का प्लाट नहीं आ रहा, इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें उनको एक एमेंडमेंट करना चाहिए कि जो सर्किल रेट बढ़ता है, उसी के हिसाब से ही स्टेट को रेट तय करना चाहिए, दिल्ली कैपीटल है, राजधानी है और हाई कोर्ट के बाद आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट एक आदमी तो...(व्यवधान)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Hon. Deputy Speaker, the proposal from the Coordination Committee of Bar Association of Delhi was to raise the pecuniary decision from Rs 20 lakh to Rs two crore. That has been supported by the NCT Delhi. Their request is also for increase from Rs 20 lakh to Rs two crore only. Even the High Court through a resolution recommended the same amount that is from Rs 20 lakh to Rs two crore. When time comes after five or ten years when the property value and other things go higher, then only it can be taken up. At present, this is the proper step that has been taken by the Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker, as per the agenda we have to take up the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015. I suggest that we can take it up tomorrow and now we can take up the discussion under Rule 193.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is all right.

17.24 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Sustainable development goals

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up discussion under Rule 193 on Sustainable Development Goals. Shri Ramesh Pokhriyal Nishank to start the discussion.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अन्तर्गत आपने सतत विकास लक्ष्य की चर्चा शुरू करने का मुझे सौभाग्य दिया है, मैं आपका आभारी हूं।

जैसे कि आप विदित ही हैं कि सितम्बर, 2000 में न्यूयार्क में पूरी दुनिया के 189 देशों ने मिलकर संकल्प लिया था कि वर्ष 2015 तक गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के अभिशाप से दुनिया को मुक्ति दिलानी है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर के महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सुधार, एच.आई.वी., एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का हमको मुकाबला करना है।

इसके साथ ही, पर्यावरणीय क्षेत्र में सततता निश्चित करते हुए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सतत पहुंच को आम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मिलन बिस्तियों में सुधार करना है और विकास के लिए विश्व की सहभागिता का संकल्प लिया गया था। वर्ष 1990-2000 से लेकर अब तक इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दुनिया के देशों को अपनी नीति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे ऐसी नीतियों का निर्धारण करें कि इन लक्ष्यों को वे वर्ष 2015 तक पूरा करें। भारत भी इन लक्ष्यों की पूर्ति में लगातार प्रगति के पथ पर स्फूर्त भूमिका निभा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, एच.आई.वी. नियंत्रण, मलेरिया पर नियंत्रण, प्राथमिक व उच्च शिक्षा जैसे बहुत सारे विषयों में भारत ने तो प्रगति की है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें यह कहा गया कि भारत को बहुत गंभीरता से स्वच्छता और खुले में शौच के क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। कुपोषण, महिला शिक्षा, रोज़गार की उपलब्धता पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें मातृ मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु-दर को कम करना है, क्योंकि जिस गति से जिस लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा की जा रही थी, उस गति से भारत अभी उस प्रगति को हासिल नहीं कर सका है। साथ ही, इस रिपोर्ट में यह भी चिंता व्यक्त की गयी कि महिलाओं की राजनीति में जो सहभागिता है, विशेषकर लोक सभा में, जो भारत का निम्न सदन है, उसमें उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, अगर गरीबी और भुखमरी के संबंध में उस समय यह कहा गया था कि उस समय गरीबी का जितना प्रतिशत है, उसमें 50% तक कमी हम वर्ष 2015 तक कर देंगे। वर्ष 1990 में यह 47.8% था। वर्ष 2011-12 में यह 21.92% तक आया। वर्तमान में यह 20.74% है और इसे 18.6% लाना था। मुझे लगता है कि जिस गित से इसमें कमी होनी थी, उस गित से यह नहीं हो रही है। हमें इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है। भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या आधी करने का लक्ष्य था। वर्ष 1990 में यह 52% था। वर्ष 2005-06 में यह 40% तक आया। वर्ष 2015 में इसे 26% होना था, लेकिन अभी भी यह 33% है। यह देश के अन्दर एक बहुत ही गंभीर विषय है कि यदि आज भी इस देश में, जो प्रगित की दौड़ में है, उसमें भुखमरी के कगार पर 33% लोग हों, तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय है और यह चिंता का विषय है। केन्द्र की सरकार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे दूर करना होगा। पूरी दुनिया में जो अति गरीब लोग हैं, उनका 32.9% लोग अकेले भारत में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत के कई राज्य हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, ओडीशा जैसे तमाम राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में एक अभियान चलाकर इस काम को करना होगा।

महोदय, इस देश की प्रगति के लिए और इस देश में व्याप्त गरीबी और भुखमरी की स्थिति में मुझे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था -

> स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमकती एक नया उल्लास हो, हो जहां सम्मान हर एक जाति-धर्म का, सब समर्पित हो जहां एक लक्ष्य उसके पास हो, एक नया अभियान अपने देश के जन-जन में हो,

श्रीमन्, अटल जी की कितनी छटपटाहट थी कि उन्होंने कहा, आज हम सारे विश्व में प्रगति की दौड में बहुत आगे हैं। उन्होंने तभी कहा था, " बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन यह विश्व अभी उस पार से, पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से।" उनकी जो चिन्ता, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो चिन्ता है, वह चिन्ता आज भी बरकरार है। इसलिए एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और निश्चित रूप में यह सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है, इससे देश में एक नए युग का निर्माण होगा, नए युग का सूत्रपात होगा। उसी सूत्रपात की दिशा में जिस तरीके से वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों दिशाओं में, चाहे भुखमरी को दूर करने की बात हो,

बेरोजगारी को दूर करना हो, तमाम क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। उस दिशा में चाहे जन-धन योजना में गरीबी और भुखमरी से लोगों को उठाने के उस अभियान में जन-धन जैसी योजना जिसमें गरीब की जेब में, जिसकी जेब में एक पैसा भी न हो, वह भी अपना खाता खोलता है और खाता ही नहीं खोलता, बल्कि उसको सुविधाएं मिलती हैं। उसको 30 हजार रूपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और दुर्घटना पर एक लाख रूपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। इतना ही नहीं बहुत सारी योजनाएं उसके साथ जुड़ती हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सिहत गरीबी को दूर करने का जो अभियान है, मनरेगा में भी हमारी सरकार ने श्रीमन् पाँच हजार करोड़ इस समय अतिरिक्त बढ़ाया है। खाद्य में सिब्सिडी दी है और इतना ही नहीं, मुद्रा बैंक, माननीय वित्त मंत्री जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि मुद्रा बैंक की स्थापना की है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बड़े अभियान जो बेरोजगारी को न केवल दूर करेंगे, बिल्क इस देश को उसके शिखर तक पहुँचाने के मुकाम तक ले जाएंगे और बेरोजगारी दूर करने के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगें। जीएसटी भी जो इसका हिस्सा है, जो आर्थिक क्रांति करेगा, आर्थिक समृद्धता लाएगा और आम व्यक्ति को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए हौसला देगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसमें एक हजार पांच सौ करोड़ रूपए का प्रावधान है। जो छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम योजना के तहत छात्रवृत्तीय सहायता प्राधिकरण जैसी जो स्थापना की है, मैं सोचता हूं कि वह गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सरकार का बहुत अहम कदम है। इसको हम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एक मील का पत्थर कह सकते हैं।

श्रीमन्, जो दूसरा लक्ष्य था, वह सार्वभौमिक प्राथिमिक शिक्षा का था। वर्ष 1990 में प्राथिमिक शिक्षा का जो नामांकन था, वह केवल 77 प्रतिशत था। इसका लक्ष्य वर्ष 2015 में शत-प्रतिशत करने का था। अभी हम लगभग 88.08 प्रतिशत पर हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी जो आंकड़े हैं, वे समन्वित आंकड़े नहीं हैं। इसलिए इस दिशा में जहां महिला और समाज, अशक्त व्यक्ति पीछे हैं, वर्ष 2000 में विश्व में 83 प्रतिशत दाखिले का प्रतिशत था और अब पूरे विश्व के परिवेश में देखेंगे तो यह 91 प्रतिशत है। वर्ष 2000 में सौ करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे और श्रीमन् आज भी 57 करोड़ बच्चे स्कूलों को छोड़ रहे हैं। भारत भी इसमें बहुत बड़े स्थान पर है। इस प्रतिशत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह बात सही है कि आबादी जिस गित से बढ़ रही है, उसी गित से इस योजना को भी आगे बढ़ाने की जरूरत होगी।

श्रीमन्, जो बच्चे पांचवीं कक्षा तक स्कूल जाते हैं और स्कूल छोड़ जाते हैं, उनका भी यदि आंकड़ा देखेंगे तो वर्ष 2011-12 में यह 86.05 प्रतिशत था। आज इस लक्ष्य को शतप्रतिशत पूरा होना था लेकिन

हम इसमें काफी पीछे हैं। ऐसे ही हम साक्षरता में भी काफी पीछे हैं। वर्ष 1990 में 15 से 24 वर्ष तक के नागरिकों की साक्षरता 61 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह 86 प्रतिशत हो गयी। लेकिन इसको शतप्रतिशत पूरा करना है जिसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा तो समाज, परिवार और राष्ट्र की रीढ़ होती है। शिक्षा से वंचित समाज, परिवार और राष्ट्र निश्चित रूप में कहीं भी चौराहे पर खड़ा रहता है, इसलिए यह उसकी रीढ़ की हड्डी है।

श्रीमन्, जहां तक स्त्री-पुरुष को समानता देने का विषय था और महिलाओं को सशक्त और शक्ति प्रदान करने का विषय है, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये तो देश ने प्राथमिक शिक्षा में प्रगति की है। पहले 100 लड़कों पर 73 लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, आज इस दिशा में भारत ने प्रगति की है। अब उसने बराबर और समानता का रूप लिया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के प्रतिशत में काफी अंतर है और हम उच्च शिक्षा में बहुत अंतर पाते है। 100 विद्यार्थियों में से 54 बालिकायें उच्च शिक्षा ग्रहण करती थीं लेकिन वर्तमान में 100 विद्यार्थियों में से 89 बालिकायें ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसमें भी बहुत अंतर है, इसे भी पाटने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, रोजगारपरक शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। मैं विवेकानंद छात्रवृति के लिए माननीय मंत्री जी, जो यहां पर बैठी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। विवेकानंद छात्रवृति एक बालिका संतान के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक संपूर्ण किया है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सरकार ने कई योजनायें शुरू की है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता के अनुपात में कम है। वर्ष 1991 में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं की साक्षरता 67 प्रतिशत थी, 100 लड़कों में 67 लड़कियां थीं, जबिक लक्ष्य बराबर का होना चाहिए। अभी यह बराबर का नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें 100 और 90 का अंतर है। इस दिशा में भी निश्चित रूप से स्त्री-पुरुष समानता के रूप में इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

वैसे भी हमारे देश ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। हमने हमेशा कहा है कि "यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते, तत्र रमन्ते देवता।" जहां भी नारी का सम्मान होता है, जहां भी नारी को इज्जत से देखा जाता है, उस परिवार, समाज और राष्ट्र में ही देवत्व का वास होता है। हमेशा से हमारी यह धारणा रही है।

गैर-कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिशत कम है। जहां वर्ष 1990 में यह 12.7 प्रतिशत था, वह वर्ष 2011-12 में बढ़कर 19.03 प्रतिशत तो हुआ है लेकिन लक्ष्य 50 प्रतिशत से भी अधिक का था। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वर्ष 2015 के पूरा होने पर हम इस क्षेत्र में 22-23 प्रतिशत पर ही रह पायेंगे। हमारे सामने पहली चुनौती उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की है और फिर सतत विकास की दिशा में

उसमें स्थिरता ला कर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, वह आप सभी को मालूम है। सतत् विकास का जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उनकी राजनैतिक सहभागिता उसी अनुपात में हो, यह भी बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह महिलाओं और बालिकाओं को समृद्ध करने की दिशा में जो 'सुकन्या समृद्धि योजना' चलायी गयी है, हमारी मंत्री जी यहां पर बैठी हुयी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को 'सुकन्या समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया है और लड़िकयों की शिक्षा और उनके विवाह के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए 'अल्प बचत योजना' भी बनायी है। इतना ही नहीं, माता-पिता का दस वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के नाम से खाता भी खुलवाया है। इस समय मेरी जानकारी है कि उसमें बीस लाख से भी अधिक बालिकाओं ने सहभागिता खाते खुलवाए हैं। जमा राशियां एक हजार रुपये से एक लाख पचास हजार रुपये तक प्रति वर्ष के बीच हो सकने की संभावना है। मैं सोचता हूं कि बेटियां हमारी थाती हैं, बेटियां हमारी धरोहर हैं। जैसे मैंने कहा, नारी का सम्मान हिन्दुस्तान की संस्कृति में सर्वोच्च रहा है।

मुझे किसी ने एक छोटी सी कविता भेजी है जो मुझे अच्छी लगी। मैं उस कविता को इस सदन के साथ बांटना चाहता हूं। 'बेटियां' नाम से एक छोटी सी कविता है -

बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां खाद-पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां रुलाते हैं जब खूब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां जब छोड़ जाते हैं बेटे तो काम आती हैं बेटियां आशा रहती है बेटों से पर पूरा करती हैं बेटियां हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां बेटे को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर-घूरकर देखे किन्तु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि उसे घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। जिससे अंधेरा मिटे और हर परिवार नया जीवन पाए।

महोदय, इस कविता की आखिरी पंक्ति मैंने बनाई है। बेटियां निश्चित रूप में हमारे समाज की धरोहर हैं। इन बेटियों को जितना सजाया जाए, बढ़ाया जाए, यह हमारे समाज, राष्ट्र, परिवार की निधि हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरी ताकत के साथ, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बेटियों का जो प्रतिशत घट रहा है, वह हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए,

चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। बालिका मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर में भी बालिका मृत्यु दर ज्यादा है। बालिकाओं की मृत्यु दर कैसे कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हमारा शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य भी सतत विकास के लक्ष्यों में था। आंकड़े बताते हैं कि 1990 से 2015 तक पांच वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे की मृत्यु को हमें 2/3 की कमी में लाना था। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रति हजार में जहां पांच वर्ष से कम आयु के 126 में से 100 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, उसे हमें तेजी से नीचे लाना था, लेकिन अभी भी जन्म लेने के तुरंत बाद प्रति हजार पर 80 बच्चों की मृत्यु हो रही है जबिक हमने चाहा था कि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है। 2015 तक जो स्थिति चल रही है, उसमें एक हजार पर 27 तक ही हम इस लक्ष्य को ला पाएंगे। इस दिशा में भी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी एक हजार में से 40 बच्चे मर रहे हैं। यह गंभीर विषय है। शिशु मृत्यु दर पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

खसरा का टीकाकरण 42.2 प्रतिशत था जबिक उसे शत-प्रतिशत होना चाहिए। यह अभी भी 74.1 प्रतिशत है। मुझे लगता है कि यदि हम इस गति से कोशिश भी करें जिस गति से 2000 से 2015 तक पहुंचे हैं तो मुश्किल से 89 प्रतिशत तक ही जा पाएंगे। कुपोषण से जो मृत्यु हो रही है, कुपोषण केवल बच्चे का नहीं है, मां का भी कुपोषण है। अधिकांश बच्चे मां के पेट में ही मर जाते हैं। यदि बच्चे जन्म भी लेते हैं तो अच्छा स्वारथ्य और सुरक्षा न मिलने के कारण अधिकांश बच्चे दम तोड़ देते हैं। यदि वे बच भी गए तो तीन से पांच वर्ष की आयु में अधिकांश बच्चे दम तोड़ देते हैं। इसलिए भारत के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला हमें करना पड़ेगा। मातृ मृत्यु दर 1990 में एक लाख पर 437 थी, वर्ष 2011-12 में 167 हुई, 2015 तक इसे काफी नीचे आ जाना चाहिए था। अभी तक यह 140 पर है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अभी भी मातृ मृत्यु दर को कम नहीं कर पाए हैं। कुपोषण और स्वास्थ्य की असुरक्षा के कारण से ऐसा हुआ है। इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें, सरकार ने इस दिशा में कोशिश की है। मैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं इसलिए भारत सरकार की योजना से परिचित हूं। संस्थागत प्रसव पर भारत सरकार का पूरा ध्यान केन्द्रित है लेकिन गोवा, केरल, तमिलनाडु, राज्यों में यह प्रतिशत 90 है। मैं पहाड़ से आता हूं, पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं वहां और भी विषमता है। हिमालयी राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं, जहां दूर-दूर तक चिकित्सालय नजर नहीं आते हैं, उनके लिए काफी कठिनाई है। क्या सरकार उस क्षेत्र के लिए अलग से योजना बना सकती है। हिमालयी बेल्ट के लिए अलग से कोई योजना बननी चाहिए। हम लोगों ने उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा 108 शुरू की थी,

आपातकालीन सेवा की गाड़ी कुछ मिनटों और सेंकडों में पहुंचती थी। साढ़े तीन लाख से भी अधिक माँ और बहनों का प्रसव के समय जान बचाई गई थी। हजारों प्रसव चलती हुई एम्बुलेंस में हुए। मेरी मां और बहनें बहुत कठिनाई में हैं। आज इस बात की जरूरत है कि उनके लिए एक अलग से अभियान चलाया जाए जिससे उनका जीवन बच सके। जहां तक शृद्ध पेयजल के लक्ष्य का सवाल है देश में शृद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आंकड़े को हम देखें तो यह चौकाने वाले हैं, जो गंभीर और चिंताजनक हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 88.5 घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है जबकि शहरी क्षेत्र में 95.8 प्रतिशत लोगों को पेयजल मिल रहा है। लेकिन इसमें गुणवता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 21 प्रतिशत संक्रामक रोग गन्दे पानी के कारण होते हैं। अशुद्ध पेयजल से प्रतिदिन मौतें होती है, पेचिस और दस्त के कारण भारत में 1006 मौतें प्रतिदिन हो रही है, यह बहुत गंभीर विषय है। यदि इसे वर्ष में गणना करें तो प्रतिवर्ष 6 लाख लोगों की मौत गंदे पानी की वजह से होती है। इस चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 88 लोगों को शत-प्रतिशत पानी नहीं मिल रहा है। यदि मैं उत्तराखंड जैसी राज्य की बात करूं जहां भूस्खलन आता है, तमाम स्रोत बह जाते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ में बहुत सारी योजनाएं बह जाती हैं, नित्य नए आंकड़े सामने आते हैं, पेयजल का बहुत बड़ा संकट है। कुछ स्थानों पर पानी का स्रोत सूख जाता है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्थिति के कारण लगातार पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। ऐसे में नल से पानी सप्लाई की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है, जल आपूर्ति और स्वच्छता परिषद ने यह कहा है कि स्वच्छता के अभाव में प्रति 20 सैकिंड में दुनिया में एक शिशु की मृत्यु होती है। हम स्वच्छता पर ध्यान देकर 15 लाख शिशुओं को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। ये 15 लाख बच्चे सिर्फ मौत के मुंह में इसलिए जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मैं समझता हूं कि देश प्रगित की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रगित के क्षेत्र में बढ़ने वाले देश को इस दिशा में सोचना चाहिए। यूनीसेफ के अनुसार प्रित व्यक्ति को 20 से 50 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन आज हम उसे छू भी नहीं पा रहे हैं। हम उसे बहुत दूर तक पकड़ भी नहीं पाये हैं। इसलिए पूरे देश में यदि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और जो सहस्राब्दी लक्ष्य हमें 2015 तक प्राप्त करने थे, अभी तक हम उन आंकड़ों को हासिल नहीं कर पाये। उन आंकड़ों को हासिल करने के बाद उस पर स्थित तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, यह भी हमारे सामने चुनौती है।

श्रीमन्, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आयी, उसमें ज्यादा गंभीरता से यह भी कहा गया कि हिन्दुस्तान को अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमारे उन लक्ष्यों में यह भी एक महत्वपूर्ण

लक्ष्य था। यदि हम बुनियादी स्वच्छता देखें, तो उन्होंने बीबीसी के रिजस्टरार जनरल एक जनसंख्यक किमिश्नर श्री सी. चन्द्रमोली के हवाले से कहा है कि वर्ष 2000 की जनसंख्या के आधार पर बताया गया कि खुले में शौच आज देश के लिए गंभीर समस्या है और हमारी आधी आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है।

श्रीमन्, आश्चर्यजनक विषय यह है कि आज 49.8 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबिक 63.2 लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। मुझे लगता है कि यह जो सामाजिक, आर्थिक विषमता है, यह इसका एक जीता-जागता प्रमाण है। इसिलए इन बातों से ये आंकडें इस बात को भी परिलक्षित करते हैं कि हमें सामाजिक और आर्थिक, दोनों विषमताओं को दूर करना पड़ेगा। जब तक हम सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, यदि देखा जाये तो इस रिपोर्ट में राज्यों का भी विवरण है। उसमें झारखंड में 77 प्रतिशत, ओडिशा में 76 प्रतिशत और बिहार में 75.8 प्रतिशत लोग आज भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। ये सभी बड़े राज्य हैं। मैं बहुत सारे राज्यों के बारे में यहां विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज भी कमोबेश स्थिति अच्छी नहीं है। यूनीसेफ इंडिया ने कहां कि दुनिया के विकासशील देशों में स्थिति अच्छी है। जैसे हम ब्राजील और बंगलादेश में देखेंगे, तो वहां 7 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। चीन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां केवल 4 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। चीन जैसे देश में केवल 4 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, तो हमारी जनसंख्या का 49 परसेंट हिस्सा खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस दिशा में गंभीर प्रयास की जरूरत है।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, वह इस दिशा में एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसने एक क्रांति मचायी है। इस अभियान में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हासन, सलमान खान, अनिल अंबानी, शिश थरूर, कपिल शर्मा और रितिक रोशन सिहत बहुत सारे लोगों को ब्रांड ऐम्बेस्डर बनाया है और उस रूप में नियुक्त करके पूरे देश में एक नये तरीके से काम करने का नया अवसर दिया है।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि वर्ष 2019 तक खुले में शौच से भारत को पूर्णतया मुक्त करने का हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया बनायी गयी है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी ने टीम इंडिया बनाई है। इसमें मंत्रिमंडल तो जुटा ही है लेकिन टीम इंडिया भी जुटी है। इसमें मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण

और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं। अगले पांच वर्षों में 12 करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य है जिसमें 1.96 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दो लाख करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। हम इस मिशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालय निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके कारण पहली बार इतने बड़े स्तर पर औद्योगिक, सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत काम हो रहा है। यह औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सामाजिक दायित्व भी है। तब भी वे लोग काम करना चाहते होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले करना नहीं चाहते थे लेकिन अब पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सहभागिता का समन्वय किया है जिसमें लाखों शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

में एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने दो लाख से अधिक शौचालय सहभागिता से बनाए हैं। देश के औद्योगिक घरानों से 1100 करोड़ रुपए शौचालय बनाने की सहमित प्राप्त हुई है। यह इतना बड़ा काम है जो पूरे विश्व में पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। यह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। चाहे कोयला मंत्रालय हो या ऊर्जा मंत्रालय हो, विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिशा में अभियान के तहत काम करना शुरु किया है। में समझता हूं कि चाहे 'न्सवच्छ भारत' का अभियान हो, चाहे 'स्वस्थ भारत' का अभियान हो, 'समृद्ध भारत' का अभियान हो या 'श्रेष्ठ भारत' का अभियान हो, माननीय मोदी जी का 'श्रेष्ठ भारत' अभियान निश्चित रूप से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करके ऊंचाइयों को स्पर्श करने की दिशा में बढ़ेगा और पूरा विश्व भारत की ओर नजर लगाए हुए है।

इसमें पर्यावरण संरक्षण की चिंता की गई है। न्यूयार्क में वर्ष 2000 में जब सम्मेलन हुआ था तब यह कहा गया था कि पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा, दुनिया सुरक्षित नहीं होगी, आदमी सुरक्षित नहीं होगा, जानवर भी सुरक्षित नहीं होगा, यानी कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। यदि मैं मोटे तौर पर आपको आंकड़े दूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओं के अनुसार भारत के 3119 शहरों में से मात्र 209 शहरों के पास सीवरेज है। केवल इतने शहरों में सीवरेज है और वह भी आधा-अधूरा है। यदि 3110 बड़े शहर हैं लेकिन व्यवस्थित सीवरेज केवल 209 शहरों के पास है। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि जिनमें है, वहां भी पूरे सही तरीके से सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 2012 के वैश्विक पर्यावरण सुचांक में भारत 155वें स्थान पर है। यह भी बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा देश जो पर्यावरण के प्रति काफी सचग रहता है, 155वें स्थान पर है और हम वायु मंडल की गुणवत्ता के क्षेत्र में समूचे विश्व में 174वें स्थान पर हैं। हम काफी पीछे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में हमारा जो रिकार्ड है, वह और भी ज्यादा खराब है। यह अप्रैल 2015 में

405 पीपीएम को पार कर गया जबिक 350 पीपीएम से ऊपर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें और भी खराब स्थिति है।

इसी तरह से जल स्वच्छता के मामले में जैसे मैंने कहा कि जो गुणवत्ता वाले देश हैं, उसमें हमारा स्थान 124 है। हम पर्यावरण में जल संसाधन प्रदूषण के मामले में विश्व के 87वें स्थान पर हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की जरूरत है, यहां भी हम लड़खड़ा रहे हैं। हम इस क्षेत्र में तेजी से जल विविधता के संरक्षण में 125वें स्थान पर हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा स्थान सारे विश्व में 127वें पर है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में हम विश्व में तीसरे नम्बर पर हैं।

18.00 hrs.

ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि इस देश में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में और कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Ramesh Pokhriyal, you can continue next time.

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 6, 2015/Shravana 15, 1937 (Saka).